लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
03.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 48, गुरुवार, 30 अप्रैल, 1970/10 चैत्र, 1892 (शक) No. 37.

Thursday April, 14, 1970 /Chaitra 24, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1321	सरकारी उपक्रमों में अनुशासन संहिता	Code of discipline in Government Undertakings	1-3
1322	दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को हुई हानि	Loss sustained by Delhi consumer cooperative Wholesale store	4-5
1323	बिनौलों के उपलब्ध न होने के कारण कपास के उत्पादन में कमी	Fall in production of cotton due to Non-availability of cotton seeds	5-10
1324	कन्नड़ फिल्म संस्कार	Kannada Film Smasker	10-14
1325	ओलावृष्टि के बाद मध्य प्रदेश में कम अवधि की फसलें बोना और किसानों को दी गई सहायता	Sowing of short duration crops in Madhya Pradesh after Hailstorm and Help given to Farmers	14-16
26	खेतिहर मजदूरों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किया गया अध्ययन	Study made by National labour commission regarding Farm Labourers	17-18
	लघु सूचना प्रश्न	Short Notice Questions	
26	भाखड़ा में बिजली का उत्पादन	Power Generation in Bhakra	18-24
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
1327	चण्डीगढ़ में कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित वेतन	Need based wage for Chandigarh	24

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं०		
S. Q. Nos.		
1328 छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता	Financial Aid to small Newspapers	24-25
1329 विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे भारतीय समाचार पत्र	Indian Newspapers Getting Foreign Assistance	25
1330 वनस्पति के उत्पादन के लिये अन्य पदार्थों के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग तथा इसका उत्पादन	Soyabean as a substitute for Manufacture of Vanaspati and its production	25-26
1331 चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया जाना	Non payment of sugar cane price by Sugar Mills to Farmers	26-27
1332 बिहार में अकाल	Famine in Bihar	27-28
1333 प्रसारण के प्रयोजनों के लिये उप-ग्रह	Satellite for Broadcasting Purposes	28-29
1334 पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों के बड़े पैमाने पर आगमन के समाचार का आकाशवाणी से प्रसारण	Air coverage of Influx of East Pakistan Minorities	29
1335 नये डाक घर खोलने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loan from Nationalised Banks for opening new post offices	30
1336 गेहूं के आयात में कमी और राज सहायता में वृद्धि	Reduction in Wheat Imports and Increase in Subsidy	30
1337 शिशु आहार बनाने में प्रयुक्त सोयाबीन की प्रतिशतता और इसकी खरीद का साधन	Percentage of Soyabean used in Baby Food and its source of purchase	30-31
1338 चीनी के मूल्य ढांचे को युक्तियुक्त बनाना	Rationalisation of sugar price structure	31
1339 राशन के गेहूं में मिलावट	Adulteration of rationed wheat	31-32
1340 भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन का परिषकरण तथा विक्रय	Processing and marketing of Soyabean by FCI	32
1341 उत्तर बिहार में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station in North Bihar	32-33
1342 राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये कार्मिक संघ प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of representatives of trade Unions to consider recommendations of National Commission on Labour	33
1343 जिला तथा सब-डिवीजनल कस्बों में सुपर बाजार खोलना	Opening of Super Markets in District and Sub-Divisional Towns	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1344 औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्याय निर्णय	Compulsory adjudication in Industrial Disputes	34
1345 किसानों के लिये आकाशवाणी पर प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलटिनों के समय में परिवर्तन	Adjustment in Radio News Timings for Farmers	34
1346 प्रादेशिक भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के स्तर को ऊंचा उठाना	Steps to raise standard of Films in Regional Languages	34-35
1347 सामूहिक खेती	Collective Farming	35
1348 छोटे कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर की मृत्यु अथवा अंग भंग होने पर मुआवजा दिये जाने के कानून	Laws for compensation for loss of life or limbs to workers Engaged in Small Establishment	35
1349 डाक तथा तार विभाग द्वारा व्यापारिक विज्ञापन	Commercial advertisement by Posts and Telegraphs Department	36
1350 काजू उद्योग का विकास	Development of cashew industry	36
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
8033 आकाशवाणी तथा टेलीविजन द्वारा प्रसारित किये जाने वाले लेनिन शताब्दी कार्यक्रम	Lenin Centenary programmes to be relayed by A. I. R. and Television	36-37
8034 दिल्ली विमान डाक तथा छंटाई डिवीजन दिल्ली के रेलवे डाक सेवा के अधिकारियों की बारी से पहले पदोन्नति	Out of turn promotion of R. M. S. officials of Delhi Air Mail and Sorting Division, Delhi	37-38
8035 राज्य सरकारों को ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों की सप्लाई	Supply of Transistorised Radio sets to State Governments	38-39
8036 फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों की फिल्म निर्माताओं पर बकाया राशियां	Outstanding loans against film producers advanced by Film Finance Corporation	39
8037 आकाशवाणी के अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटरों के अहाते में ब्रिज टूर्नामेंट	Bridge tournament held within the Premises of Heavy Power Transmitters AIR, Delhi	39-40
8038 राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना	Opening of public call offices in Rajasthan	40-41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
8039 पोस्ट कार्डों के लिये स्थलीय डाक दरें	Surface mail rates for post oards	41-42
8040 ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन	Telephone in Rural Areas	42
8041 हरियाणा में गन्ने की उत्पादन लागत तथा निर्माण मूल्य में अन्तर	Difference in cost of production and Factory price of sugarcane in Haryana	42-43
8042 गांवों में डाकघर	Villages provided with post offices	43
8043 पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के नैमित्तिक मजदूरों से अभ्यावेदन	Representation from casual labourers in Jaipur Division, Western Railway	43-44
8044 दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेले में उत्तरी कोरिया के, प्रतिनिध मंडल को आमंत्र पत्र न देना	Non Issue of Invitation to North Korean Delegation to International Film Festival in Delhi	44
8045 जयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Application pending for Telephone Connections in Jaipur	44-45
8046 1970-71 में राजस्थान में डाकघर खोलना	Opening of post offices in Rajasthan during 1970-71	45-47
8047 राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications pending for telephone connections in Rajasthan	47-48
8048 शरणार्थियों के लिये नौकरियों की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजन	Scheme to provide jobs for refuggees	48-49
8049 भूख से मौतें	Deaths due to starvation	49
8050 डाक जीवन बीमा के प्रीमियम के लिये की गई कटौती सम्बन्धी खोये गये विवरण पत्रों का ताल मेल बिठाना	Reconciliation of missing credits for deductions towards premium of postal life Insurance	49-50
8051 पी० वी० एस० बीड़ी फैक्टरी का केरल से मैसूर को स्थानान्तरण	Shifting of P. V. S. Beedi Factory from Kerala to Mysore State	50-51
8053 भूमिहीन लोगों को भूमि का वितरण	Distribution of land among landless people	51-52
8054 बेल्जियम द्वारा आधुनिक होटल उपकरण की सप्लाई	Supply of modern hotel equipment by Belgium	52
8055 उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक	Co-operative banks in Uttar Pradesh	52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० सं०

U S. Q. Nos.

8056	चौथी योजना में जंगलों की भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु मध्य प्रदेश के लिये धन का नियतन	Allocation to Madhya Pradesh during Fourth Plan for reclamation of forests	52-53
8057	पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के बारे में जांच	Enquiry into Pahari Dhiraj Coperative house building society, Delhi	53
8058	भारतीय पशुओं तथा पक्षियों के सींगों तथा खालों से बनी वस्तुओं की बिक्री	Sale of skins and products made from Horns and skins of Indian Animals and Birds	54
8059	खाद्यान्नों का पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Foodgrains to Pakistan	54-55
8060	आस्ट्रेलिया से प्राप्त गेहूं का वितरण	Distribution of wheat received from Australia	55
8061	सरिता में चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नामक लेख	Article in Sarita captioned Fourth International Film Festival	55-56
8062	मशीन से धान कूटने में चावल की हानि	Loss of Rice in Milling	56
8063	जयपाल सिंह की स्मृति में टिकट	Commemorative Stamp in memory of Shri Jaipal Singh	56-57
8065	शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed	57
8066	कलकत्ता में कूड़े को खाद में बदलना तथा एक कारखाने की स्थापना पर आने वाली लागत	Conversion of Garbage into manure and cost of setting up a plant therefor in Calcutta	58
8067	केरल परिहवन कर्मचारियों की हड़ताल	Kerala Transport Strike	58-59
8068	रूस से प्राप्त हल्के तथा भारी ट्रैक्टर	Light and Heavy tractors received from Russia	59
8070	नल कूपों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to states for tubewells	59-60
8071	भारत में भूमि के कटाव को रोकने के लिये उपाय	Measures to check soil erosion to India	60
8072	जालौन जिले में ट्रैक्टरों के लिये सेवा केन्द्र की स्थापना	Establishment of service station for tractors in Jalaun district	60-61
8073	लद्दाख में नायोमा तथा नुहरा में डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधायें	Posts, Telegraph and Telephone facilities at Nyoma and Nuhra in Ladhak	61

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
8074	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय पटना के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन / Agitation by employees of Regional Provident Fund Commissioner's Office at Patna	61-62
8075	वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में कृषि के उन्नत उपकरणों तथा बीजों के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता / Central aid to Kerala for purchase of improved agricultural equipment and seeds during 1967, 1968 and 1969	62
8076	दण्डकारण्य परियोजना के लिये मध्य प्रदेश से भूमि / Land for dandakaranya project from Madhya Pradesh	62-63
8077	पौष्टिक गेहूं के आटे की सप्लाई / Supply of fortified wheat flour	63
8078	डाक विभाग के कर्मचारियों को खादी के बजाय मिल के कपड़े की वर्दियां देने से व्यय में बचत / Saving in expenditure on uniform of staff of post offices by using mill cloth instead of khadi-cloth	63-64
8079	दूरस्थ गाँव में डाकघर / Post offices in far flung villages	64-65
8080	राजस्थान में खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता / Additional production potential of foodgrains in Rajasthan,	65-66
8081	पश्चिम पंजाब से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित प्लाटों का जब्त करना / Forfeiture of plots allotted to displaced persons from West Punjab	66
8082	26 मार्च, 1970 को पंजाब के विधायकों की राज्यपाल के साथ भेंट की आकाशवाणी द्वारा उपेक्षा / Punjab M. L. A's meeting with Governor on 26th March, 1970 overlooked by AIR	67
8083	भारत पाक संघर्ष में खेमकरन और फीरोजपुर क्षेत्रों में सम्पत्ति की हानि / Loss of property in Indo-Pak conflict in Khem Karan and Ferozepur areas	67-68
8084	कर्मचारी राजकीय बीमा निगम द्वारा बनाये नये मकानों का अलाट किया जाना / Allotment of Houses built by ESI	68
8085	गत् तीन वर्षों में कृषि के उन्नत उपकरणों और बीजों के खरीद के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता / Central aid to Orissa for purchase of improved agricultural implements and seeds during the last three years	69
8086	केरल में आकाशवाणी ट्रांसमिशन यूनिट / A. I. R. Transmissior units in Kerala	69-70

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Page
8087	राज्यों के पास धान और चावल के फालतू भंडार	Surplus stocks of paddy and rice with states	70
8088	दिल्ली प्रशासन द्वारा बरवाला ग्राम में प्लाटों की निलामी	Auction of plots in villgge Barwala by Delhi Administration	70-71
8089	दिल्ली प्रशासन द्वारा बरवाला ग्राम में भूमि का आवंटन	Allotment of land in village Barwala by Delhi Administration	71
8090	देश में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	Survey of unemployment in the country	71-72
8091	लेखन सामग्री विभाग में कार्य कर रहे कार्मिक संघ	Trade unions working in Stationery Department	72
8092	राजनीतिक दलों द्वारा नियंत्रित समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन	Government advertisements to news papers controlled by Political Parties	72-73
8093	बिहार में डाकघर और उनका कार्यकरण	Post offices in Bihar and their working	73-74
8094	बैरमों के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कोयला खान संघ के फुसरो मेडिकल हस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities to P & T Employees of Bermo from Phusro Medical Hospital of coal mines organisation	74
8095	खेती करने के लिये मध्य प्रदेश को विद्युत चालित हलों तथा ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of power tiller Tractors to Madhya Pradesh for Cultivation of Land	74-75
8096	सुधरे हुए बीजों तथा कृषि उपकरणों को खरीदने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Madhya Pradesh for purchase of Improved seeds and Agricultural equipments	75-76
8097	आकाशवाणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of AIR Staff	76
8098	मध्य प्रदेश से चावल बाहर भेजे जाने पर बोनस का भुगतान	Payment of Bonus on Export of Rice from Madhya Pradesh	76-77
8099	वसूल की गई चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मांगना	Madhya Pradesh Government Request for permission to sell levy sugar in open market	77-78
8100	मध्य प्रदेश में चीनी का स्टाक	Sugar stock in Madhya Pradesh	78

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages.
8101	फरक्का परियोजना में श्रमिक गड़बड़ी / Labour Trouble in Farakka Project	78-79
8102	हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना / Setting up an Agricultural University in Himachal Pradesh	79
8103	माडल टाउन, दिल्ली के तालाबों में मछलियों की मौत / Death of Fish in the lakes in Model Town, Delhi	79-80
8104	1970 में आकाशवाणी के नये केन्द्र / New Radio Stations during 1970	80
8105	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन / Reports of Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal	80
8106	देरी से वर्षा होने के कारण खाद्यान्नों की हानि का अनुमान / Estimate of loss of foodgrains due to late rains	80-81
8108	भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांगें तथा मजूरी बोर्ड पंचाटों की क्रियान्विति / Demands of Indian Federation of Working Journalists and Implementation of Wage Board Awards	81
8109	क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यवाहक पदों के मामले में भेदभाव / Discrimination in office of Regional Settlement Commissioner, New Delhi in matters of Acting posts	81-82
8110	1968-69 में जैसलमेर हाउस के सामने धरना देने वालों पर खर्च / Expenditure on squaters in front of Jaisalmer House in 1968-69	82
8111	राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजन आदिवासियों के लिये स्थानों का आरक्षण / Reservation of posts for Harijan Adivasis in National Seeds Corporation	83
8112	सागर जिले में कृषि कालेज खोलना / Setting up of an agricultural College in Sagar District	83-84
8113	आकाशवाणी द्वारा प्रसारण में बहुत कम स्थान दिये जाने पर कांग्रेस (सत्तारूढ़) के संसद सदस्यों द्वारा विरोध / Objection by M. Ps. of Congress (R) for Small coverage by AIR	84
8114	31 मार्च 1970 तक टेलीफोन के देय बिल / Telephone dues outstanding upto 31. 3. 70	84
8115	संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बीज उत्पादन परियोजना में प्रगति / Progress in seed production project in Tarai Area of Uttar Pradesh in cooperation with UNO	85

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U S Q. Nos.		
8116 मनीपुर के कृषि अधिकारियों का विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण	Specialised Training for Agricultural Officers of Manipur in Foreign Countries	85
8117 मनीपुर के पशुचिकित्सा अधिकारियों का आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण	Training of Veterinary officers of Manipur in Australia	85-86
8118 मनीपुर के जिलेदारों की शिकायतें	Grievances of Zilladars of Manipur	86
8119 मनीपुर में श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन एवं क्रियान्विति समिति की बैठक	Meeting of Evaluation and Implementation Committee on Labour in Manipur	86-87
8120 मनीपुर में न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages in Manipur	87
8121 गेहूं की मांग और उत्पादन	Requirement and production of wheat	87
8122 राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना	Non broadcasting by AIR Supreme Court Proceedings on Presidential Election	88
8123 वर्ष 1968 तथा 1969 में चावल, चना, बाजरा तथा जौ का उत्पादन	Production of Rice Gram Bajra and Barlely during 1968-and 1969	88
8124 चौथी योजना में कीटनाशक पदार्थ तथा अन्य उपकरण खरीदने के लिये मध्य प्रदेश को धन का नियतन	Allocation to M. P. for purchasing insecticides and other equipment Under Fourth Plan	89
8125 मध्य प्रदेश में कृषि क्रान्ति	Green Revolution in Madhya Pradesh	89-90
8126 मध्य प्रदेश को नल कूपों के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान	Central Grant to Madhya Pradesh for tube wells	90
8127 चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में भूमि सुधार	Land reforms in Madhya Pradesh Under Fourth Five year Plan	90
8128 रोजगार कार्यालय, दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Registered with employment exchange Delhi	91
8129 किसान आयोग की नियुक्ति	Appointment of Farmers Commission	91-92
8130 दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर अंशकालिक कार्य करने वाली लड़कियों की उपलब्धियों में वृद्धि	Increase in Emoluments of Part time Girls working on D. M. S. Booths	92

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
8131 धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिये एक नई यांत्रिक प्रणाली का आविष्कार	Invention of a New Mechanical Device for transplanting paddy seedlings	93
8132 उर्वरक छिड़कने की फोलियर पद्धति द्वारा चावल के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of rice by Foliar Application of fertilizers	93-94
8133 चौथी योजना की अवधि के लिये चीनी के मूल्य तथा उत्पादन के लिये राष्ट्रीय नीति	National Sugar Price and production Policy for Fourth plan period	94
8134 नई दिल्ली में टेलीविजन सेटों की संख्या	Number of Television sets in New Delhi	94-95
8135 दरभंगा, बिहार में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Darbhanga, Bihar	95-96
8136 संयुक्त आयुक्त (मशीन आदि) के तकनीकी पदों की पूर्ति	Filling up technical posts of Joint Commissioner, Machinery etc.	96
8137 छिड़काव करने वाले कृषि विमानों की क्षमता	Idle capacity of Agricultural Aircraft for spraying	96-97
8138 केशोराय पाटन, राजस्थान में सहकारी आधार पर स्थापित किये गये चीनी कारखाने में अनियमितताएं	Irregularities committed in Sugar Factory on cooperative basis in Keshorai Patan, Rajasthan	98
8139 श्रमिक कल्याण सम्बन्धी दृष्टिकोण	Concept of labour welfare	98
8140 सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रमिक संघों के प्रतिनिधि	Representatives of labour unions in Public Secror	99
8141 समस्त देश में कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये समान वेतनमान	Uniform pay scales for skilled and Unskilled labourers throughout the country	99
8142 खण्डस्तर पर भूमि परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं	Soil testing facilities at Block level	99-101
8143 गांव पंचायतों की परती भूमि (फैलोलैंड) का उपयोग	Utilisation of fallow land belonging to village Panchayats	101
8144 काजू विकास निदेशालय का कालीकट से एरणाकुलम में स्थानान्तरण	Shifting of directorate of cashew development from Calicut to Ernakulam	101-102
8145 सहकारी शिक्षा	Cooperative education	102-103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8146 खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार तथा गोदाम	Buffer stock of foodgrains and warehouses	103
8147 महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना आरम्भ करना	Introduction of ESI and EPF Schemes in Handloom Industry in Maharashtra	103-104
8148 विदेशों की तुलना में भारत में 1968 तथा 1969 में नाशक जीव नियंत्रण पर हुआ व्यय	Comparative expenditure on pest control in India during 1968 and 1969 as compared to Foreign countries	104-105
8149 राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को विदेश में भारत मूलक लोगों के उत्तराधिकारियों के नाम चढ़ाना	Transfer of National savings certificates to heirs of people of Indian Origin in foreign countries	105
8150 इन्दौर के लिये चलता फिरता डाकघर	Mobile post office for Indore	106
8151 उज्जैन (मध्य प्रदेश) में लगाये गये टेलीफोन	Telephone installed in Ujjain (Madhya Pradesh)	106
8152 कलकत्ता और दिल्ली में सहकारी आधार पर चलने वाली खाद्यान्नों की दुकानें	Foodgrain shops run on copperative Basis in Calcutta and Delhi	106-107
8153 नार्थ एवेन्यू तथा साऊथ एवेन्यु तथा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राशन की दुकानों पर बासमती चावल का न दिया जाना	Non supply of Basmati Rice at Ration shops in North Avenue, South Avenue and Rashtrapati Bhavan, New Delhi	107-108
8154 संसद् सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में अनिर्णीत आवेदन	Applications pending for telephone connections to Members of Parliament at their Residential places	108
8155 रूस की स्थिति के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों द्वारा प्रसारण	MPs Broadcast on conditions in USSR	108-109
8156 अप्रैल, 1970 में सोयाबीन तेल का आयात	Soyabean oil imports during Apri, 1970	109
8157 गत दो वर्षों में बिहार में स्थापित किये गये स्वचालित एक्सचेंज	Automatic Exchanges Installed in Bihar during last two years	109-110
8158 पश्चिम बंगाल में भूमिहीन किसानों के लिये भूमि	Land for Landless in West Bengal	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8159 कालीकट और कोयम्बतूर के बीच सूक्ष्म-तरंग (माइक्रो बेव) द्वारा सम्बन्ध स्थापित करना	Micro Wave link between Calicut-Coimbatore	110-111
8160 तमिल नाडू को केले की खेती के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Tamil Nadu for Banana Cultivation	111
8161 ग्रमीण विकास के लिये एक केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना	Setting up a Central Co-or-dination committee for rural development	111
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	112-116
संयुक्त राट्र संघ की सदस्यता के लिये आवेदन करने के लिये भूटान का कथित निश्चय	Reported decision of Bhutan to apply for membership of UNO	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	116-118
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	118
(एक) कार्यवाही सारांश	Minutes	
(दो) 124वां, 120वां तथा 125वां प्रतिवेदन	Hundred and twenty fourth, Hundred and twentieth, and Hundred and twenty-fifth Reports	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	118
(एक) कर्यवाही सारांश	Minutes	
(दो) 59वां, 61वां, 64वां, 66वां तथा 70वां प्रतिवेदन	Fifty-ninth, Sixty-first, Sixty-fourth, Sixty-sixth and Seventieth Reports	
याचिका समिति	Committee on Petitions	118
(एक) कार्यवाही सारांश	Minutes	
(द) सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	119-120
111वां, 112वां, 115वां, 118वां 120 तथा 122वां प्रतिवेदन	Hundred and eleventh, Hundred and twelfth, Hundred and fifteenth, Hundred and eighteenth, Hundred and twentieth and Hundred and Twenty-second Reports	

विषय	Subject	पृष्ठ/Page)
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	120
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्	Indian Council of Agricultural Research	
अनुदानों की मांगें, 1910-71	Demands for Grants-1970-71	121-172
समाज कल्याण विभाग	Department of social welfare	
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav	
श्री मंगरू उईके	Shri M. G. Uikey	
श्री होरजी भाई	Shri Heerji Bhai	
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram	
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	
श्री तु० राम	Shri T. Ram	
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi	
श्री राम सिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal	
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food and Agriculture, Community Development and Co-operation	
श्रीमती मोहिन्दर कौर	Shrimati Mohinder Kaur	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	
श्री की० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	Shr Yashwant Singh Kushwah	
श्री तुलसीदास यादव	Shri Tulshidas Jadhav	
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	
श्री गं० च० दीक्षित	Shri G. S. Dixit	
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai	
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	
श्री गुरूचरण सिंह	Shri Gurcharan Singh	

श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sarma
श्री शारदा नन्द	Shri ShardaNand
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970 पुरःस्थापित	Appropriations (No. 2) Bill, 1970- Introduced
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 30 अप्रैल, 1970/10 वैशाख, 1892 (शक)
Thursday, April 30, 1970/Vaisakha 10, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों में अनुशासन संहिता

*1321. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में अनुशासन संहिता को स्वीकार कर लिया गया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या रेलवे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उस संहिता को मानने से इनकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) : जी हां, इन उपक्रमों में उक्त संहिता को काफी व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) : कुछेकों को छोड़कर, ऐसे सुरक्षा उपक्रमों ने जो कम्पनियों तथा निगमों के रूप में चलाये जा रहे हैं, इस संहिता को सामान्यतः स्वीकार कर लिया है । अपवाद स्वरूप चार छोड़े हुये में से, दो में, स्थिति यह थी कि कुछ यूनियनें भी इसके औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति

के लिये उत्सुक नहीं रही हैं। लेकिन सुरक्षा विभागीय उपक्रमों, तथा रेलों के संबंध में जहां कि संहिता को लागू नहीं किया गया है, यह बताया गया है कि उनमें संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच-निर्णय योजना, जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये एक वैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, उपलब्ध है ही। रेलवे के पास भी स्थायी वार्ता तंत्र है और श्रमिक संघों के एक संघ ने संहिता को लागू किये जाने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे आश्चर्य है कि यद्यपि इस संहिता को मैं 1958 नैनीताल सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था परन्तु इसे प्रतिष्टता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सहकारी प्रतिष्ठानों में क्रियान्वित नहीं किया गया। चूंकि उन्होंने कहा है कि अनिवार्य ढंग फैसला आदि के कारण इसे प्रतिरक्षा मंत्रालय में लागू नहीं किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें मालूम है कि अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का सदस्य नहीं है। इस बात को देखते हुए क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करेंगे कि इस अनुशासन संहिता को प्रतिरक्षा मंत्रालय में लागू किया जाये ताकि इसको करने योग्य तथा न करने योग्य बातें कर्मचारी तथा प्रबंधकों दोनों पर लागू हों ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह सच है कि यह संहिता कुछ प्रतिरक्षा उपक्रमों में लागू नहीं की गई है तथा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कर्मचारी संघ भी इसे स्वीकार नहीं करता है। हम प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनुरोध कर रहे हैं कि जहां यह संहिता लागू नहीं की गई है वहां उसे लागू किया जाये। यह भी स्मरणीय है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन समवायों तथा निगमों तथा विभागीय उपक्रमों को कुछेक को छोड़ सभी जगह लागू किया जा रहा है। हम माननीय सदस्य से सहमत है और हम प्रतिरक्षा मंत्रालय पर जोर डाल रहे हैं कि यह अनुशासन संहिता वहां भी लागू की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ द्वारा दो आपत्तियां उठाई गईं थी--एक तो यह कि इसमें श्री एस० एम० जोशी तथा स्वयं मेरे जैसे बाहर के लोग जिन्होंने प्रतिरक्षा विभाग को 20 वर्ष तक सेवा की--को शामिल नहीं किया जायेगा और हम दोनों को शामिल नहीं किया गया है। दूसरे, हम श्रम मंत्रालय या गृह-कार्य मंत्रालय से यह आश्वासन चाहते थे कि हड़ताल करने के अधिकार को यथावत् रखा जाना चाहिये तथा हड़ताल को अनावश्यक अथवा बुरा घोषित नहीं किया जायेगा। मैं जानना चाहूँगा कि इन दो बातों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; क्या इस संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है, और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : हमें कर्मचारी संघ के दृष्टिकोण के बारे में मालूम है और ये बातें हमारे सामने रखी गई हैं। हम उनके मतभेद को समझते हैं। हमने लगातार प्रतिरक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श किया है और हम इन दोनों बातों में तालमेल बैठाने के लिए प्रयत्नशील हैं ? यही कारण है कि हम अभी सफल नहीं हुए हैं और इसीलिये हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश निगम इन संहिता का पालन कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि इस संहिता के अधीन जहां केवल

एक कर्मचारी संघ है उसे स्वतः ही मान्यता दी जानी चाहिये ; तथा क्या उन्हें मालूम है कि पिछली स्थित एन० आई० डी० सी० (NIDC) का जहां केवल एक ही कर्मचारी संघ है और इस निगम के 60 प्रतिशत कर्शचारी इसके सदस्य हैं, निगम अधिकारियों ने मान्यता देने से इन्कार कर दिया है हालांकि उनका कहना है कि वे इस अनुशासन संहिता का पालन करते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। यह तो यहां आपके सामने दिल्ली में ही हो रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : हम इस मामले की जांच करेंगे तथा इस बारे में संबन्धित निगम से बात करेंगे।

Shri Shiv Charan Lal : Is it a fact that the officers are acting arbitrarily in the name of discipline and a sense of great discontent is prevalent among the workers ; if so, what steps are being taken to remedy the situation ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Wherever we find such a case that comes under our jurisdiction we make all efforts to put a stop to such action.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the Railways two Unions heve been given recognition. Is it in conformity with the policy of the Government ? On this basis, would the Government give recognition to more than one Unions in the other industries or Public undertakings ? Is the Government considering grant of recognition to other category-wise Unions in Railways ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is true that the All India Railwaymen Federation and National Federation of Indian Railwaymen have been granted recognition. Both are federations of unions of Railwaymen. As regards the code of Discipline, one of the unions says that the code should be applied, whereas the other says that the present procedure of negotiations in the J. C. M. is quite all right and the code should not be applied. Therefore, it has not been applied there. We know that both of them have been given recognition. Ordinarily, we want, that there should be only one Union and only one should be recognised which facilitates negotiations and its functioning. It is not our policy to grant recognition to more than one Union. But it is so in this particular case.

Shri Deven Sen : Is it a fact that no Union has been granted recognition in the Chittaranjan Locomotive Works ; if so, would the Hon. Minister issue instruction to the effect that recognition should be given to the Union there ?

Shri Bhagwat Jha Azad : If they have applied in accordance with the existing rules, I do not know what has happened to their application. I do not know the reasons for which recognition has not been granted to them. I shall look into it.

Shri M. A. Khan : Is it a fact that the All India Station Master's Associtaion has submitted a charter of demands in which they have demanded recognition also ? No Union is representing them. Would the Government consider granting recognition to this Association ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This question relates to the application of Code of Discipline. Therefore, I am not able to give information about individual cases. Since the Hon. Member has drawn our attention towards it, we shall certainly look into it.

Shri M. A. Khan : The Station Masters have submitted a charcter of Demands. Are you looking into that ?

दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को हुई हानि

*1322. श्री हरदयाल देवगुण : श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को गत पांच वर्षों में कुल 6 लाख रुपये से अधिक की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी वर्तमान कर्जदारी 45 लाख रुपये से अधिक है और स्टोर के व्यापारिक व्यय को छोड़कर, इसके कार्य संचालन पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक भाग इसके द्वारा लिये गये ऋणों पर ब्याज का ही बैठता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टोर द्वारा दिया गया 12 लाख रुपये से अधिक का उधार वसूल नहीं हो रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि स्टोर की स्थापना के समय से इसकी कुल बिक्री तेजी से घटती जा रही है और इसके कार्य-संचालन पर होने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्टोर को बन्द करने का है और यदि नहीं, तो इसे जारी रखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) देयों को वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस समय उस राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जिसके वसूल होने की सम्भावना नहीं है ।

(घ) 1967-68 से लेकर कुल बिक्री में कमी हुई है और बिक्री के अनुपात में स्थापना व्यय में वृद्धि हुई है ।

(ङ) जी नहीं ; दिल्ली प्रशासन ने इस समिति के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं । समिति का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा मनोनीत की गई एक समिति को सौंपा गया है । जिसमें प्रशासन के वरिष्ट अधिकारी शामिल हैं और इसके कार्यकरण में कुछ सुधार हुआ है ।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that about Rs. 50 lakh of public money has been invested in this store and the Public Accounts Committee has also given a report on this subject ? Is it also a fact that an inquiry Committee was set to enquire into the conduct of the previous managing Committee and that inquiry Committee had charged the Managing Committee with mismanagement, corruption and irregularities in purchasing commodities. Did that inquiry Committee also allege that purchase of goods worth Rs. 2.25 lakhs was irregular and wrong as also that the Members of the Managing Committee. themselves used to go personally for making purchases ? Who were the Members of that inquiry Committee ? I want to know the amount due from those members of that managing Committee, how much of that has since been recovered and how much still remains to be recovered ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सदस्यों के नामों के बारे में मैं जानकारी दे सकता हूं परन्तु इस समय वह मेरे पास नहीं है। जहां तक व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सवाल है, एक श्री एम० सी० गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से 86,000 रुपये की हानि के लिए उत्तरदायी पाया गया था। उनसे यह हानि पूरी करने को कहा गया है। जांच से यह मालूम हुआ कि अन्य सदस्य भी जिम्मेवार थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा माल खरीदा था जो उन्हें नहीं खरीदना चाहिए था इस जांच से और भी अनेक बातों का पता लगा। दिल्ली प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। वह उचित कार्यवाही कर रहा है और इसीलिये पुरानी समिति की जगह नई समिति बनाई गई है और मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि उसमें श्री एस० सी० जैन, श्री सुभाष दूआ जो कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के महा प्रबन्धक हैं, और श्री एस० पी० सूद। ये सभी उस नयी समिति के सदस्य हैं। मैं वह जानकारी भी दे दूंगा।

Shri Hardayal Devgun : Is it a fact that the canteen Inquiry Committee has found that Rs. 9 lakhs were due from the Chairman of that Managing Committee, Shri Naval Prabhakar, a former Congress Member of Parliament?

Mr. Speaker : The Hon. Member is furnishing information. He should ask tquestion.

Shri Hardayal Devgun : The socialists have misappropriated Rs. 50 lakhs of publci money in the name of co-operatve, through only this Store. The P. A. C. has stated that criminal proceedings should betinstituted against those persons who have indulged in such a corruption. I want to know whether steps have been taken to institute criminal proceedings against those members and directors who kept on making purchases worth lakhs of rupees and made a lot of money out of it, if not the reasons therefor ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम उनके विरुद्ध हर कार्यवाही का समर्थन करेंगे। माननीय सदस्य का दिल्ली प्रशासन से गहरा सम्बन्ध हैं। दिल्ली प्रशासन को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी सदस्य ने कोई अनियमितता की है तो मुझे आशा है, कि माननीय सदस्य दोषी और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में पूरी सहायता देंगे।

Shri Hardayal Devgun : That is why they have appointed a new Committee .But I was asking about the old one.

अध्यक्ष महोदय : जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध आरोप क्यों लगाते हैं ?

श्री को० सूर्यनारायण : क्या सरकार को ज्ञात है कि केवल दिल्ली राज्य में ही नहीं प्रत्युत देश के अन्य राज्यों में भी कई ऐसी संस्थायें हैं...

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह प्रश्न केवल दिल्ली से संबंधित है।

श्री को० सूर्यनारायण : यह अन्य राज्यों से भी सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, यह तो विशिष्ट रूप से दिल्ली राज्य के बारे में है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अगला प्रश्न।

बिनौलों के उपलब्ध न होने के कारण कपास के उत्पादन में कमी

+

*1323. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री नंद कुमार सोमानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध न होने और भारतीय भूमि के कपास के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण देश में गत अनेक वर्षों से कपास के उत्पादन में हो रही कमी के बारे में गम्भीर रूप से विचार किया है;

(ख) विदेशों में बेहतर किस्म के बीजों और रुई के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है; और

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि भारत एक कृषि-प्रधान देश है, इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सन् 1950-51 में कपास का उत्पादन 23·74 लाख गाँठें था वह 1968-69 में बढ़कर 52·70 लाख गांठों तक पहुंच गया ।

भारतीय कपास की अच्छी किस्मों के बीज देश में ही उपलब्ध है और भारत की मिट्टी उनके उत्पादन के लिये उपयुक्त है ।

(ख) अच्छी किस्म के बीजों को आयात नहीं किया गया है । सन् 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान आयात की हुई कपास का मूल्य क्रमश: 86·13 करोड़ रुपये तथा 58·93 करोड़ रुपये था ।

(ग) कपास का उत्पादन बढ़ाने तथा उसके सम्बन्ध में यथा सम्भव आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित पैकेज कार्यक्रमों तथा कपास विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है । केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के लिए चौथी योजना में 3·90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इन कार्यक्रमों तथा कपास विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन की सहायता से उत्पादन की 60 लाख गांठों के आधार स्तर से 86 लाख गांठों तक बढ़ाने का लक्ष्य है । इस उत्पादन स्तर के प्राप्त होने से आयात की मौजूदा 7 से 8 लाख गांठों के स्तर को 4 या 5 लाख गांठों तक घटाया जा सकता है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि आप विवरण देखें तो आपको पता चलेगा कि आंकड़ों का इन्द्रजाल रचने में इस सरकार का कोई मुकाबिला नहीं । यह कहा गया है कि 1968-69 में 1950-51 की तुलना में उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि यदि आप 1950-51 की बजाय 1960-61 से तुलना करें तो पता चलेगा कि कपास के उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और, इसलिए 1964-65 के बाद प्रतिवर्ष उत्पादन 1964-65 के उत्पादन की तुलना में कम रहा है मैं जानना चाहता हूं कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारतीय किसान को अच्छे किस्म के बीज देश में ही उपलब्ध हैं, तो हम फिर भी प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये की कपास का आयात क्यों करते जायें ? प्रति एकड़ उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हुई है और कपास के आयात पर खर्च की गई बहुत बड़ी राशि को

ध्यान में रखते हुये, क्या देश के लिये यह उचित नहीं है कि वह कपास के अच्छे बीजों का आयात करे ताकि प्रति एकड़ उपज में वृद्धि की जा सके ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं कपास के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि न होने के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि कपास के उत्पादन में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : 1960-61 से लेकर ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : वास्तव में, जैसा कि विवरण में स्पष्ट किया जा चुका है 1950-51 में हमने 28.74 लाख गांठ के उत्पादन से प्रारम्भ किया और उतार-चढ़ाव के होते हुए भी 1969-70 में वास्तविक उत्पादन 60 लाख गांठ हुआ । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि कपास वाली अधिकांश भूमि पर सिंचाई नहीं होती, केवल 15% पर सिंचाई होती है और 85% पर सिंचाई नहीं होती । वर्षा के न होने तथा अन्य कई जलवायु सम्बन्धी कारणों से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । लेकिन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार समस्या से बड़ी अच्छी तरह अवगत हैं ।

माननीय सदस्य ने बीजों का उल्लेख किया है । कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बीज सर्वप्रथम वस्तु है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नये बीजों के विकास पर कार्य किया जा रहा है, एक परियोजना आरम्भ की गई है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अच्छी किस्म के बीज तैयार किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त हमने राष्ट्रीय बीज निगम को भी परामर्श दिया है कि वह कपास के प्रमाणीकृत किस्म के बीजों का उत्पादन करें और मेरे विचार से राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों के साथ-साथ इन उपायों को करने से निकट भविष्य में कुछ प्रगति कर सकना सम्भव होगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया : जैसा कि मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, और उन्होंने उल्लेख किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कपास विकास कार्यक्रम के लिए केवल 3.9 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं । क्या वह हमें यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने एक सिफारिश की है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कपास उत्पादक क्षेत्रों के विकास के लिये कम से कम 12 करोड़ रुपये की राशि रखी जानी चाहिये और यदि हां, तो उनका मंत्रालय योजना आयोग पर इस बात के लिए जोर देने के बारे में क्या कर रहा है कि कपास उगानेवाले क्षेत्रों के विकास के लिये 12 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाए ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : अन्य फसलों की भांति, कपास की खेती भी राज्य के क्षेत्र में आती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य सरकार को कार्यवाही करनी है । राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा एकमुश्त-अनुदान दिया जाता है लेकिन यह राज्य सरकारों का काम है कि वे कपास के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे ।

जहां तक अनुसंधान और अन्य मूलभूत कार्यों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने कुछ राशि का उपबन्ध किया है और मैं सोचता हूं, अगर किसी भी स्तर पर, हमें ऐसा विदित हो जाय कि अनुसंधान के लिए रुपये पर्याप्त नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार अनुसंधान आदि के विकास के लिए अधिक रुपये उपलब्ध कराने में हिचकिचायेगी नहीं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : कपास के उत्पादन में वृद्धि न हो सकने का एक मूल कारण उन संस्थानों के काम में ढिलाई है, जिनका नाम मंत्री महोदय ने थोड़ी देर पहले लिया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय बीज निगम इस प्रकार कार्य कर रही है कि कपास के अच्छे किस्म के बीज तैयार करने के मामले में तथा कृषकों को समय पर उनकी पर्याप्त सप्लाई करने के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कपास की किस्म सुजाता को हाल में तैयार कर लिया गया है, इसे 70 नम्बर तक काता जा सकता है, और इसे बाहर से आने वाले लम्बे रेशे वाले धागे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है, और एम० सी० यू० 56 भी तैयार किया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीय बीज निगम को इन दो किस्मों को बड़े पैमाने पर तैयार करने और इनको कृषकों को उपलब्ध करने के बारे में अनुदेश दिये जायेंगे ताकि विदेशी मुद्रा व्यय को जल्दी ही रोका जा सके।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जैसा कि मैंने विवरण में स्पष्ट कर दिया है, हम बीजों का आयात नहीं कर रहे हैं। हम बीजों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर रहे हैं।

जहां तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सम्बन्ध है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूँ। लेकिन शायद माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि पहले यह काम भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के अन्तर्गत था और उस समय कार्य काफी बिखरा हुआ था। जैसा कि मैंने पहले कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पुनर्गठित करने के पश्चात अब सम्बन्धित प्रयास करना संभव हुआ है। अब राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुभव को समन्वित कर रहे हैं तथा अब पहले से काफी सुधार हुआ है।

Shri Gurcharan Singh : I would like to know from the Hon. Minister whether the cultivators have switched from Cotton to Wheat becuase of high yielding varicty of seeds of Wheat being imported into India and also Cotton cultivation does not pay as much as Wheat? Are Government introducing improved Cotton seeds so that Cotton cultivation may prove as profitable as Wheat cultivation?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : विशेषज्ञों ने हमें परामर्श दिया है कि ऐसे बीजों का सीधे आयात तथा उनका प्रयोग व्यवहार्य नहीं है लेकिन विश्व में, कपास पैदा करने वाले प्रमुख देशों में, जहां कहीं भी अच्छा माल मिलता है उसे हम अपने अनुसंधान संगठनों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं और कपास की स्थानीय किस्में भी तैयार की जा रही हैं जो हमारी जलवायु के अनुकूल होंगी।

Shri Deorao Patil : Our goal is to achieve self-sufficiency in the Cotton and to increase its per acre yield. May I know whether it is a fact that a price policy in order to increase production of cotton, there has to be a price policy and whether it is a fact that the maximum and minimum price of cotton has not been fixed? May I know whether, the lack of a price policy is the reason why cotton growing is not remunerative

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि मूल्य नीति के कारण उत्पादन कम हो रहा है। जैसा मैंने कहा, उत्पादन कम नहीं हो रहा है, वह बढ़ रहा है। यह सही है कि उत्पादन में माननीय सदस्य की आशाओं के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही है। इस पर हम ध्यान देंगे, मूल्यों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। चालू वर्ष की कीमतें उत्पादकों के लिए काफी आकर्षक रही और उन्हें लाभ हुआ है। स्वयं माननीय सदस्य की मांग के परिणाम स्वरूप 2 वर्ष पूर्व कपास की

अधिकतम सीमा को हटा दिया गया था, केवल न्यूनतम मूल्य को संरक्षण दिया गया है और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए उन्हें ऊंचे मूल्य प्राप्त होते हैं।

Shri Deorao Patil : I have asked whether prices of cotton will be fixed.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह बात पहले भी स्पष्ट की गयी थी, इस सम्बन्ध में हमने विशेषज्ञों से परामर्श किया है और वे यह कहते हैं कि यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि सारे देश में उस मूल्य को निर्धारित करने के लिए श्रेणीकरण केन्द्र (ग्रेडिंग स्टेशन) स्थापित नहीं किये जाते।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जन-संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और आगामी 30 वर्षों में जन संख्या दुगुनी हो जायेगी, इस बात को देखते हुए सरकार के पास कृषि-क्षेत्र को बढ़ाये बिना कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कौन सी दीर्घकालीन योजनायें हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार दीर्घकालीन योजनाओं के बारे में विचार कर रही है या नहीं।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सरकार का दृष्टिकोण कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। हम प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करना चाहते हैं। हम क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं करना चाहते। आशा है कि राजस्थान, पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों में कपास के विकास के लिए सिंचाई की सुविधायें दी जायेगी। ऐसे कार्य हो रहे हैं और प्रति एकड़ उपज भी बढ़ रही है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इसका विकास कब किया जायेगा ? वर्तमान उत्पादन कब दुगुना हो जायेगा ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : ऐसी भविष्य वाणी करना मेरे लिए कठिन है।

Shri Beni Shanker Sharma : The Hon. Minister has said just now that the production of Cotton is not satisfactory in the country and it is borne out by the figures which he has quoted. He has stated in part (C) of his reply :

To increase the production of cotton and to achireve Self-sufficiency as far as possible package programmes and Cotton development schemes sponsored both by the Central and the State Governments are being implemented."

Though there is black Cotton soil in the southern part of Bihar, specially in Santhal Pargana and Bhagalpur District, which is suited to Cotton cultivation but we see that Cotton is not grown there. Therefore, may I know whether are Government contemplating to increase per aere yield as also to produce Cotton in new areas like Bihar, where there is black Cotton Soil ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिला सकते हैं।

श्री एस० आर० दामानी : हमारे यहां कपास की प्रति एकड़ उपज विश्व में सबसे कम है। यह प्रति एकड़ 113 पौंड है जब कि दूसरे देशों में 650 पौंड है। प्रयोग किये गये हैं और यह सिद्ध किया गया है कि यहां तक कि वर्षा, पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज बढ़कर 250 पौंड तक हो गयी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए उपाय किये गये हैं। हमने इसे राज्यों पर छोड़ दिया और गत दस वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उत्पादन 60 लाख गांठों से कम हो गया है। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

कपास के उत्पादन के लिये एक विकास बोर्ड स्थापित करने के बारे में सोच रही है अथवा सोचेगी ताकि कपास की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किये जायें।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैंने यह नहीं कहा कि वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करने की कोई सम्भावना नहीं हैं। मैंने कहा था कि वर्षा पर निर्भरता की स्थिति में कुछ सीमायें है लेकिन इन स्थितियों में भी पौधा-संरक्षण उपाय करके तथा आवश्यक अच्छा बीज उपलब्ध कराकर प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करना सम्भव है। जहां तक दूसरी एजेंसी स्थापित करने का सम्बन्ध है हमारे पास कपास के विकास के लिए पहले ही एक परिषद है और वह अच्छा कार्य कर रही है।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it is a fact that long staple Cotton of superior quality cannot be produced if it rains at the time when bolls are coming up ? If so, whether Government will make efforts so that irrigation is provised in all dry areas where cotton is grown ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह तो कार्यवाही का सुझाव है लेकिन यह सिंचाई की सुविधाओं पर निर्भर करेगा। राजस्थान के पास ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां सिंचाई की सुविधाओं के पश्चात ऐसा विकास हो सकता है।

श्री मनुभाई पटेल : कपास के उत्पादन में कमी का कारण केवल कपास के बीज नहीं हैं। वे मुख्य कारण हैं लेकिन सरकार की सम्पूर्ण नीति भी इससे सम्बन्धित है। कपास की विलम्ब से होने वाली किस्म के देर से बाजार में आने के कारण कीमतें गिरती हैं और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी घटता है क्योंकि कृषकों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने जल्दी होने वाली कपास की किस्म का बीज उपलब्ध कर लिया है जिसे उन कुछ क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है जहां विलम्ब से होने वाली कपास पैदा होती है। जहां तक कपास की आयातित गांठों का सम्बन्ध है क्या उनको उठाने की अनुमति केवल स्थानीय गांठे उठाये जाने के बाद ही दी जायगी ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक दीर्घ अवधि वाली अथवा अल्प अवधि की किस्म वाली कपास का सम्बन्ध है, इस ओर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा देश के अन्य अनुसंधान संगठनों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। जहां तक आयातित कपास को कब छोड़ने का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूँ माननीय सदस्य को यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय से पूछना पड़ेगा।

Kannada Film "Samskar"

*1324. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that famous authors, artists, and intellectuals have demanded that the ban imposed on the Kannada film " Samskar " be lifted ;

(b) Whether they have also demanded that the rules and regulations regarding film censorship need radical changes , and

(c) If so, the time by which these rules are likely to be modified radically ?

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know the reasons why as ban was imposed on the Kannada film 'Samskar'? What were the defects in that film which necessitated a ban?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 'संस्कार' फिल्म के निर्माता ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के फिल्म को प्रमाण-पत्र न देने के निर्णय के विरुद्ध सरकार के पास अपील की है। सरकार ने फिल्म की जांच करने के उपरान्त यह निर्णय किया है कि छोटी-छोटी कांट-छांट करने के उपरान्त फिल्म को प्रमाण-पत्र दे दिया जाए।

(ख) तथा (ग) : सेंसर सम्बन्धी समूचे प्रश्न पर फिल्म सेंसर सम्बन्धी जांच समिति ने जांच की है। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा मैंने कहा, सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया; छोटी-मोटी कांट-छांट के उपरान्त सरकार ने वयस्कों के लिए प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र पहले ही दिया है।

Shri Ram Gopal Shalwale : This film was banned once, and an appeal was made against it. Please give us information in this regard.

श्री इ० कु० गुजराल : स्थानीय समिति जो कि इसकी जांच समिति है, और संशोधन समिति ने अपना मत व्यक्त किया कि यह फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक नहीं है। सरकार उनके विचारों से सहमत नहीं हुई।

श्री कंवर लाल गुप्त : फिल्म का अनुचित अंश क्या था? इसका कुछ विवरण दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार बीच में नहीं पड़ना चाहिए।

Shri Ram Gopal Shalwale : My first question was why a ban was imposed on this film. The Minister did not give any reply to this. Secondly, may I kbow what are the reasons given by the artists and authors while suggesting changes in the film Censorship?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक कांट-छांट का सम्बन्ध है, समिति ने महसूस किया कि फिल्म की कहानी ऐसी है कि उससे जनता के एक भाग की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। संशोधन समिति ने जांच समिति की सिफारिशों का दो के मुकाबले में पांच के बहुमत से समर्थन किया। सरकार ने फिल्म निर्माता की अपील स्वीकार की है।

कई भारतीय और विदेशी बुद्धिजीवी फिल्म निर्माताओं ने और कई संसद सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखा और मांग की कि निर्णय पर, पुनर्विचार किया जाए। उनकी दलील यह थी कि यह फिल्म जनता के किसी भी विभाग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाती, बल्कि उसमें केवल कर्मकांड पर आक्षेप किया गया है।

श्री जी० विश्वनाथन : जिस फिल्म में समाज सुधार की भावना हो, उसे फिल्म सेंसर बोर्ड ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता क्योंकि वह हमेशा समाज को वैसा ही बनाये रखने का हामी है। क्या प्रतिबन्ध लगाने के कारण निर्माता को या निदेशकों को बताये गये थे? क्या यह सच नहीं है कि अपील के बाद, मंत्री महोदय ने खुद फिल्म देखी और प्रतिबन्ध हटाना चाहा, मगर

उनके आदेश के बाद भी दफ्तर वालों ने काफी समय तक फाइल को रोके रक्खा और अन्य अड़चनें डाली ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्से का सम्बन्ध है ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। यह फिल्म कन्नड़ भाषा में थी, अतः यहां बहुत कम लोग इसे समझ सकते हैं। अतः इसको समझने में कुछ समय लगा। फिल्म देखने और उसके संवाद का अनुवाद होने पर मालूम हुआ कि यह अच्छी फिल्म है। इसीलिए सरकार ने इसे "वयस्कों के लिए" प्रमाण-पत्र दिया। अपनी मूल अपील में फिल्म निर्माता ने 'सार्वजनिक प्रदर्शन' के प्रमाण पत्र की मांग की थी। उस फिल्म के एक हृदय के कारण 'सार्वजनिक प्रदर्शन' का प्रमाणपत्र देना असम्भव हो गया। सरकार ने दो दृश्य कटने बाद 'वैयस्कों के लिए' प्रमाणपत्र दे दिया।

श्री अनन्तशव पाटिल : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस फिल्म की कहानी का विषय समाज सुधार था और क्या कुछ आपत्तिजनक वार्तालाप या आपत्तिजनक प्रेम दृश्य के कारण इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस फिल्म की कहानी रूढ़िवाद और उस पर किये गये आक्षेप से सम्बन्धित है। उन दो समितियों ने, जिनकी चर्चा मैंने की है महसूस किया कि इसकी कहानी ब्राह्मणों के सम्बन्ध में है।··· (अन्तर्बाधा)

श्री ए० श्रीधरन : अब तो पोल खुल गई।

श्री इ० कु० गुजराल : इसी कारण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि फिल्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। जो बात मेरे माननीय मित्र ने कही, उसके आधार पर किसी ने भी विरोध नहीं किया था।

श्री क० लकप्पा : यह फिल्म बहुत ही आधुनिक, प्रगतिवादी, सुसभ्य एवं उपदेशात्मक है और इसमें क्रांन्तिकारी परिवर्तन की भावना है। सेंसर बोर्ड के कुछ लोगों ने इस फिल्म को दबाकर रखना चाहा क्योंकि उनका इसमें निश्चित उद्देश्य था। आजकल हिन्दी और कन्नड़ फिल्मों में प्रतियोगिता चल रही है। उन्होंने इस फिल्म में चित्रित समाजिक क्रांति के लिए विचारों को दबाना चाहा। इस फिल्म को सेंसर करके उन्होंने घोर पक्षपात किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं है।

श्री क० लकप्पा : इसका लक्ष्य सामाजिक सुधार है।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : हमें फिल्म को एक बार देखना चाहिए। उनके जवाब से हमें संतोष प्राप्त नहीं।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या आप हमें फिल्म देखने का निमंत्रण देंगे ? तभी हम इस पर निर्णय कर सकते हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह है कि सारा विवाद अब समाप्त हो चुका है। सरकार ने फिल्म को स्वीकृति दी है, और प्रमाणपत्र भी दिया है। सरकार ने दो स्थलों पर काट-छांट का सुझाव दिया था, निर्माता ने उसे स्वीकार भी किया है।

श्री इ० के० नदनार : फिल्म सेंसर बोर्ड क्रांतिकारी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाने में कुख्यात है। जांच समिति ने उनकी आलोचना की है...

अध्यक्ष महोदय : यह एक अनुचित रिवाज है कि आप किसी संपादकीय टिप्पणी या किसी प्रतिवेदन को पढ़ना शुरू करते हैं आप अनुपूरक प्रश्नों के रूप में अपनी बात पूछिये।

श्री इ० के० नदनार : फिल्म सेंसर बोर्ड में ऐसे लोग हैं जिन्हें कहानी या फिल्म सम्बन्धी जरा भी ज्ञान नहीं है। वे वही लोग हैं जिनका दस पन्द्रह रुपये कमाने के सिवा कोई और खास काम नहीं है। जांच समिति का विचार यह है। यह बोर्ड उन फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाता है जिनमें क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों की विचारधारा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने बोर्ड की कमियों पर विचार किया है ?

यह केवल कन्नड़ भाषा फिल्म के सम्बन्ध में ही नहीं है, हाल में मलयालम में प्रख्यात नाटककार श्री एन० एन० पिल्लै के नाटक के आधार पर एक फिल्म बनाई गई। उसका भी सेंसर हुआ है। प्रान्तीय भाषाओं में जो क्रांतिवादी फिल्में बनती हैं, अनभिज्ञ लोगों द्वारा उनका सेंसर होता है। असल में वे प्रान्तीय भाषा की फिल्मों के प्रति भेदभाव बरत रहे हैं।

वे जो ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे हैं, बिलकुल अनभिज्ञ हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां एक फिल्म के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। आपने पूरे फिल्म उद्योग के बारे में विचार किया है।

श्री इ० कु० नदनार : क्या सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड को बदलने पर विचार करेगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं यह उम्मीद लगाये बैठा था कि माननीय सदस्य मुझे बधाई देंगे। हमने प्रमाण-पत्र दिया और निर्माता की अपील स्वीकार की है। मगर मेरे माननीय मित्र इस बात से चिंतित नजर आते हैं कि निम्नस्तर पर गड़बड़ हुई। आखिर जब अपील आई, सरकार ने उसे स्वीकार किया। मुख्य बात यह है।

जहां तक सेंसर बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, खोसला आयोग का प्रतिवेदन हमारे पास है। जब भी फिल्म की चर्चा होती है अक्सर यह देखा जाता है कि जितना ध्यान चुंबन की बात पर दिया जाता है, उतना अन्य किसी भी बात पर नहीं दिया जाता। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने अन्य बातों पर विचार किया है। जब खोसला आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जायेगी, तो माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि सरकार ने उचित निर्णय ही किया है। वे इसको अवश्य सही मानेंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : डा० अनन्तमूर्ति की फिल्म 'संस्कार' माध्व ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड पर आधारित है। क्या इसकी पटकथा जगद्गुरू शंकराचार्य को दिखाई नहीं गई की जिन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं की ? फिल्म निर्माता ने इसके निर्माण में बहुत राशि खर्च की थी। क्या यह सच है कि कन्नड़ भाषा के पन्द्रह लेखकों ने एक वक्तव्य में सरकार से मांग की थी कि इस फिल्म का बिना किसी काट-छांट के प्रदर्शन किया जाए क्योंकि इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, और अगर है भी, तो भी यह फिल्म देश में सामाजिक सुधार लाने के लक्ष्य से बनाई गई है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं उन से सहमत हूं। मैंने खुद वह फिल्म देखी है...(व्यवधान) केवल दो स्थलों पर काट-छांट का सुझाव दिया गया था और निर्माता ने उसे स्वीकार भी कर लिया था।

एक, शूद्रों के बारे में जो जिक्र किया गया है, वह उचित नहीं मालूम हुआ...(व्यवधान) दूसरा जो मांस से संबंधित है और निर्माता इन दोनों अंशों के काटने से सहमत हुए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि यह हमारे लिए श्रेय की बात है कि हमने इसको प्रदर्शन की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री बाल्मीकि चौधरी और श्री नीतिराज सिंह चौधरी का है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : प्रश्न संख्या 1325।

एक माननीय सदस्य : श्री बाल्मीकि चौधरी उपस्थित हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : वे प्रश्न नहीं पूछते।

अध्यक्ष महोदय : वे इसमें स्वनिर्णय नहीं कर सकते। अगर वे उपस्थित हैं तो उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, अन्यथा वे बाहर जा सकते हैं।

श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री नीतिराज सिंह प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आगे अनुमति नहीं दूँगा।

ओलावृष्टि के बाद मध्य प्रदेश में कम अवधि की फसलें बोना और किसानों को दी गई सहायता

1325. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से रवी की फसलों को हुई भारी हानि को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल ही विकल्प रूप में कम अवधि की फसलों की बुवाई कर के उद्धार की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलों को कितनी हानि हुई हैं;

(घ) किसानों को सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कितना धन ऋण के रूप में दिया जायेगा; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित जिलों में किसानों को राहत देने तथा तालाबों को मरम्मत कराने के लिये राज्य सरकार को कोई आर्थिक सहायता दी है और यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) : लोक सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(क) और (ख) : इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। फिर भी, उन्होंने सूचित किया है कि सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जिन कृषकों की फसलों का उत्पादन 6 आने से भी कम रहा है, उनसे भू राजस्व की राशि को वसूली को स्थगित कर दिया जावे और नियमानुसार हानि का समुचित निर्धारण करने के उपरान्त,

राज्य सरकार भूमि राजस्व देयता की अदायगी में छूट के प्रश्न पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा तत्काल राहत के लिए की गई कार्यवाही निम्न प्रकार से सूचित की गई है :—

(1) सिंचाई तालाबों का तत्काल मरम्मत कार्य;

(2) जिन कृषकों के पास 5 से 14 एकड़ भूमि है उन्हें विकास उत्पादन ऋणों की स्वीकृति,

(3) कृषकों को बीज तकावी की स्वीकृति;

(4) बहुत से स्थानों पर सस्ते अनाज की दुकानें खोलना।

(ग) राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि जनवरी फरवरी और मार्च के महीनों में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खड़ी फसलों को कुछ हद तक हानि हुई है।

(घ) जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने उन किसानों को जिनके पास पांच से चौदह एकड़ तक भूमि है। विकास उत्पादन ऋण प्रदान करने का निश्चय किया है। किसानों को दिये ऋण की सही राशि तथा जिन माध्यमों से यह ऋण किसानों को दिया गया है उसके विषय में कोई जान कारी नहीं दी गई है।

(ड) राज्य सरकार ने अभी तक भारत सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न कुछ है और उसका उत्तर कुछ और। प्रश्न का खंड (क) वैकल्पिक अल्पकालीन फसलों के संबंध में है और उसके जवाब में सारे मुद्दे नहीं आते हैं। वैसे ही, खंड (ग) फसलों को हुई क्षति के बारे में है और उत्तर में इस के बारे में नहीं कहा गया। जनवरी में मध्यप्रदेश के आठ जिलों में भारी ओला वर्षा हुई। ओला वर्षा से बुरी तरह क्षतिग्रस्त जिले हैं होशंगाबाद और नरसिंहपुर जहां यथाक्रम 1 करोड़ और 5० लाख रुपए की क्षति हुई। मैं जानना चाहता हूं कि ओले पड़ने से मध्य प्रदेश में हुई क्षति का सही आंकड़ा क्या है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : वक्तव्य में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के कई मुद्दों को स्पष्ट किया गया है। फसल की क्षति के मूल्यांकन के लिए स्वाभाविकतया हमें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध में हमारा अपना कोई प्रबंध नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा जो जानकारी दी जाती है, हमें उस पर विश्वास करना पड़ता है। हमने राज्य सरकार से निरंतररूप से मांग की कि आवश्यक जानकारी हासिल कर दी जाए, मगर राज्य सरकार जानकारी देने में असमर्थ रह गई। अत: वक्तव्य में यह बात नहीं मिला दी जा सकी।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : प्रश्नों के खंड (घ) में सहकारी समितियों और रष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऋण की राशि के बारे में पूछा गया था। क्या किसी ने उन इलाकों का दौरा किया है ? वहां किसी भी प्रकार की फसलों का सवाल ही नहीं उठता। वहां पक्षी तक मर गये हैं। लोगों को खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती। बैंकों ने उन्हें सहायता नहीं दी। क्या उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है। यदि राज्य सरकार सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती है, तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : हमें पता चला है कि बैंक वाले किसानों से अक्सर प्रतिभूति मांगते हैं जो अपनी क्षमता के परे की बात है। कुछ दलाल बैंकवालों से किसानों के लिए सहायता का अनुरोध

कहते हैं क्योंकि किसान लोग ऐसे परिष्कृत लहजे में बोल नहीं सकते जिसकी बैंकवाले अपेक्षा रखते हैं। इसको देखते हुए किसानों को अपनी जमीन को बन्धक रखे बिना ऋण की सुविधा शीघ्र प्राप्त कराने के लिए और दलाल प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं आप का संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न के खण्ड (घ) में सहकारी समिति और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तर्गत आता है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : उस हद तक मैं यह कह सकता हूँ कि हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे फसलों के लिए ऋण देने की नीति को अपनायें इसका तात्पर्य है कि फसलों की प्रतिभूति पर किसानों को ऋण दिया जाए। इस संबंध में हमारा रवैया यही है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : दलालों को निकालने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, there was a heavy hait-storn this year and Delhi is its example. There was so much accumulation of hailstone on the roads that such a fall was never seen during the last 20 years and so, with your permission, I want to know from the Government as to what compensation they want to give to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and other States where there was a hail storm ? Because you are the guardian of the State Governments, so in that capacity I want to know what assistance the Central Government is providing ?

Mr. Speaker : The question relates to Madhya Pradesh ? You may take it in any light you choose.

Shri Sheo Narain : I have asked about both , viz., Madhya Pradesh and the border State.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : इससे सम्बन्धित प्रक्रिया सुस्थापित है। राज्य सरकारों को राहतकार्य के लिए कुछ राशि की अपने बजट में व्यवस्था करनी पड़ती है, यदि राज्य सरकारें यह समझती हैं कि यह पर्याप्त नहीं है तो वे केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर सकती हैं और केन्द्रीय सरकार उसका पुनरीक्षण करती है और मूल्यांकन करती है तथा उस मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सहायता दी जाती है।

श्री शिव नारायण : उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है इसलिये उन्हें अवश्य सहायता करनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दे चुका हूँ। मैं उन्हें इससे वंचित नहीं रखना चाहता।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में ओला-दृष्टि वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक अल्पावधि-फसलें बोने के इस तरीके को किसी अन्य राज्य में पहले भी प्रयोग किया गया था और क्या यह वहां सफल पाया गया था ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जहां तक अल्प अवधि वाली फसलों का सम्बन्ध है, इसे आरम्भ करना राज्य सरकारों का कार्य है। यदि कोई दैवी प्रकोप होता है और यदि अल्पावधि वाली फसल बोना सम्भव है, तो हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहेंगे। यदि वे हमारी सहायता चाहते हैं तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं लेकिन यह कार्य राज्य सरकारों का है।

खेतिहर मजदूरों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किया गया अध्ययन

*1326. **श्री देवेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता लगा है कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम को खेतिहर मजदूरों पर भी लागू करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० च० जमीर) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं यों तो, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पैराग्राफ 28-27 में बताया है कि अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने खेतिहर मजदूरों को अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया है। यह मामला सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।

Shri Deven Sen : I want to draw the attention of the Hon. Minister to the budget speech of the Labour Minister in which figures have been given regarding the minimum Wages in different states. I see that the wages of farm labourers in Tamil Nadu, are from 75 paise to Rs. 1.25. I want to know what are the reasons for diffenent minimum Wages in different states ? May I know whether Government have any norm for fixing the minimum Wages under the Minimum Wages Act ? I mean to say whether there is any norm in this regard under which the wages will be fixed, keeping in view the food and clothes and the number of members of a family. Keeping in view the different wages in different States, whether Government are considering to fix a Central Minimum Wage for the farm labourers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilition (Shri Bhagwat Jha Azad) : The provision for fixing wage for the landless labourers under the Minimum Wages Act is under the purview of different State Governments. It is true as the Hon. Member has stated that the Minimum Wage in Tamil Nadu is very low and not only this, it has not even been implemented throughout the State. It has been enforced only in some parts of the State. We, on our behalf, request the State Governments for making improvements in this respect and for fixing the Wages according to the prevailing rates. What else can we do ? Because agriculture is mainly a state subject, therefore we are not contemplating any action in this regard.

Shri Deven Sen : Will the Hon. Minister be pleased to state as to how long the part-time labourer remains in employment and whether it is also a fact that the period of employment is going on declining every year ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The part-time labourer remains in employment in some states for 3 months while in the other he is employed for 4 months ; but it is true that the landless labourer does not remain employed throughout the year in any State.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the Hon. Minister whether at the time of fixing the minimum wage for the farm labourer the following things are taken into account : the daily expenditure of a family, the things to be purchased during a month ; the prices of things during the year ; and the expendirture incurred in two years on marriages, the expenditure on children etc. May I know whether Government are considering to fix the minimum wage on the basis of these things by collecting all these data by making a study and by finding out as to what amount per month will be required for a family ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As has been said in reply to an earlier question, that so far as the question of giving minimum wage is concerned, the necessities of the farm labourer must be given consideration. But this is the duty of the different States, These

things are before them, and these questions should be considered. Wages are fixed by the State Governments. We can only make requests to them at times ; and this we do.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : अभी कुछ समय पहले जब इन मजदूरियों में संशोधन किया गया था, तब से किन राज्यों में अधिकतम मजदूरी है तथा किन में न्यूनतम मजदूरी है ?

Shri Bhagwat Jha Azad : So far as the maximum wage is concerned, it is in Kerala. There the wage is Rs. 4.50. In Haryana it is from Rupee one to Rupees two.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The Maximum Wage is in Haryana. There the wage is Rupees 4 to Rupees 5.

Shri Bhagwat Jha Azad : The wage in Kerala is Rs. 4.50. The wage fixed by the Central Government is from Rs. 2.50 to Rs. 3.70, next comes Punjab where a wage of Rs. 2.50 to Rs. 3.00 is given with meal and Rs. 3.00 to Rs. 3.50 without meals. The Minimum Wage is in Maharashtra and Tamil Nadu. In Maharashtra it is 0.62 paise to Rupee one and in Tamil Nadu it is from .75 paise to Rs. 1 25 and the wage is not even throughout the State ; it is in some parts of the State only.

Shri Molahu Prasad : I want to know from the Labour Minister through you whether the disputes arising between the farm labourers and farm owners at the district level regarding the low wages given and the atrocities committed against the labourers by the farm owners in collusion with the police, will be done away with by appointing a Gazetted Officer at the district level for this purpose or such suggestion will be given to the State Governments in this respect so that the atrocities being committed on the farm labourer are stopped.

The Agriculture Ministry is ready to take the help of Modern Machines . In the light of this I want to know whether the Labour Ministry is finding out any alternative employment for the farm labourers because they will be out of employment when the farming will be done by agricultural Machines ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, the Hon. Member should approach the State where his party is in power. I have repeatedly stated that the Central Government have their own limitations and the State Governments under the Constitution.

Fixation, revision and enforcement of Member Wage—all these three are important questions. All these three things are state subjects and for these we request them at times. We hold discussions with them at different conferences and request them. As the Hon. Member Shri Molahu Prasad stated, we ask them that they should not only determine the Minimum Wages but that these should be enforced by them.

So far as the question that they do not get employment, is concerned, it is clear that we want to give employment to all. This question is not related to one State only but to other States also and in this respect the State Governments do the needful in their States.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

Power Generation in Bhakra

26. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the position regarding power generation in Bhakra is causing concern and power supply to Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and Chandigarh has been curtailed to a great extent ;

(b) the period for which there would be scarcity of power and the measures Government propose to take to remove this scarcity ; and

(c) the extent of loss likely to be suffered by industrial and agricultural consumers of electricity ?

The deputy minister in the ministry of irrigation and power. (Shri Siddheshwar Prasad) (a) Yes, Sir,

(b) The present scarcity of power is likely to be over by the end of May, 1970, when the inflows in the river are expected to improve. All available additional sources are being tapped. However, to meet the general shortage of power prevalent in the area, concerned States and the Central Govern- ment have taken up several new power Projects.

(c) The Punjab and Nangal Fertilizer facotory have reduced their load by about 25 per cent. The States of Haryana and Rajasthan have also reduced their load on the system. The extent of the loss to which industrial and agricultural consumers of electricity may be put is however, not readily amenable to exact calculations and it would also depend upon the manner in which the cut is applied and alternative arrangements made for meeting the situation.

Shri Janeshwar Misra : Mr. Speaker, there have been two big achievements of this Government during the last 10 to 12 years—One is Panchseel and the other is Bhakra, Panchseel disappeared at the time of the Chinese aggression and Bhakra also suffered a crack. This time it has risked the lives of about 10 to 12 crore people. It was published in the newspaper of the 20th April that from the Govindsagar lake, from where water is used for the generation of electricity, 30 per cent less quantity of water of its total capacity is received. May I know whether the Government will try to make up this shortage by taking water from any river through a canal ?

My second question is that the curtailment of 20 per cent. has been made in the power supply to the industries and agricultural consumers. Two types of orders have been given. The first order is that industrial concerns and Cinemas should work only five days in a week and the second order has been given to the farmers and to the Tube-Well owners that they will not get power supply for three days. It should be explained. Why a difference of one day has been made between the industrial and agricultural consumers. These three questions I want to ask of the Government.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : भाखड़ी प्रणाली पर विद्युत भार तेजी से बढ़ता जा रहा है । उदाहरणार्थ केवल पंजाब में इस समय विद्युत भार 5 लाख है और आगामी चार वर्षों में यह 10 लाख तक चला जायेगा । भाखड़ा प्रणाली से विद्युत लेने वाले उत्तरी क्षेत्र पंजाब, हरयाणा तथा राजस्थान में बड़ी तेजी से जो विद्युत भार बढ़ा है उसका सामना करने में भाखड़ा प्रणाली समर्थ नहीं है । जहां तक अधिक विद्युत उपलब्ध कराने हेतु भाखड़ा से सतलुज को पानी मोड़ने का प्रश्न है, व्यास-सतलुज परियोजना इसी हेतु बनाई गई है जिस पर इस समय हम लगे हुए हैं । उस पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है और आशा की जाती है कि इसे चौथी

पंचवर्षीय के अन्त तक चालू किया जायेगा, जहां तक कटौती करने का प्रश्न है, पंजाब सरकार इस मामले से अवगत है और कटौती इस प्रकार करने का प्रबन्ध कर रही है जिससे कि समाज को कम से कम हानि हो। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हम पंजाब में ही इस कटौती में कमी करने का प्रयत्न कर रहे हैं उदाहरणार्थ, कल हमने दिल्ली में दूसरी मशीन चालू की और हमने दिल्ली प्रणाली का भार कम कर दिया है। इसी प्रकार राजस्थान भी भाखड़ा से अधिक विद्युत नहीं लेगा बल्कि चम्बल से लेगा। हमने उनसे निवेदन किया है कि वे उत्तर प्रदेश को बिजली न दें। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। कमी केवल एक महीने के लिए होगी।

Shri Janeshwar Misra : Mr. Speaker, he has not answered my one question; therefore. I am not asking my second question just now. He has not explained as to why there is a difference of one day between the industrial consumers, Cinemas and the agricultural consumers in respect of curtailment of power. In respect of farmers they have curtailed the power supply for tube-wells for three days while the industrial concerns and Cinemas will remain closed for two days in the week. Why is there such a discrimimination? Secondly, the people who are producing industrial and agricultural goods are confronted with a danger since they are showing their inability to abide by the agreement they have made for the supply of their goods in India and abroad. Their business is running in loss. Does the Government propose to compensate the loss suffered by these small industrial goods producers and the agriculturists due to hydel power and Bhakra project?

Would the Government tell the names of Engineer and high officials of the Ministry whose estimates were incotrrect and consequently there was a danger to Bhakra project? Would the Government punish those officers or atone for the loss and also come with an apology before the people of India?

डा० कु० ल० राव : यह कटौती अस्थाई है और स्थाई कटौती का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें पूरी तरह पता था कि मार्च और अप्रैल में सतलुज नदी में पानी नहीं रहता। भाखड़ा प्रणाली पर इतना अधिक भार बढ़ गया कि केवल भाखड़ा बांध से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। इसलिये जब तक दूसरी यूनिट स्थापित नहीं की जाती मार्च, अप्रैल में कटौती आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति आगामी वर्ष में भी आ सकती है। हमें आशा है कि दिल्ली में हम अधिक बिजली पैदा कर सकेंगे। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, मेरे विचार से कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्र बिजली की स्थिति परिवर्तनशील रहती है।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, through you, I would like is ask the Hon. Minister, whether it is a fact that the farmers have to pay more for the hydel power supplied from Bhakra as conmpared to the indusirtalists, who have to pay less for the same power?

Whether it is a fact that the Industrialists are getting power supply regularly whereas the power supplied to the farmers is suffering from occassional breakdowns?

Whether this also is not a fact that the Bhakra power is being supplied at the rate of 2 paise per unit in Delhi and the same power is being supplied at the rate of 5 paise per unit to U. P. from Delhi. Is it not a fact that the entitlement of Haryana to Bhakra power is not being met with and what action the Government has taken in this regard?

डा० कु० ल० राव : जहां तक हरयाणा का सम्बन्ध है यह सच है कि वहां के लिये भाखड़ा की बिजली में से 33 प्रतिशत कटौती करने की स्वीकृत की गयी है क्योंकि हरयाणा की दिल्ली

और फरीदाबाद से बिजली दी जा रही है । यदि ऐसा न हो तो वह भाखड़ा को बिजली के हकदार हैं । दर के सम्बन्ध में मेरा विचार 2 पैसे प्रति यूनिट का हिसाब सही नहीं है । यह 4 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है । यह भाखड़ा प्रणालो की विभिन्न पार्टियों के अनुबन्ध पर निर्भर है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । मन्त्री महोदय ने कहा है कि भाखड़ा पर भार बहुत अधिक है । इस भार से मुक्तिपाने के लिये यह बिजली घर देहर में बनाया जाना चाहिये था । इस बिजली घर के निर्माण के लिये 1971-72 तक का समय निर्धारित किया गया था । मैं चाहता हूं कि महोदय यह आश्वासन दें कि दुबारा जो समय निर्धारित हुआ है उस सयय तक कार्य पूरा हो जायगा अर्थात् देहर बिजली घर का निर्माण 1973-74 तक पूरा हो जायेगा, क्योंकि इस बिजली घर के बनने से चार नई मशीनें और काम करने लगेंगी जिनसे अधिक बिजली प्राप्त की जा सकेगी ।

दूसरे यह कि क्या आपने पारेषण लाइनों की व्यवस्था कर ली है ? मुझे यह सूचना मिली है कि देहर बिजलीघर से पैदा को गई बिजली होइन पारेषण लाइनों से नहीं भेजो जायेगी अपितु इस बिजलीघर से सतलुज नदी के लिये बहुत से पानी भी छोड़ा जायगा जिससे आप सभी 10 मशीनें चला सकते हैं । इसलिये क्या आपने पारेषण लाइनों का निर्माण आरम्भ कर दिया है जिससे देहर बिजलीघर के तैयार होने पर आप इस स्थिति में हों कि जितनी भी बिजली पैदा की जाय आप उस सबका पारेषण कर सकें ?

तीसरे यह कि मैं जानना चाहता हूं कि सीउल, सलाल और किसाऊ जैसे नये बाँध, जिनसे उत्तरी क्षेत्र के लिये आवश्यक बिजली पैदा की जायगी के निर्माण के संबन्ध में क्या आप निर्धारित समय पर अडिग रहेंगे ?

व्यास नियंत्रण मंडल के पास कोई विद्युत इन्जीनियर नहीं है । इन परियोजनाओं में कठिनाईयों को अनुभव करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर केवल सिंचाई इंजीनियर उपलब्ध हैं । क्या मंत्री महोदय केवल सिंचाई इन्जीनियरों की ही कल्पना करते हैं क्योंकि वह स्वयं सिंचाई इंजीनियर रह चुके हैं । ये बिजली एवं सिंचाई की मिली जुली परियोजना हैं, इनमें 70 प्रतिशत बिजली तथा 30 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है । परन्तु दुर्भाग्य से मंडलाध्यक्ष, सचिव, और समस्त इंजीनियर सिंचाई इंजीनियर हैं कोई भी विद्युत इंजीनियर नहीं है । इसीलिये इन परियोजनाओं का विकास नहीं हो रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन मंडलों के ढांचे में परिवर्तन किया जायेगा जिससे विद्युत् इंजीनियरों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके ।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सर्वोत्तम विशेषज्ञ प्राप्त करने के उद्देश्य से जम्मू और काशमीर, हिमाचल, पंजाब और हरयाणा के उत्तरी क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विद्युत् मंडल को अन्तर्राष्ट्रीय विवाद समाप्त करने के लिये कार्यकारी निकाय में परिवर्तित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विद्युत्मंडल योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का विचार कर रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : व्यास-सतलुज परियोजना से सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इसमें उत्तरी क्षेत्र कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग निहित है । हमारी इच्छा है कि जितनो भी शीघ्र सम्भव हो यह परियोजना पूरो हो जाय । दुर्भाग्यवश इन परियोजनाओं में बहुत अधिक लागत आयु की है इसीलिये कुछ कठिनाई हो रही है । किसी भी प्रकार से हम इस परियोजना को

1973-74 तक पूरा करने जा रहे हैं, कुछ महीने या अधिक हो सकते हैं परन्तु हमारा विचार इसे निर्धारित समय तक पूरा करने का है।

पारेषण लाइनों के निर्माण में 2 वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम व्यास-सतलुज परियोजना और पोंग बांध के निर्माणार्थ जो भी धनराशि हमारे पास उपलब्ध है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमने कुछ पारेषण लाइनें बनायी हैं और जितना शीघ्र हो सकेगा उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री श्रीचन्द गोयल : वह सदन को, यह बताकर कि इसमें दो वर्ष का समय लगेगा, गलत सूचना दे रहे हैं। इन पारेषण लाइनों के बनाने में 7 या 8 वर्ष लगेंगे। इसके बाद वह कहेंगे कि हमारे पास पारेषण लाइन नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के भाषण में व्यवधान न डालें। यही केवल एक ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अपने उत्तरों पर पूरा विश्वास है।

डा० रामसुभग सिंह : क्या दूसरे मंत्रियों को विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य यह है कि वह सदैव अविचलित रहते हैं। उनकी एक विशिष्टता यह है कि वे अल्पसूचना प्रश्न के लिये कभी मना नहीं करते और यह मेरे लिये एक सरदर्द है।

डा० कु० ल० राव : मैं कह रहा था कि विद्युत् उत्पादन में पारेषण लाइनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। हम सावधानी पूर्वक योजना बना रहे हैं आप इस विषय में आश्वस्त रहें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि निर्धारित समय के अन्दर ही हम इन पारेषण लाइनों को निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि यह कार्य पीछे लटका रहें।

सलाल और सीउल परियोजनायें भी निर्धारित समय के अन्दर ही पूरी हो जायेंगी।

व्यास निर्माण मंडल तथा विद्युत् इंजीनियरों आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में हम जो कार्यवाही कर रहे हैं वह यह है कि इन बड़ी परियोजनाओं के प्रथम चरण में जब सिविल इंजीनियरों का कार्य अधिक होता है तो हम सिविल कर्मचारी नियुक्त करते हैं और जब विद्युत् व्यवस्था क्रियान्वित होगी प्रारम्भ हो जाती है तब विद्युत् कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कल ही हमने विद्युत् इंजीनियरों के रखने तथा एक मुख्य विद्युत् इंजीनियर रखने का निश्चय किया है। यदि हम परियोजना के आरम्भ से ही विद्युत् की नियुक्ति कर लें तो धनराशि व्यर्थ जायेगी।

जहाँ तक क्षेत्रीय विद्युत् मंडल का प्रश्न है, हमने पहले ही उत्तरी क्षेत्र के लिये इसको व्यवस्था कर दी है। यह मंडल कार्य कर रहा है। क्रमशः प्रत्येक राज्य को इसकी अध्यक्षता प्राप्त होती है। वर्तमान समय में जम्मू और काश्मीर के मंत्री इस मंडल के अध्यक्ष हैं।

Shri Gurcharan Singh : The Hon. Minister has stated that Punjab is suffering from shortage of power supply. In view of the shortage and to supply power to Delhi and to industrials a cut has to be made for three days. On one hand there is acute shortage of power and on the other Ministers are promising electric connection to a good number of villages. Sometimes the number of the villages is 100 and sometime it is two hundred and the people already having connection are suffering. You have made a cut in power supply for three days and the landholders in Punjab, irrespective of the fact whether they consume it for one day or more, are paying at those rates.

I would like to ask, unless this cut is relieved of, the centre would ask and instruct the Punjab Government not to play with the interests of the people besides this, no fresh connection should be sanctioned. What steps are being taken by the Government to speed up Bhatinda Thermal plant in order to overcome the stortage ?

डा० कु० ल० राव : हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं । परन्तु आपत्ति यह है कि बिजली के लिये बहुत से आवेदन पत्र पड़े हुए हैं । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अतिरिक्त भार शीघ्र ही समाप्त किया जाय । यदि माननीय सदस्य की ऐसी इच्छा है तो हम इसे पूरा कर सकते हैं । दुर्भाग्यवश बिजली की मांग इतनी अधिक है कि हम मांग को ठुकराने में असमर्थ हैं । किसी भी प्रकार हम इसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । उदाहरण के लिये पंजाब सरकार ने ग्रामों द्वारा बिजली की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से और ग्रामों में बिजली की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ डीजल सैंट रखने का सुझाव दिया है । विशेष बात यह है कि जितनी भी मांग है हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं फिर भी मांग प्रतिदिन बढ़ती जाती है । पंजाब की 5 लाख किलोवाट बिजली की मांग आगामी कुछ वर्षों में 10 लाख किलोवाट होने जा रही है ।

Shri Onkarlal Bohra : Rajasthan is being supplied power from Chambal project. The power is not being supplied to Rajasthan at the rate the agreement was made. That is desert area, I would like to be assured by the Hon. Minister regarding the maximum water and power supply to Rasjasthan because in the absence of Rajasthan Canal whole of the area remains deserted. What special help the Government is going to provide us from Bhakra Dam in the absence of Rajasthan Canal ?

डा० कु० ल० राव : पंजाब और राजस्थान के बीच आवंटन बहुत स्पष्ट है । पंजाब और हरियाणा के मध्य निश्चय नहीं हुआ है । जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है उसके लिए पानी और बिजली का निश्चित आवंटन किया गया है । भाखड़ा प्रणाली से राजस्थान को 15·2 प्रतिशत बिजली और पानी मिलता है । यह सब निश्चित है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता । सिन्धु जल परियोजना से हमें जो अतिरिक्त पानी मिलने वाला है, उसके 158·5 लाख एकड़ फीट में से राजस्थान को 80 लाख एकड़ फीट पानी प्राप्त होगा । पंजाब और हरयाना के मध्य आवंटन का प्रश्न शेष रहता है । इस सम्बन्ध में निश्चय करने का प्रयत्न किया जा रहा है । जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है उसके लिए नियत और स्पष्ट आवंटन है ।

डा० सुशीला नैयर : मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रारम्भ में शक्ति की सप्लाई के लगाए गए अनुमान अनुभव से पता चलता है पूरे नहीं हुए हैं तथा भूस्खलन जितना कि अनुमान लगाया गया था उससे कहीं अधिक हुआ है । मुझे बताया गया है कि हिमालय के ऊंचे ढ़लानों पर वनों के काटे जाने के कारण वर्षा के कारण बहुत सी मिट्टी बह गई है, जिसके कारण भाखड़ा में बहुत बड़ी सीमा में भूस्खलन हो रहा है । यदि ऐसा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या पूर्वोपाय किए गए हैं जिससे कि यह परियोजना उन आशाओं को पूरा कर सके जिनको लेकर यह आरम्भ की गई थी ।

डा० कु० ल० राव : सदस्य का भाखड़ा जलाशय के भूस्खलन की ओर ध्यान दिलाना सही है । पर वह इतना तेजी से नहीं हो रहा है जिसकी कि चिन्ता की जाये । मूलतः हमने यह सोचा था कि जलाशय को 500 वर्षों में भूस्खलन होगा । अब हम सोचते हैं 350 वर्ष का समय ही बहुत अधिक होगा । दामोदर घाटी निगम जैसे देश के अन्य जलाशयों की तुलना में यह जलाशय

में चिन्ता जनक गति से भूस्खलन नहीं हो रहा है। जलाशय के महत्व और हेडवर्क्स में और समस्त क्षेत्र में बाढ़ आने की बात को ध्यान में रखते हुए हम जलाशय के भूस्खलन को कम करने के उद्देश्य से उसकी ऊंचाई बढ़ाने जा रहे हैं। हम इसके लिए आवश्यक भूसंरक्षण करने की ओर भी कदम उठा रहे हैं।

डा० सुशीला नैयर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ? कितनी बिजली बनने की आशा थी क्या वहां आशा में कितनी कम बन रही है।

डा० कु० ल० राव : बिजली बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Delhi also gets electricity from Bhakra-Nangal, Threatenning of stopping electricity was given so many times. I want to know that will the Government give assurance to the public of Delhi that they will get the electricity at the present pace and shortage will be made good.

डा० कु० ल० राव : भाखड़ा से दिल्ली को 120 लाख किलोवाट बिजली मिलती है इस समय केवल इतनी ही बात है कि जब कभी-कभी होगी हम उसे पूरा करेंगे और वह हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम दिल्ली के प्रत्येक एकक को चालू कर रहे हैं। अगले महीनों हम, जितनी भी सम्भव होगा, उतनी मदद करेंगे। जहां तक भाखड़ा से बिजली लेने का सवाल है, दिल्ली के सम्बन्ध में कोई दिक्कत नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चण्डीगढ़ में कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित वेतन

*1327. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित वेतन देने के संबंध में हिसाब लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ में उसे सरकारी कर्मचारियों और अर्धसरकारी कर्मचारियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनका वेतन आवश्यकता पर आधारित वेतन से कम है ; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में आवश्यकता पर आधारित वेतन दिये जाने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संघीय क्षेत्रों के कर्मचारियों की परिलब्धियों आदि के विन्यास का मामला भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीसरे वेतन आयोग को भेज दिया गया है।

छोटे समाचारपत्रों की वित्तीय सहायता

*1328. **श्री दे० अमात :** **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए

उस संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है जिस पर कि उनके मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय से परामर्श कर के विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) इसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) और (ग) : देश के छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। योजना की मुख्य बातों को इस अवस्था पर बताना संभव नहीं है।

विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे भारतीय समाचारपत्र

*1329. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को विदेशी सहायता मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम क्या है और उन्हें किन-किन देशों से सहायता मिलती है ;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(घ) भारतीय समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिये विदेशी सहायता को रोकने के हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अ० कु० गुजराल) : (क) से (घ)

विवरण

भारतीय समाचार पत्रों को मिलनेवाली विदेशी सहायता के बारे में भारतीय जिसमें समाचार अभिकरण भी सम्मिलित है, विदेशी सहायता की गुंजाइश और उसकी किस्म के कुछ पहलुओं की सीमित जांच की गई है। जांच को अंतिम रूप देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में पिछले आम चुनावों में तथा अन्य आपत्तिजनक उद्देश्यों के लिए भी विदेशी धन के उपयोग पर गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन पर 14 मई, 1969 को लोकसभा में गृह-मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सामान्य व्यापारिक लेन देन के अतिरिक्त किन्हीं विदेशी संगठनों, अभिकरणों अथवा व्यक्तियों से धन लेने पर उपयुक्त रोक लगाने के लिए अस्थायी वैधानिक सुझाव तैयार किए गए है। संसद में इस उद्देश्य का कानून प्रस्तुत करने से पूर्व विरोधी दलों के साथ इसमें निहित सिद्धान्त पर विचार विमर्श किया जाएगा।

वनस्पति के उत्पादन के लिए अन्य पदार्थों के स्थान पर सोयाबीन का उपयोग तथा इसका उत्पादन

1330. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वनस्पति के उत्पादन के लिए अन्य पदार्थों के स्थान पर सोयाबीन तेल का उपयोग किया जा सकता है ; और

(ख) क्या देश में सोयाबीन की खेती सफलतापूर्वक की गयी है और यदि हां, तो इसकी खेती कितने एकड़ भूमि में की जाती है और गत दो वर्षों में इसका कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहेब शिन्दे) : (क) सोयाबीन तेल वनस्पति का बदल नहीं है । वनस्पति की तैयारी के लिए केवल देशीय वनस्पति तेलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ।

(ख) देश में सोयाबीन की सफलता पूर्वक काश्त की गई है । उसके उत्पादन और उत्पादन के क्षेत्र के बारे में सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

Non-Payment of Sugar-Cane Price by Sugar Mills to Farmers

*1331. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrear of payment to be made by proprietors of sugar mills in each State for the period covering last year, till date to the farmers for sugarcane purchased from them ;

(b) whteher Government propose to take some legal action against the said millowners for not making the payment so far and to remove the difficulties that have cropped up as a result of non-payment ; if so, the nature thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that the present laws and administrative set-up is entirely inadequate for the said purpose ; and

(e) if so, the remedial steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : **(a)** A statement showing, as on 31st March, 1970, the total price of sugarcane purchased by sugar mills in each State during the year 1969-70, price paid and price in arrears and the arrears of sugarcane price for the year 1968—69 is attached.

(b) and (c) : The State Governments have been asked to take stringent and even coercive measures against the defaulting factories, including their prosecution to enforce prompt payment of sugarcane price by them.

(d) and (e) : Such of the State Governments as have no provision in their enactments for recovering arrears of sugarcane price as arrears of land revenue, have been advised to urgently consider making such a provision in order to be able to take more effective measures against the defaulting factories.

Statement

Statement Showing as on 31st March, 1970, Total Price of Sugarcane Purchased By Sugar Mills In Each State During The Year 1969-70, Price Paid and Priee In Arrears and Arrears Of Sugarcane Price For The Year 1968-69.

(Figures in Lakh Rupees)

	State	Total price due for cane purchased upto 31-3-70	Price paid upto 31-3-70	Balance cane price due as on 31-3-70	Arrears of cane price for 1968-69 season
1.	U. P.	8699.75	7672.80	1026.95	93.32
2.	Bihar ..	2313.62	1703.30	610.32	19.87
3.	West Bengal	106.43	79.16	27.27	0.01
4.	Assam	58.77	52.36	6.41	0.01
5.	Punjab	434.67	358.93	75.74	0.62
6.	Haryana	552.33	450.35	101.98	0.12
7.	Rajasthan	120.91	78.86	42.05	0.06
8.	Madhya Pradesh ..	204.59	103.94	100.65	0.19
9.	Orissa ..	114.59	41.93	72.66	0.32
10.	Andhra Pradesh ..	2059.56	1474.83	584.73	11.60
11.	Gujrat ..	357.52	266.01	91.51	5.41
12.	Maharashtra ..	4785.88	3389.53	1396.35	56.69
13.	Mysore ..	1396.99	1105.94	291.05	56.74
14.	Kerala ..	1235.75	116.03	9.72	Nil
15.	Tamil Nadu	1459.86	1151.67	308.19	2.94
16.	Pondicherry	62.25	30.95	31.30	0.33
	All India	22853.47	18076.59	4776.88	248.23

NOTE: Information in respect of 9 factories for current season is not available and has not been included in this statement, These factories are, Keshoraipatan in Rajasthan, Mehidpur in M. P., Girna, Pravara, Malegaon, Sadashivnagar and Panzar- khan in Maharashtra, Bardoli in Gujarat and Kampli in Mysore.

Famine in Bihar

*1332. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shri Chandra Shekhar Singh, the Revenue Minister of Bihar has said in the Bihar Legislative Council on the 30th March that one crore people of Bihar are famine-stricken;

(b) if so, whether the Bihar Government have sought any assistance from Central Government ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken so far or proposed to be taken by Government to provide relief to the famine-affected people ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Enquiries have been made in this regard from the Government of Bihar and their reply is awaited.

(b), (c) and (d) : A statement is attached.

Statement

The provision of relief following the occurrence of any natural calamity is primarily the responsibility of the State Governments. When the expenditure on relief measures is expected to exceed the amount taken into account by the Finance Commission in the scheme of devolution, the State Government concerned approach the Centre for financial assistance. On receipt of such requests, ceilings of expenditure for purposes of Central assistance are adopted, in the light of recommendations of Central teams of officers which are deputed to visit the drought affected areas for an on the spot assessment of the situation, and of the requirements of funds.

Bihar was affected by floods in 1969, and after following the above-mentioned procedure, ceilings of expenditure for rehabilitation measures were prescribed, While requesting for a review of the ceiling prescribed, the Chief Minister of Bihar drew the attention of the Government of India to the prevalence of drought conditions also, as well as loss of crops due to pests in parts of Bihar, which have necessitated some more expenditure on relief. A detailed report from the State Government in this regard, with particular reference to the estimated expenditure on relief, is still awaited. In the meantime, it has been decided that a Central Team of officers should visit the State at an early date to study the situation and make necessary recommendations.

Satellite for Broadcasting Purposes

*1333. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make use of satellite for broadcasting purposes in collaboration with America;

(b) if so, the progress made so far in this regard;

(c) the number of villages, towns and cities which would be benefited along with their respective States in India;

(d) the amount of expenditure likely to be incurred by India in this regard ; and

(e) the time by which this scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of information and Broadcasting and in the Department of communications. (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) : Department of Atomic Energy has entered into an agreement with NASA of USA for an experiment for direct TV transmission from satellite. It will be conducted in 1972-73.

(c), (d) and (e) : Details are being worked out and can be furnished afetr complete information is available.

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों के बड़े पैमाने पर आगमन के समाचार का आकाश वाणी से प्रसारण

*1334. **श्री समर गुह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संवाददाताओं ने इस समय पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों का उनके आगमन के कारणों का पता लगाने के लिए इन्टरव्यू करने का यत्न किया था और उनको प्रसारित किया था ;

(ख) क्या उक्त विषय सम्बन्धी समाचारों को आकाशवाणी की देशी तथा विदेशी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रसारित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रसारणों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) पूर्वी पाकिस्तान के बहुसंख्यक लोगों तथा प्रगतिवादी राजनीतिक दलों से अपील करने के उद्देश्य से कि वे पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जान उनके सम्मान तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए वहां पर शान्तिपूर्ण तथा सहयोग का वातावरण उत्पन्न करें, क्या आकाशवाणी भारतीय अल्पसंख्यक लोगों के नेताओं तथा विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की टिप्पणियां तथा वार्ताएं प्रसारित करने का कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो आकाशवाणी के इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में आए शरणार्थियों के बारे में प्रसारित समाचार अधिकांशतया एजेन्सी की रिपोर्टों पर आधारित था।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3355/71]**

(घ) प्रश्न में जिस प्रकार के कार्यक्रम को बताया गया है, उसको प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शरणार्थियों के आगमन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समाचार तथा उन पर कभी-कभी कमेंटियां पहले ही आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नये डाकघर खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

*1335. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों की नई शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही जिससे विकास के लिए रखी गयी धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग ही करने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गेहूँ के आयतन में कमी और राजसहायता में वृद्धि

1336. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूँ के आयात में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा दी जा रही वर्तमान राजसहायता की राशि में वृद्धि होगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : **(क), (ख) और (ग)** : खाद्यान्नों के आयात को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है । सरकार ने 1971 के बाद खाद्यान्नों के रियायती आयात को बन्द करने का निर्णय लिया है । सरकारी स्टाक से गेहूँ जारी करने के लिए सस्ते आयातित गेहूँ को मंहगे देशी गेहूँ के साथ रखा गया है । केन्द्रीय पूल में आयातित गेहूं की मात्रा में कमी होने से अधिप्राप्ति मूल्य के सम्बन्ध में गेहूँ के निर्गम मूल्य के प्रश्न पर स्वभावतः समीक्षा करनी होगी । जहां तक वर्ष 1970-71 का सम्बन्ध है, सम्भावी आयात को ध्यान में रखकर जो राजसहायता सम्भवतः देनी पड़ेगी, का हिसाब लगाया गया है और अनुमान है कि यह राजसहायता लगभग 10 करोड़ रुपये बैठेगी ।

Percentage of Soyabean used in Baby Food and its Source of Purchase

***1337. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the percentage of Soyabean in the baby food the production target of which has been fixed as 60,000 metric tonnes and the source and the agency through which Soyabean would be purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : Baby foods are of two types—one exclusively based on milk and the other called ' weaning food' which is mainly based on cereals and protein-

rich materials. Soyabean is one of the protein-rich materials used in the production of 'weaning foods'. The target for 'weaning foods' had been tentatively fixed at 20,000 tonnes. The percentage of Soyabean in the 'weaning food' varies from 15 per cent. to 25 per cent. The manufacturers incorporating Soyabean in the 'weaning food' are expected to purchase the same from indigenous production.

चीनी के मूल्य ढांचे को युक्तियुक्त बनाना

1338. **श्री बलराज मधोक** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न कारखानों में चीनी की उत्पादन लागत में काफी अन्तर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों के कारण, प्रत्येक क्षेत्र में बहुत से कारखानों को जिनकी उत्पादन प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, काफी घाटा उठाना पड़ेगा अथवा उनके बन्द होने की स्थिति आ जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या सरकार चीनी के मूल्य ढांचे को युक्ति-युक्त बनायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) क्योंकि चीनी का उत्पादन बहुत से तथ्यों जिनमें पेरे गए गन्ने से चीनी की उपलब्धि की प्रतिशतता, मौसम की अवधि, संयन्त्र तथा प्रबन्ध की कार्यकुशलता शामिल हैं, पर निर्भर करता है, इसलिए यह उत्पादन एक ही क्षेत्र में प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) जी नहीं। सरकार द्वारा लैवी चीनी के मूल्य इन तथ्यों और अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गयी लागत अनुसूचियों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सभी कारखानों के लिए 10·50 रुपये प्रतिक्विंटल का लाभ भी सुलभ किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राशन के गेहूँ में मिलावट

1339. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राशन की दुकानों पर सप्लाई किये जाने वाले गेहूं में पत्थर तथा अन्य गन्दी वस्तुएं मिली रहती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य उन व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है जो वितरण के लिये जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन दुकानों पर आकस्मिक छापे मारने का है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन तथा भारतीय खाद्य निगम को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा घटिया गेहूं दिये जाने के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थी । जांच करने पर आरोपों को ठीक नहीं पाया गया था ।

(घ) दिल्ली प्रशासन पहले से ही उचित मूल्य की दुकानों की जांच करता रहता है । इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन तथा भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अचानक छापे भी मारे जाते हैं ।

(ङ) क्योंकि छापों के दौरान भी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा घटिया किस्म के गेहूं के जारी करने सम्बन्धी कोई मामला नोटिस में नहीं आया है, अतः किसी दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोयाबीन का परिष्करण तथा विक्रय

1340. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार सोयाबीन की खेती में वृद्धि करने तथा उसके अत्यधिक प्रोटीन तत्व का पूरा उपयोग करने के लिए, देश में सोयाबीन का परिष्करण तथा विक्रय आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम से सोयाबीन का 85 रु० प्रति क्विंटल का साहाय्य मूल्य देने के लिए कहा गया है और जहां कहीं भी मूल्य इस स्तर से नीचे जा रहे हों, ऐसे स्थानों पर निगम उसी मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के प्रबन्ध कर रहा है । निगम डेविल्ड सोयाबील से खाने योग्य आटे के उत्पादन के बारे से भी विचार कर रहा है । उसका ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

उत्तर बिहार में आकाशवाणी केन्द्र

*1341. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार के मैथिली भाषी क्षेत्रों के लिए एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का इस बीच निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि स्थान के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो क्या सरकार उसे पूर्णिया में, जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, स्थापित करने का विचार करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) दरभंगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कार्मिक संघ प्रतिनिधियों की बैठक

*1342. **श्री जि० मो० विश्वास :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधियों की हाल में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या यह बैठक केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के निमन्त्रण पर आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकला ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) आपस में कुछ अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के पश्चात्, ट्रेड यूनियन नेता फिर शीघ्र ही बैठक बुलाने के लिए राजी हो गये हैं।

जिला तथा सब-डिवीजनल कस्बों में सुपर बाजार खोलना

*1343. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला तथा सब-डिवीजनल कस्बों में सुपर बाजार खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 1969 तक अधिकतर बड़े नगरों, जिनकी संख्या 83 है, में 95 'सुपर मार्केट्स' (सहकारी बहु-विभागी भण्डार) स्थापित किए गए थे। चौथी योजना में उन चुने हुए केन्द्रों में सहकारी बहु-विभागी भण्डार तथा बड़े-पैमाने की खुदरा यूनिटें स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जहां ऐसे भण्डारों के लिए अधिक मांग और सम्भाव्यता है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास का कार्यक्रम अब राज्य क्षेत्र में है और इस कार्यक्रम के विस्तार के स्वरूप तथा सीमा का निर्णय राज्य सरकारों को करना है।

औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्याय निर्णय

*1344. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निरन्तर उस सीमा तक अनिवार्यत: न्यायनिर्णय पर निर्भर रहने का है जिस सीमा तक वह औद्योगिक विवाद हल करने के लिए न्याय-निर्णय पर पहले निर्भर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार अब इस बात पर अधिक जोर देगी कि सम्बन्धित दल पारस्परिक आधार पर स्वेच्छा से समझौता कर लें क्योंकि केवल इसी से श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच लम्बी अवधि तक के लिये शान्ति स्थापित हो सकती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : औद्योगिक विवाद हल करने के लिए अनिवार्य न्यायनिर्णय पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रही। फिर भी, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि सामूहिक सौदाकारी पर जोर देने तथा अधिकाधिक रूप में उस पर निर्भर रहने की अधिक आवश्यकता है। सम्बन्धित पक्षों का परामर्श लेकर आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

किसानों के लिए आकाशवाणी पर प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिनों के समय में परिवर्तन

*1345. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लिए आकाशवाणी पर प्रसारित किये जाने वाले समाचार बुलेटिनों के प्रसारण का समय उनकी सुविधा के अनुसार नहीं है;

(ख) क्या इस बात की मांग की गई है कि समूचे देश में किसानों के लिए आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शाम 6 बजे न करके सायंकाल 7 बजे के पश्चात किया जाना चाहिये जब किसान वापस घर पहुँचते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Steps to raise standard of films in regionae languages

*1346. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the steps being taken by Government to raise the standard of the regional languages films ?

Minister of State in the Ministry of information and Broadcasting and in the department of Communications (Shri I. K. Gujral) : Government have set up a Film Finance Corporation and instituted National Awards for Films for encouraging the growth of films on healthy lines and to raise the standard of all films whether in Hindi or in regional languages. The Corporations provides loans to producers for production of films of good quality and thus help to raise the standard of films produced in the country. National Awards are given annually to the best feature films in each principal regional language.

सामुहिक खेती

*1347. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सामूहिक खेती के लिये कौन से क्षेत्र चुने हैं ;

(ख) सामूहिक खेती से क्या लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार द्वारा योजना पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : (क) : देश में सामूहिक खेती के लिये क्षेत्र चुनने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

छोटे कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की मृत्यु अथवा अंग-भंग होने पर मुआवजा दिए जाने के कानून

*1348. **श्री भारत सिंह चौहान :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकुम चन्द कछवाय : **श्री वंश नारायण सिंह :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा, कपास और तेल मिलों जैसे एक या दो मजदूरों को रोजगार देने वाले छोटे कारखानों में कार्य करने वाले तथा निर्माण कार्य आदि में ठेकेदारों द्वारा लगाये हुए मजदूरों को काम करते समय मृत्यु होने पर या उनके अंग-भंग होने पर मुआवजा देने के लिए क्या कानूनी व्यवस्था है ; और

(ख) यदि सभी प्रकार की आकस्मिक घटनाओं के बारे में पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कानून बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अनुसूचित रोजगारों में नियोजित ऐसे श्रमिकों को, जो 500 रुपये तक मासिक वेतन पाते हैं, काम करते हुये लगी चोट से हुई मृत्यु और विक्लांगता के लिए मुआवजे की अदायगी की व्यवस्था है । छोटे प्रतिष्ठानों में नियोजित श्रमिक, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं, बशर्ते कि उनके परिसर में विजली की सहायता से कोई निर्माण-प्रक्रिया की जा रही हो । निर्माण कार्य में नियोजित और ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिक अधिनियम के लाभ के भी हकदार हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Commercial Advertisement by Posts and Telegraphs Department.

†*1349. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Dr. Sushila Nayar :**
Shri S. M. Krishna :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and communications** be pleased to state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Department has decided to launch a drive for commercial advertisement on a large scale ; and

(b) if so, the details thereof and the estimated amount of income liekly to be earned annually as a result thereof ?

Minister of information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

काजू उद्योग का विकास

1350. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में काजू उद्योग के विकास के लिए कोई कार्यक्रम बना लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसमें उत्पादन तथा निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) योजना में पैकेज कार्यक्रम संगठन के माध्यम से मौजूदा बागानों से सघन उपज प्राप्त करने पर मुख्य जोर दिया जाता है । काजू की ग्रूटी बांधकर अधिक उत्पादनशील वृक्षों का उत्पादन करने, पैकेज पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन प्लाटों का आयोजन करने और पौध रक्षा उपायों को लोक प्रिय बनाने से सम्बन्धित योजनाओं को पैकेज कार्यक्रम में शामिल किया गया है और भारत सरकार ने इन योजनाओं को मंजूर कर लिया है ।

चौची पंचवर्षीय योजना में 76,000 मीटरी टन कच्ची गिरी के अतिरिक्त उत्पादन और 80,000 मीटरी टन काजू की गिरी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है ।

आकाशवाणी तथा टेलीविजन द्वारा प्रसारित किये जाने वाले लेनिन शताब्दी कार्यक्रम

8033. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लेनिन शताब्दी समारोहों के सम्बन्ध में आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र द्वारा प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों की संख्या कितनी है और वे किस प्रकार के हैं; और

(ख) सरकार को इन कार्यक्रमों पर कितना व्यय करना पड़ेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 133 रेडियो कार्यक्रम, जिनमें वर्तायें, रुपक, वार्तालाप, चर्चायें, कहानियां, प्रश्न और उत्तर, कमेन्ट्रियां है, तथा 5 टेलीविजन कार्यक्रम, जिनमें फिल्म डाकुमेन्ट्रियां फीचर फिल्म, यात्रा, वर्णन हैं, निश्चित किए गए हैं ।

(ख) इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय का सभी कार्यक्रमों के प्रसारित होने के बाद पता किया जा सकता है और इसे उसके बाद ही बताया जा सकता है । तथापि, इन कार्यक्रमों के लिये कैज्युअल आर्टिस्टों के बुक करने पर 5,000 रुपये खर्च आने का अनुमान है ?

दिल्ली विमान डाक तथा छंटाई डिवीजन दिल्ली के रेलवे डाक सेवा के अधिकारियों की बारी से पहले पदोन्नति

8034. **श्री नम्बियार : श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर/अक्टूबर, 1968, में दिल्ली विमान डाक तथा छंटाई डिवीजन, दिल्ली के उन्नीस रेलवे डाक सेवा अधिकारियों की बारी से पहले पदोन्नति दी गई थी ;

(ख) क्या पदोन्नति पाने वाले व्यक्ति वरिष्ठता सूची में वरिष्ठतम थे अथवा कनिष्ठ थे और उनकी सेवाएं क्या थीं ;

(ग) क्या इन उन्नीस व्यक्तियों को अनुचित पदोन्नति देने के लिये यह पद विशेष रूप से बनाये गये थे और इन पदों को बना कर इन व्यक्तियों को पदोन्नतियां देने में कुल कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है ;

(घ) कितने समय तक इन अधिकारियों को इन पदों पर बनाये रखा जायेगा ; और

(ङ) गृह मंत्रालय के हाल के आदेशों को ध्यान में रखते हुए क्या वरिष्ठता से सामान्य पदोन्नति के पात्र व्यक्तियों को पदोन्नत किया जायेगा और इनको इनके भूतपूर्व पदों पर लगाया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 19-9-68 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गैर-कानूनी सांकेतिक हड़ताल के तुरंत बाद दिल्ली में रेल डाक सेवा में बड़ी खराब हालत पैदा हो गई थी जहां पर आवश्यक सेवा अध्यादेश के अंतर्गत अपराधों के लिए गिरफ्तार सार्टरों को निलम्बित किये जाने के कारण उनके स्थान पर बहुत अधिक नई भर्ती करनी पड़ी थी । इसके परिणाम स्वरूप पर्यवेक्षण कार्य को मजबूत करने के लिए पदों का बनाना आवश्यक हो गया था । अतः पर्यवेक्षी पदक्रम में 19 अतिरिक्त पद बनाए गए और उन्हें पदोन्नति के लिए उपलब्ध डिवीजन के 19 कर्मचारियों को पदोन्नत करके भरा गया । इनसे वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि या तो वे मुअत्तिल थे और या कहीं अन्यत्र

डेप्यूटेशन पर थे। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय उन कर्मचारियों को पदोन्नति बिना वारी की गई थी। इसके बाद सरकार ने यह निश्चय किया कि इन 19 पदों को बने रहने दिया जाए और इन पर काम कर रहे लोगों को भी इन्हीं पदों पर उस समय तक काम करने दिया जाए जब तक कि उन्हें स्थायी काडर में खपा नहीं लिया जाता।

(ख) 19 कर्मचारियों की एक सूची, जिसमें उनकी सेवा से संबंधित ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3356/70]**

(ग) शुरू में ये पद सेवा के हित में बनाए गए थे क्योंकि हड़ताल से पैदा हुई हालतों की वजह से और पर्यवेक्षकों की जरूरत थी। इन्हें उन कर्मचारियों को पदोन्नति देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था।

30 अप्रैल, 1970 तक उठाया गया अतिरिक्त खर्च लगभग 9,414 रु० है।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले पर एक रिट याचिका दायर की गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

राज्य सरकारों को ट्रांजिस्टर-रेडियो सेटों की सप्लाई

8035. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कार्यकर्ताओं में वितरण के लिये राज्य सरकारों को, राज्यवार कर लागत वाले कितने ट्रांजिस्टर-रेडियों निःशुल्क सप्लाई किये गये हैं और इस पर अब तक वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार मध्य प्रदेश को कितने सेट दिये गये और उनकी लागत कितनी थी ; और

(ग) ये सेट निःशुल्क बांटने के कारण क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) निःशुल्क सप्लाई किये गये सेटों की राज्य-वार कुल संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	सेटों की संख्या
1. आसाम	237
2. केरल	310
3. मध्य प्रदेश	735
4. महाराष्ट्र	189
5. मैसूर	470
6. उड़ीसा	757
7. पंजाब	598
8. तमिलनाडु	1071
9. उत्तर प्रदेश	598
	4965 कुल लागत 4,65,369 रुपये

इनके अतिरिक्त, 88 सेट केन्द्र प्रशासित क्षेत्र, दिल्ली को सप्लाई किये गये।

(ख) मार्च/अप्रैल, 1969 के दौरान मध्य प्रदेश को 735 सेट सप्लाई किये गये जिनकी कीमत 68,915.00 रुपये थी।

(ग) देश में अधिक उपज देने वाले बीजों सम्बन्धी कार्यक्रमों के चालू हो जाने पर इनको तथा अन्य उत्पादन कार्यक्रमों की सहायता के लिये आकाशवाणी द्वारा चुने हुए केन्द्रों में कृषि तथा गृह यूनिटें स्थापित की गई। इन यूनिटों से किसानों के लिये खेती सम्बन्धी तथा उनकी समस्याओं सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। यह अनुभव किया गया था कि यह कार्यक्रम ग्राम सेवकों, जो किसानों और तकनीशियनों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं ; को क्षमता तथा या योग्यता में सुधार के लिये बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि ग्राम सेवकों के द्वारा निजी तौर से अपने रेडियो सेट लेना सम्भव नहीं होगा, अतः यह निर्णय किया गया था कि अधिक उपज देने वाले कुछ चुने हुए इलाकों के ग्राम सेवकों को राज्य सरकारों की मार्फत प्रयोगात्मक आधार पर सेटों को निःशुल्क दिया जाए।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों को फिल्म निर्माताओं पर बकाया राशियां

8036. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को किन-किन फिल्म निर्माताओं के नाम फिल्म वित्त निगम का कितना-कितना ऋण और ब्याज बकाया था और वह ऋण किन फिल्मों के लिये दिया गया था ;

(ख) किन-किन निर्माताओं ने अदायगी नहीं की है और उनसे ऋण की वापसी की आशा नहीं है और प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) किन-किन निर्माताओं को छूट दी गई है अथवा किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है और छूट वाले प्रत्येक मामले के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) दो विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ; जिनमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3357/70]**

आकाशवाणी के अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटरों के अहाते में ब्रिज टूर्नामेंट

8037. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व आकाशवाणी, नई दिल्ली के अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के अहाते में ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके आयोजकों ने आकाशवाणी के महानिदेशक से इसके लिये अनुमति ली थी ; यदि हां तो कब और क्या उचित प्रवेश पत्रों का प्रयोग किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो आयोजकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में आमतौर पर ऐसे टूर्नामेंट कराये जाते हैं ; यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने टूर्नामेंट आयोजित कराये गये थे ;

(ङ) आकाशवाणी ने इस क्षेत्र का जहां अधिक शक्ति वाला ट्रांसमोटर स्थापित है, प्रयोग किये जाने के लिये कितना धन लिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) टूर्नामेंट हाई पावर ट्रांसमिटर, आकाशवाणी किंग्सवे, दिल्ली की एअर बोम्स क्लब की सामान्य मनोरंजन गतिविधि के एक अंग के रूप में हुआ था, अत: इसके आयोजकों द्वारा आकाशवाणी महानिदेशक से उसके लिए अनुमति किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी, हां, दो ।

(ङ) शून्य ।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

8038. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1969-70 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये थे ;

(ख) वर्ष 1970-71 में विशेषकर जयपुर जिले में कितने टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे, कौन-कौन सा स्थान विभाग के विचाराधीन है और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये ऐसे स्थानों का चयन करने का मापदंड क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सकथल, कुंडल, दौसा तहसील के लोकन, बंससों और बस्सी तहसील के समारिजा गुड्डा, ककला, बांदी तहसील के बहरायल में नैन और बरैहा तहसील और जयपुर जिले के जावा, रामगढ़ तहसील के नैला में ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने की अधिक आवश्यकता है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1969-70 के वर्ष में राजस्थान राज्य में 83 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए थे ।

(ख) 1970-71 के वर्ष में राजस्थान में 50 और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने की संभावना है । जहां तक जयपुर जिले का प्रश्न है, 15 स्थान विचाराधीन हैं और इनमें से 8 स्थानों पर लाभकर होने पर टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था किये जाने की संभावना है । इस समय टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के नीति इस प्रकार है—

जिस स्थान पर किसी तरह की डाक सुविधा उपलब्ध हो, वहां योजना के लाभकर होने पर सामान्यतः सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जाता है। किन्तु अविकसित क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से विभाग ने कुछ श्रेणियों के स्थानों पर उनके प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या और सामान्य दूरसंचार जाल से दूरी के आधार पर घाटे पर भी सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति बनाई है। कुछ सीमित संख्या में तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि तथा सिंचाई परियोजना स्थलों और औद्योगिक बस्तियों में भी सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था करने के लिए विचार किया जाता है।

(ग) सैंथल, कुंडल, लावन, तूंगा, नैन और नैला में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों की जांच करने पर उन्हें अलाभकर पाया गया था। ये स्थान निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते। बांसखो, समारिआ और बदरायल में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई है।

गुड्डा कांटला में सार्वजनिक टेलीफोन घर 14-4-69 को खोला जा चुका है।

पोस्टकार्डों के लिये स्थलीय डाक दरें

8039. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टकार्डों को स्थलीय डाक से ले जाया जायेगा जैसा कि 13 अप्रैल, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था और यदि हां, तो इसके लिए पुरानी दर 6 पैसे न लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इसके लिए दो दरें अर्थात् स्थलीय डाक दर और हवाई डाक दर क्यों निश्चित नहीं की जाती ;

(ग) सभी पत्रों, अन्तर्देशीय पत्रों और पोस्ट कार्डों के लिए दो दरें अर्थात्, स्थलीय और हवाई डाक दर क्यों निश्चित नहीं की जाती और स्थलीय डाक की दरें गत वर्ष बढ़ाई गई दरों से पहले वाली क्यों निश्चित नहीं की जाती ;

(घ) यदि आये पत्रों, अन्तर्देशीय पत्रों और पोस्टकार्डों को विमान द्वारा और आधे को स्थल द्वारा, इस अनुमान पर कि उनकी संख्या बढ़ाई गई दरों से पूर्व की होगी, ले जाया जाय तो उससे कितनी आय की प्राप्ति होगी ;

(ङ) वितरण के समय मोहर लगाने के लिए कार्य को समाप्त करने के लिए कब कार्यवाही की जायेगी और इससे कितनी वित्तीय बचत होगी ; और

(च) इस विभाग में बचत संबंधी त्यागी समिति का अगला प्रतिवेदन, जिसका कि दरों के बढ़ाये जाने के समय बचन दिया हुआ था, कब उपलब्ध होगा।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक-तार सर्कलों आदि के पिछले सम्मेलन में गठित मितव्ययता उप समिति द्वारा की गई

सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है। इस समय यह सिफारिश डाक-तार बोर्ड के विचाराधीन है और माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए प्रश्न को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) तथा (ग) 'समस्त हवाई डाक योजना' के अंतर्गत देश के भीतर प्रथम श्रेणी डाक अर्थात् पत्रों, पोस्टकार्डों और पत्र-कार्डों के भेजने के लिए हवाई पारेषण एक सामान्य तरीका माना जाता है। 1950 में इस योजना के चालू किये जाने से पहले हवाई जहाज द्वारा ले जाई गई वस्तुओं पर हवाई अधिभार लिया जाता था।

(घ) इसे मानकर चलने पर कि चालू दरें उन्हीं मदों पर लागू होंगी जिन्हें हवाई डाक द्वारा ले जाया जाएगा और जल-थल मार्ग द्वारा ले जाई गई वस्तुओं पर मई, 1968 से पहले दरें लागू होंगी और यह कि केवल आधी वस्तुओं को ही हवाई डाक द्वारा ले जाया जा रहा है, तो मोटे तौर पर आय में 6·47 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है।

(ङ) इस योजना को कुछ चुने हुए स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर चलाने का सुझाव दिया गया है और इस बारे में अंतिम निर्णय लेना अभी बाकी है। इस योजना को कार्यरूप देने के बाद ही इसके परिणाम और इससे होने वाली बचत के परिमाण का पता चल सकेगा।

(च) डाक-तार शुल्कदर जांच समिति (1968) ने, जिसके अध्यक्ष श्री महाबीर त्यागी थे, आगे और कोई रिपोर्ट देने का वायदा नहीं किया था। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में अर्थात् चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, समयोपरि भत्ते की आदयगी आदि पर हुए बहुत अधिक खर्च के बारे में उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर डाक-तार बोर्ड द्वारा सक्रिय रूप से कार्यवाई की जा रही है। इनमें से प्रथम समस्या पर विभाग के दक्षता ब्यूरो द्वारा ब्यौरेवार विचार किया गया है और डाक-तार बोर्ड द्वारा उनकी रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है। अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श करके इस मामले पर आगे और कार्यवाई की जा रही है। समयोपरि भत्ते के खर्च को कम करने के मामले का इस समय दक्षता ब्यूरो अध्ययन कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

8040. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने 1970 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने टेलीफोन लगाने का निर्णय किया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : 1970 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7500 टेलीफोन लगाये जाने की संभावना है। इनमें से लगभग 7000 स्थानीय एक्सचेंजों से कनेक्शनों के रूप में दिए जाएँगे और लगभग 300 सार्वजनिक टेलीफोनों के रूप में।

हरियाणा में गन्ने की उत्पादन लागत तथा निर्माण मूल्य में अन्तर

8041. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अप्रैल, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अनुसार हरियाणा के किसानों ने अपने गन्ने को जलाना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) हरियाणा में गन्ने का वर्तमान विक्रय मूल्य और इसकी औसत उत्पादन लागत क्या है ; और

(ग) अब बेकार जा रहे गन्ने को बचाने तथा भविष्य में इसके क्षेत्र में होने वाली कमी को रोकने के लिये उत्पादन लागत तथा उस मूल्य के बीच, जो कारखाने देने के लिये तैयार हैं, अन्तर को पूरा करने के लिये राजकीय सहायता न देने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब शिन्दे) : (क) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास हरियाणा के गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ना जलाने अथवा गन्ना जलाने का निर्णय करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) हरियाणा के चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये प्रति क्विंटल है । इन पुटों की लागत के सूचकांक के आधार पर गन्ना विकास निदेशालय ने यह अनुमान लगाया है कि गन्ने के उत्पादन की औसत लागत लगभग 2400 रु० बैठती है जिससे प्रति हैक्टर 47.6 मीटरी टन का औसत उत्पादन होता है और उत्पादन की औसत लागत लगभग 5.04 रुपये प्रतिक्विंटल बैठती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांवों में डाक घर

8042. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने-कितने गांवों के लिए एक-एक डाकघर की व्यवस्था की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : लगभग 95,000

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के नैमित्तिक मजदूरों से अभ्यावेदन

8043. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) (1) अनियत श्रमिकों को 6 मास की लगातार सेवा-काल के पश्चात् "अस्थायी" का दर्जा दिया जाना चाहिए ।

(2) एक दिन के लिए भी नियमित कार्य के लिए नियोजित श्रमिकों को प्राधिकृत वेतन-क्रम के अनुसार अदायगी की जानी चाहिए ।

(3) अनुसूचित रोजगारों के संबंध में अदायगियों न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जानी चाहिए ।

(4) अन्य रोजगारों के मामले में मजूरी की दैनिक दरें प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए ।

(5) नियत श्रमिकों के संबंध में सेवा-नियत औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के अनुसार बनाए जाने चाहिए और उन्हें प्रादेशिक श्रमायुक्त से प्रमाणीकृत करवाया जाना चाहिए।

(6) डाक्टरी इलाज, बीमारी छुट्टी और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(7) श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि पेंशन तथा उपदान की अदायगी की जानी चाहिए ।

(8) 20 प्रतिशत स्थायी पद अनियत श्रमिकों द्वारा भरे जाने चाहिए ।

(ग) उठाए गए प्रश्न विचाराधीन हैं ।

दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेले में उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित पत्र न देना

8044. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेले में कोरिया (उत्तरी) लोकतन्त्रीय गणराज्य से कोई प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित नहीं किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया सरकार को निमंत्रण भेजा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि 1969 में दक्षिण कोरिया से एक नृत्य मंडली आमंत्रित की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : **(क) तथा** (ख) : एफ० आई० ए० एफ० पी० के नियमों के अनुसार उन सभी देशों को जो हर वर्ष 20 से अधिक फिल्में तैयार करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आतिथेय देश द्वारा आमन्त्रित करना होता है । उत्तरी कोरिया को इसलिये आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वहां साल में 20 से कम फिल्में तैयार होती है । दक्षिण कोरिया में 20 से अधिक फिल्में तैयार की जाती हैं, अतः उसे समारोह में आमन्त्रित किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र

8045. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर नगर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र डाक तथा तार विभाग के विचाराधीन हैं ;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिये जयपुर जिले में विभिन्न एक्सचेंजों में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ग) टेलीफोनों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आवेदकों को कब तक कनेक्शन दिये जायेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 728.

(ख) 33 (इनमें जयपुर सिटी के लिए 728 शामिल) नहीं हैं ।

(ग) लाइन सामान, केवल और एक्सचेंज उपस्कर की आम कमी के कारण इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

(घ) यह आवश्यक सामग्री की सप्लाई पर निर्भर करता है । प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे, इसकी कोई निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है ।

1970-71 में राजस्थान में डाकघर खोलना

8046. **श्री नवलकिशोर शर्मा : श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में राजस्थान में जिला-वार कितने डाकघर खोले गये ; और

(ख) 1970-71 में राजस्थान में जिला-वार कितने नये डाकघर खोले जायेंगे और जयपुर जिले में जिन स्थानों पर ये खोले जायेंगे उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1969-70 में राजस्थान में जिलावार खोले गए डाकघरों की संख्या इस प्रकार है—

श्रीगंगानगर	4
बीकानेर	10
चुरू	8
झुन्झुनू	6
अलवर	6
भरतपुर	10
सवाई माधोपुर	19
सीकर	16

अजमेर	7
टोंक	1
जैसलमेर	10
जोधपुर	9
नागौर	15
पाली	17
बाड़मेर	30
जालौर	23
सिरोही	6
भीलवाड़ा	12
उदयपुर	3
चित्तौड़गढ़	5
डूंगरपुर	1
बांसवाड़ा	—
बंदी	1
कोटा	2
झालवार	2
जयपुर	9

(ख) 1970-71 में राजस्थान में जिला-वार खोले जाने वाले डाकघरों के प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है :—

गंगानगर	8
बीकानेर	8
चुरू	6
झुन्झुनू	8
अलवर	8
भरतपुर	8
सवाई माधोपुर	5
सीकर	8
अजमेर	9
टोंक	9
जैसलमेर	7
जोधपुर	12

नागौर	8
पाली	9
बाड़मेर	6
जालौर	8
सिरोही	7
भीलवाड़ा	8
उदयपुर	11
चित्तौड़गढ़	8
डूंगरपुर	8
बंसवाड़ा	7
बूंदी	7
कोटा	11
झालवार	8
जयपुर	8

1970-71 में राजस्थान में जिन स्थानों पर नये डाकघर खोलने के प्रस्ताव हैं, उनमें से जयपुर जिले में स्थित स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

मोहबतपुर

दीदावाटा

भुइसपारा

बीलपुर

अमरपुरा

नेवार

विभागीय उप-डाकघर

सिविल कोर्ट्स

अर्जुन लाल सेठी कालोनी

Applications pending for telephone connections in Rajasthan

†8047. **Shri Ramesh Chandra Vyas**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) The total number of telephone connections at present in the entire State of Rajasthan ;

(b) The number of applications for telephones pending at present ;

(c) the number of applications received per month therefor and the number of telephone connections sanctioned ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to reduce the number of the pending applications ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) 26,335.

(b) 2,456.

(c) Average receipt of applications per month : 300 average number of Telephones sanctioned per month : 170.

(d) The work of expansion of Jaipur exchange from 9500 lines to 11900 lines is in progress and is expected to be completed by July, 1971. Expansion programme is also in hand for other exchanges in Rajasthan. New connections are being progressively provided in these exchanges. There are however limitations relating to availability of resources specially the underground cables and line stores.

Scheme to Provide Jobs for Refugees

8048. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) whether Government have formulated any special scheme to provide jobs to the refugees ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of refugees provided with jobs on aforesaid basis during the year 1969-70 and the nature of jobs provided ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation. (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) yes Sir.

(b) (i) Displaced persons are accorded priority for employment in vacancies in Central Government offices.

(ii) To help the East Pakistan migrants in finding employment, a special cell has been set up under the National Employment Service (Directorate General of Employment and Training) and five Employment Laison Offices opened in Shillong, Calcutta, Mana (M. P.), Vishakhapatnam and Madras.

(iii) Such of the displaced persons as have migrated to India from East Pakistan on or after 1-1-64 are granted the following concessions :—

(I) Relaxation of age limit upto three years in excess of normal upper age limit for appointments filled on the results of competitive examinations held by the Union Public Service Commission.

(II) For appointments not covered by (I) above, relaxation of maximum age limit for entry into Government services as well as for permanent absorption therein upto 45 years.

(III) In the case of displaced persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes age limits mentioned in (I) and (II) above further relaxed by 5 years in the Central services as well as All India Services.

(IV) Remission of application fees prescribed for posts advertised by the Union Public Service Commission in the case of bonafide displaced persons not in a position to pay the prescribed fees.

(iv) Arrangements have been made for imparting training to displaced persons from East Pakistan through Industrial Training Institutes, Training Centres specially set up for displaced persons and other institutions for equipping them for employment.

(v) Incentives in the form of investment in share capital, loans, grants and tax concessions are given to employers for providing employment to displaced persons.

(c) 674 new migrants from East Pakistan were found jobs during 1969-70 through the National Employment Service. Information regarding the nature of jobs provided is not available.

Deaths due to Starvation

8049. **Shri Jageshwar Yadav :** **Shri B. K. Daschowdhury :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some deaths have taken place in the country due to starvation during the year 1970.

(b) if so, the total number of such deaths and the names of places where such deaths have taken place ; and

(c) the action taken by Government to check such deaths ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Allegations about starvation deaths in the country that come to the notice of the Central Government are referred to the State Government concerned for verification. No such occurrence in any part of the country has been confirmed during 1970.

(b) and (c) : Do not arise.

डाक जीवन बीमा के प्रीमियम के लिये की गई कटौती सम्बंधी खोये गये विवरण पत्रों का ताल मेल बिठाना

8050. **श्री एस० डी० सोमसुंदरम :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक जीवन बीमा के प्रीमियम की कटौती नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिलों में से की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न प्रशासनिक विभाग और न ही डाक विभाग इस बात की ओर विशेष ध्यान देता है कि खोये गये विवरण-पत्रों के कारण सरकारी कर्मचारी को कोई कठिनाई न हो ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारी को पूछे बिना डाक विभाग द्वारा संबंधित विभाग के साथ खोये गये विवरण-पत्रों का तालमेल बिठाने के लिये व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर वेतन बिलों में से कटौती प्रति मास की जाती है--

(i) प्रीमियम की पहली किस्त के मामले में जिसकी अदायगी नकदी में डाकघर में करनी पड़ती है ।

(ii) यदि बीमादार बाद में भी प्रीमियम की अदायगी डाकघर में ही नकदी में करना चाहे ।

(iii) यदि अहर्ता अधिकारी ने वेतन बिल (वेतन या छुट्टी वेतन) से प्रीमियम की कटौती न की हो, तो जिस महीने का प्रीमियम हो उस महीने के 21वें दिन के भीतर बीमादार को डाकघर में नकदी इस राशि की अदायगी करनी होती है ।

(ख) तथा (ग) डाक-तार विभाग और प्रशासनिक कार्यालय इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि खोये गए विवरणपत्रों के कारण बीमादार को कोई कठिनाई न हो, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो जाते हैं जिनमें प्रशासनिक विभाग कटौती की राशि का ब्यौरा डाक जीवन बीमा संगठन को नहीं भेजते । ऐसे मामलों में भर्ती में बीमादारों से भी पूछताछ करनी होती है । खोये गए विवरण-पत्रों के मामलों को कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । यदि बीमादार अपने वेतन से कटौती के संबंध में अदायगी अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें, तो यह नहीं माना जाता कि खोये गए विवरणपत्रों की प्रीमियम की राशि उसकी और बकाया है ।

पी० बी० एस० बीड़ी फैक्टरी का केरल से मैसूर को स्थानांतरण

8051. **श्री पी० गोपालन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्रीय बीड़ी सिगार अधिनियम के उपबन्धों की केरल में कार्यान्विति को असफल बनाने के लिए केरल स्थित पी० बी० सी० बीड़ी फैक्ट्री को मैसूर राज्य में स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिनियम के लागू किए जाने पर पहले भी इसी प्रकार फैक्ट्रियों को स्थानान्तरित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय बीड़ी सिगार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य करार दिया जाए ; और

(घ) बीड़ी उद्योग के केरल से स्थानान्तरण को रोकने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) यह सूचना मिली है कि पी० बी० एस० बीड़ी कम्पनी मंगलौर के प्रबन्धकों ने केरल में कारखाने बंद करने का निर्णय इसलिए किया है क्योंकि वे घाटे में जा रहे थे। केन्द्रीय अधिनियम मैसूर में भी लागू कर दिया गया है।

(ख) अक्तूबर 1968 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स के प्रबन्धक मैसूर राज्य में स्थानान्तरण कर लेने का विचार कर रहे हैं जहां उस समय केन्द्रीय अधिनियम लागू नहीं किया गया था।

(ग) यह अधिनियम अब ऐसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है जहां बीड़ी और सिगार उद्योग मुख्यतः स्थित हैं।

(घ) मैसूर सरकार ने यह आश्वसान दिया है कि वह किसी प्रबन्ध को अपने कारखाने उस राज्य में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।

Distribution of Land among Landless People

8053. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Convocation Address of the Governor of Tamil Nadu in the Agricultural University at Pant Nagar Uttar Pradesh, emphasis had been laid on the abolition of food-zones and not on distribution of land among the landless people ;

(b) if so, whether it is also a fact that the aforesaid statement is not consistent with the policies of Central Government ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : The Governor in his Convocation Address in the Agricultural University at Pantnagar, Uttar Pradesh has not only laid emphasis on the abolition of food zones but also laid stress on the need for distribution of land among the deserving landless people in different villages. The Governor has also emphasised the need for reserving 10 to 25 acres in each development block for allotment to selected agricultural graduates so that they can establish model farms for the cultivators and thus help in spreading the modern methods of cultivation.

As regards the statement of the Governor made in the course of his Convo cation Address that the slogan of Land for the Landless is not a healthy one, it may be said that the Governor of Tamilnadu wanted that there should be a reduction in the number of people dependent upon land by increasing the pace of industrialisation.

Thus it would be seen that the Statement of the Governor of Tamilnadu in his Convocation Address at the U. P. Agricultural University in Pantnagar is not inconsistent with the policies of the Government of India.

बेल्जियम द्वारा आधुनिक होटल-उपकरण की सप्लाई

8054. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक होटल-उपकरण की सप्लाई के लिये बेल्जियम के साथ हाल में कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : **(क) और (ख)** : भारत सरकार और खाद्य तथा कृषि संगठन के बीच 23-12-1968 को प्लान आफ आप्रेशन पर हस्ताक्षर किए गये थे। इसके अधीन बेल्जियम, होटल प्रबंध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली के लिए उपकरण और प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति हेतु 40,176 डालर सहायता के रूप में दे रहा है।

Co-operative Banks in Uttar Pradesh

8055. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Co-operative Banks in Uttar Pradesh which ran into losses on account of mismanagement and political interference and which have been taken over by the State Government ;

(b) whether the rural cooperative societies were also adversely affected on this account ; and

(c) whether Government propose to enquire into the affairs of the said banks and to punish the guilty politicians and employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : **(a) to (c)** : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Allocation to Madhya Pradesh during Fourth Plan for Reclamation of Forests

8056. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the funds allocated in the Fourth Five year Plan for giving grants and assistance to Madhya Pradesh, separately, , for the reclamation of jungles across the rivers in dacoits-infested districts of Bhind, Morena and Datia of that State ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : There is no scheme for reclamation of the jungles across the rivers in Madhya Pradesh. However, there is a Centrally Sponsored Scheme of Pilot Project for Ravine Reclamation in district Morena of Madhya Pradesh. The scheme envisages reclamation of 5,000 acres of ravine lands durin g

the Fourth Five Year Plan for an outlay of Rs. 50.00 lakhs. The scheme is entitled to 100 per cent. grant from the Centre and is aimed at establishing the technical and economic feasilbility of large scale ravine reclamation.

Enquiry into Pahari Dhiraj Cooperative House Building Society, Delhi

8057. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the enquiry report in respect of Pahari Dhiraj Housing Society has not been sent to the complainants President but to the respondents, if so, the reasons therefor and when it would be sent to the complaimants ;

(b) whether the committee of the Society has held a m eting to consider the report, if so the details thereof ; if not the reasons therefor and when the said meeting would be held ;

(c) whether any receipt, issued by the property dealer for the amount received from the members of the said Society, was recovered about which no entry had been made in the accounts book, if so, the details and the reasons therefor and action proposed in this regard ;

(d) the salient features of the report and evidence and whether they would be laid on the Table ; and

(e) whether the case would be referred to the Police in view of the serious irregularities/complaints, if so, when ; if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering) : (a) and (b) Under the provisions of the Bombay Cooperative Societies Act, 1925, which is in force in Delhi, the results of the enquiry into the working, constitution and financial condition of Pahari Dhiraj Cooperative House Building Society were communicated to the Society by the Registrar of Cooperative Societies, Delhi, on 26th March, 1970 to set right the irregularities noted by the Enquiry Officer and intimate compliance within one month from the receipt of the results of the enquiry. The Managing Committee of the Society is expected to meet accordingly within the period indicated by the Registrar of Cooperative Societies. The reply from the society is awaited by the Registrar of Cooperative Societies, Delhi.

(c) A specific allegation was made during the course of the enquiry under Section 43 of the Bombay Cooperative Societies Act, 1925. A decision is to be taken by the statutory authority after receipt of the reply from the Cooperative Society.

(d) The Registrar of Cooperative Societies has to finalise his views with reference to the report of the Enquiry Officer and the reply from the Society. The question of laying a copy of the report containing the salient features and evidence on the Table of the House does not arise at this stage.

(e) It is for the Registrar of Cooperative Societies to take further action on this matter with reference to the Society's reply to his communication on 26th March, 1970.

भारतीय पशुओं तथा पक्षियों के सींगों तथा खालों से बनी वस्तुओं की बिक्री

†8058. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वन्य पशुओं तथा पक्षियों के सींगों और खालों से बनी वस्तुओं और खालों की खुले आम बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि चीते और तेंदुए की खालों के निर्यात पर सरकारी रूप से प्रतिबन्ध लगा हैं, इनकी तथा बर्फीले क्षेत्र में पाये जाने वाले चीते, बदली रंग के चीते, वन बिलाव, मगरमच्छ, पाइन, कशीका, हिममूष आदि जैसे दुर्लभ तथा सुन्दर पशुओं की खालें, बाल वाली खालों की दुकानों पर, सरकारी इम्पोरियम, और होटलों में सैकड़ों की संख्या में खुले आम बेची जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्राणी समूह की पहले से ही बहुत कम संख्या को देखते हुए इसको रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या कार्यवाही करने की योजना है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) चीते तथा तेन्दुओं की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । फिर भी गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों । संघ शासित क्षेत्रों के नगरों में वन्य-पशुओं की खालें बाजारों में खुले रूप से बेची जाती हैं । प्रथम दो राज्यों में केवल वे व्यक्ति ही इस प्रकार की खालों की बेचते हैं जिनके पास "ट्रोकी डीलई" का लाइसेंस है ।

(ग) जिन नस्लों के समाप्त होने का भय है या दुर्लभ समझा गया है उन्हें सुरक्षित घोषित कर दिया गया है चीता और तेंदुआ को दुर्लभ नहीं माना गया है । ऐसा अनुभव किया गया है कि चीतों की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है और इसलिए भारतीय वन्य-जीवन बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की 3 जनवरी, 1970 की बैठक की सिफारिशों के आधार पर राज्यों से 1 जुलाई, 1970 से पांच वर्ष तक को गली से मारने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए निवेदन किया गया है ।

दुर्लभ पशुओं समेत वन्य पशुओं को सुरक्षित वनों के बाहर भी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और दुर्लभ तथा समाप्त होने वाली नस्लों के पशुओं की खालों समेत वन्य पशु उत्पादों की आन्तरिक बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए राज्यों से अपने वन्य पशु कानूनों और नियमों में संशोधन करने को कहा गया है ।

खाद्यान्नों का पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जाया जाना

8059. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा जम्मू तथा

† मूल अंग्रेजी में

काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में की कई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि यह अपनी कमी की तुलना में बहुत अधिक (खाद्यान्न) प्राप्त कर रहा है और "चूंकि राज्य में खाद्यान्न राज-सहायता वाली दरों पर बेचे जाते हैं और युद्धविराम रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में खाद्यान्नों की बहुत कमी है, तो ऐसा महसूस किया जाता है कि खाद्यान्न चोरी-छिपे बाहर भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ; और

(ग) पाकिस्तान को खाद्यान्नों की तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद की टिप्पणियां को देखा है ।

(ख) और (ग) : निष्कर्ष पर पहुंचने में परिषद् द्वारा लगाए गये पूर्वानुमान संदिग्धता से रहित नहीं हैं । राज्य में खाद्यान्नों के इतिशेष और अधशेष स्टाक को ध्यान में रखे बिना किसी वर्ष विशेष में उपलब्धि के सही आंकड़े निकालना कठिन है । ससुचित खपत सर्वेक्षण के बिना प्रति व्यक्ति खपत के बारे में किसी पूर्वानुमाम को विश्वसनीय मानना भी कठिन है । किसी हालत में सरकार को जम्मू तथा कश्मीर स खाद्यान्नों की तस्करी के बारे में अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

आस्ट्रेलिया से प्राप्त गेहूँ का वितरण

8060. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया से प्राप्त 7,000 टन गेहूँ को किन-किन राज्यों में बांटा जायेगा ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : **(क) और (ख)** : भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्नों को केवल उनकी किस्म और निर्गम मूल्य के अनुसार अलग अलग रखा जाता है न कि जहां से वे प्राप्त होते हैं उसके अनुसार। आस्ट्रेलिया से प्राप्त यह गेहूँ केन्द्रीय भण्डार में रखे उसी किस्म के गेहूँ, जोकि अन्य स्रोतों से प्राप्त हुये हैं, के साथ मिल गया है और इसलिए यह बताना कठिन है कि किन-किन राज्यों को इसे वितरित किया गया है अथवा वितरित किया जाएगा और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ।

Article in "Sarita" captioned "Fourth International Film Festival"

8061 **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether his attention has been drawn to an article by Shri Nirmal Sethi published in the fornightly magazine 'Sarita' dated the 1st February, 1970, under the heading 'Choutha Antar Rashtriya Film Samaroh (Fourth International Film Festival) ;

(b) if so, whether Government propose to look into it and take appropriate action against the guilty officers ;

(c) the steps proposed to the be taken by Government to punish those officers who utilised Government Machinery for personal purposes;

(d) if the reply to part (b) above be in the affirnative, whether it is proposed to have the charges levelled in the aforesaid article enquired into by an impartial person ; and

(e) if so, when and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) The Festival has been reviewed in retrospect ; and

(c) after taking all the aspects into consideration, it is felt that there is no case for disciplinary action against any officer.

(d) and (e) Do not arise.

Loss of Rice in Milling

8062. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether Government are aware that the maximum loss of weight allowed in Japan for scrapping and polishing the rice after pounding the paddy is five per cent ;

(b) if so, whether Government propose to allow this ve y limit to rice milling industry throughout the country ; and

(c) whether Government propose to remove all the obstacles in taking this radical step in order to make the country self-sufficient in rice ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : **(a), (b) and (c)** : It is not true that in Japan the loss of weight allowed for scrapping and polishing rice after pounding the paddy is 5 per cent. As per information available with the Government the mil's in Japan do not handle paddy. They are polishing mills which polish brown rice obtained from padd,. The degree of polish is about 9 per cent.

A high degree of polish results in the loss of the nutritive value of rice, particularlyin the loss of vitamin B1. After considering the matter it has been provided in the Rice milling Industry (Regulation and Licensing Rules), 1959 that the rice mills in our country shall not remove more than 5 per cent. or less than 3 per cent. of the bran.

Commemorative Stamp in memory of Shri Jaipal Singh

8063. **Shri Sharda Nand** : Will the minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state whether Government propose to issue a postal stamp in the memory of late Shri Jaipal Singh in view of the valuable contribution

made by him in the field of sports in addition to his political service and the fame earned by him in Olympic hockey ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Prof. Sher Singh) : So far no such proposal has been received. However, it will be put up before the Philatolic Advisory Committee.

शिक्षित बेरोजगार

8065. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों में 31 दिसम्बर, 1969 को देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणीवार (स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियर, चिकित्सा स्नातक, तकनीशियन, इन्टरमीडिएट्स, और मैट्रिक परीक्षा पास, तथा अन्य) कुल संख्या कितनी थी,

(ख) देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में होने वाली वृद्धि की औसत क्या है तथा चालू वर्ष के अन्त तक उनकी कितनी संख्या होने का अनुमान है,

(ग) अन्तर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) क्या सरकार का विचार केवल स्नातकों को रखने की नीति अपनाने का है, यदि वह उनके लिये रोजगार व्यवस्था कर सकें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी लोग अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं होते । उनके बारे में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी शैक्षिक स्तर के अनुसार नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज पढ़े-लिखे नौकरी चाहने वालों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी०** 3358/70**]**

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में शामिल विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार लोगों के लिए (पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों समेत) अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाए जाने की सम्भावना है । चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली पहुंचाने को अधिकाधिक महत्व देने, औद्योगिक गतिविधि को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की परिकल्पना के लिए उच्च योग्यता रखने वालों की आवश्यकता पड़ेगी । संगठित क्षेत्र के उद्योगों व खानों द्वारा इंजीनियरों, तकनीशियनों, कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल कामगारों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर मिलने की सम्भावना है । समाज सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन आदि) द्वारा भी अध्यापकों, डाक्टरों और चिकित्सा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

(घ) जी नहीं ।

कलकत्ता में कूड़े को खाद में बदलना तथा एक कारखाने की स्थापना पर आने वाली लागत

8066. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में प्रति दिन लगभग कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है ;

(ख) क्या इस कूड़े को मूल्यवान खाद में बदलने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ,

(ग) यदि हां, तो कूड़े को खाद में बदलने वाले कारखाने की स्थापना पर कितनी लागत आयेगी और अनुमानत: उसका प्रति टन मूल्य क्या होगा ; और

(घ) यदि सरकार सरकारी क्षेत्र में ऐसा कारखाना स्थापित करने को तैयार नहीं है, तो क्या उसने गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखाने की स्थापना किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगा लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कलकत्ता में प्रतिदिन उपलब्ध होने वाले शहरी कूड़े की मात्रा लगभग 2000 मीटरी टन हैं।

(ख) जी हां , कलकत्ता में, नगर के कूड़े से कार्बनिक खाद निर्माण के लिये कम्पोस्ट संयन्त्रों की स्थापना की सम्भावनाओं और सम्भव्यताओं के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अगस्त, 1967 में स्थापित की हुई एक समिति ने अध्ययन किया था।

(ग) समिति ने सिफारिश की थी कि शुरू में 69 लाख रुपये की अनुमानित पूंजी लागत से ढापा पम्पिंग ग्राउन्ड में प्रतिदिन 450 मीटरी टन शहरी कूड़े की दैनिक क्षमता वाले कम्पोस्ट संयन्त्र की तीन एककें स्थापित की जायें। उनसे प्रतिवर्ष अन्तिम उत्पाद के रूप में 98000 मीटरी टन खाद प्राप्त होगा। तैयार माल के उत्पादन और 65 किलोमीटर के अर्धव्यास में उपभोक्ताओं के निकटतम स्थान तक सड़क से और गंगा की ढापा की ओर बड़ी लाइन पर किसी भी रेल के स्टेशन पर पहुंचाने के लिये परिवहन पर अब तक लागत 22 लाख रुपये लगायी गयी थी। इस आधार पर तैयार माल पर प्रति मीटरी टन लागत मोटे तौर से 23 रुपये लगायी गयी थी।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसा प्लांट लगाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भी, सरकार ने राज्य सरकारों को सिफारिश करती रही है कि पहले रुचि रखने वाले, नगर निगम/समितियां मार्ग दर्शी आधार पर कूड़ा करकट प्लांट स्थापित करें। इस अभिप्राय के लिये निधियां वे व्यापारिक बैंकों से प्राप्त कर सकेंगे बशर्ते योजनायें व्यापारिक रूप से विकास क्षम है। सरकार ने निजी क्षेत्र में ऐसा एक प्लान्ट स्थापित करने की सम्भाव्यता की खोज नहीं की है।

केरल परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल

8067. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री के० अनिरुद्धन : **श्री प० गोपालन** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के भूतपूर्व मन्त्री श्री एम० के० कृष्णन् ने हाल में

आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम के केन्द्र निदेशक को केरल परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में 13 फरवरी, 1970 के समाचार बुलेटिन के बारे में एक पत्र लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने पत्र में क्या मुख्य शिकायत की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने समाचार की सत्यता के बारे में जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) हड़ताल सम्बन्धी तथ्यों को गलत रूप से पेश करने का आरोप लगाया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) श्री कृष्णन् द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं था । वास्तविक स्थिति श्री कृष्णन् को उनके पत्र के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई थी ।

रूस से प्राप्त हल्के तथा भारी ट्रैक्टर

† 8068. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को रूस से कितने हलके तथा भारी ट्रैक्टर प्राप्त हुए अथवा प्राप्त होंगे ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : वर्ष 1970-71 में रूस से अभी तक ट्रैक्टरों का आयात नहीं किया गया है । फिर भी, 7 फरवरी 1970 को 50 अश्व शक्ति के 1500 बायलेरस एम० टी० जेड—5 एम० एस० ट्रैक्टरों के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम और रूसी सप्लायरों के बीच एक करार हुआ था । ये ट्रैक्टर 1970-71 के दौरान प्राप्त हो जायेंगे । राज्य व्यापार निगम द्वारा रूस से हलके ट्रैक्टरों के आयात करने के बारे में इस समय बातचीत चल रही है ।

Central Assistance to States for Tubewells

8070. **Shri Om Praksh Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** pleased be to State :

(a) The number of public and private tubewells in various States ;

(b) the details regarding the assistance given by Government to various States for installing tubewells during the last three years ; and

(c) the factors kept in view while giving assistance to the States for installing tubewells ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The required information is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. L. T. 3359/70]**

† मूल अंग्रेजी में

(b) Central assistance to States is not allocated schem -wise. During 1967-68 and 1968-69 Central Assistance was provided under various sub-heads such as minor Irrigation etc. and since 1969-70 the Central assistance is to be related to the Annual Plan as a whole. Separate State-wise figures for allocation and expenditure on the scheme for installing tubewells are not available.

(c) Does not arise.

Measures to Check Soil Erosion to India

8071. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Mfnister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the measures adopted by other countries for the solution of the problem of soil erosion ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) the extent, to which Government propose to adopt those measures ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes Sir, the Government is aware of the measures adopted by some of tbe other countries to solve the problem of soil erosion through its programme of Foreign Training of Indian persons in this field and also through Foreign Experts posted in the country.

(b) The nature of the measures taken in the foreign countries comprise contour ploughing, strip cropping, terracing, gully control, waterways, farm ponds, conservation irrigation and drainage, diversion ditches, grass land development and afforestation of eroded areas and other special measures to suit the various field conditions.

(c) The Government is already adopting the above measures after suitable modification of the practices to suit the Indian conditions of Soil, climate, small holding and other local factors.

जालौन जिले में ट्रैक्टरों के लिए सेवा केन्द्र की स्थापना

8072. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 12 अप्रैल, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में मन्त्रालय ने जालौन जिले में 2,200 ट्रैक्टरों के लिए जिनमें से 500 ट्रैक्टर मरम्मत के बिना बेकार पड़े हैं, एक सेवा केन्द्र स्थापित करने में सहायता क्यों नहीं की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार जिलावार ट्रैक्टरों की संख्या और उनके लिए उपलब्ध सेवा केन्द्रों का सर्वेक्षण करने के लिए आदेश देने का है ;

(ग) जिस किसी क्षेत्र में ट्रैक्टरों की संख्या अधिक है वहां पर गैर-सरकारी सेवा केन्द्रों को वित्त तथा विदेशी मुद्रा की सहायता देकर प्रोत्साहन न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) विकल्प के तौर पर, ट्रैक्टरों की सेवा के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए इसी प्रकार राज्य परिवहन कर्मशालाओं को सहायता न दिये जाने के कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को जालौन जिले में इतनी बड़ी संख्या में बेकार पड़े ट्रैक्टरों के बारे में

समाचार पत्र की रिपोर्ट को छोड़कर कोई जानकारी नहीं थी और न ही इस संबंध में किसी क्षेत्र से सहायता के लिए कोई प्रार्थना ही प्राप्त हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पास 31 दिसम्बर, 1969 को जालौन जिले में 678 ट्रैक्टर थे। राज्य सरकार भी उस जिले में बेकार पड़े ट्रैक्टरों की निश्चित संख्या से अवगत नहीं है। उत्तर प्रदेश राजकीय कृषि-उद्योग निगम द्वारा मार्च, 1970 में जालौन में एक सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ख) राज्य सरकार पहले ही आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर रही है।

(ग) वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण राज्य सरकार गैर-सरकारी सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। परन्तु उत्तर प्रदेश कृषि-उद्योग निगम ने 16 सेवा-केन्द्र स्थापित किए हैं और शीघ्र ही 15 और सेवा-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) राज्य परिवहन कर्मशालाओं के पास पहले ही अपना काफी काम है और वे यह अतिरिक्त काम सम्भालने में असमर्थ हैं। परन्तु इन कर्मशालाओं में, जहां सम्भव होगा, ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिए सुविधाओं के विकास के सुझाव पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

Posts, Telegraph and Telephone Facilities at Nyoma and Nuhra in Ladakh

*8073. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government would look into the question of providing telephone and wireless and post office in Nyoma Ladakh which is located near the border with China ;

(b) if so, the amount likely to be spent for each of the items mentioned above ; and

(c) the time by which a post office would be set up at Nuhra and telephone facilities provided there ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a), (b) **and** (c): Postal facilities in the form of Extra Departmental Post Office and telephone facilities on Wireless Telephony in the form of Public Call Office are already available at Nyoma and Diskit (Nubra Valley) in Ladakh area.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय पटना के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

8074. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय पटना, कर्मचारियों ने एक अधिकारी की पदोन्नति के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उनसे हस्तक्षेप करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि पटना स्थित प्रादेशिक कार्यालय के कुछ कर्मचारी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये एक अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध आन्दोलन करते रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) यह अधिकारी अब छुट्टी पर हैं और उन्हें राज्य सरकार को वापिस भेजने का प्रश्न अब भविष्य निधि प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में कृषि के उन्नत उपकरणों तथा बीजों के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

8075. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में कृषि के उन्नत उपकरणों तथा बीजों की खरीद के लिए केरल राज्य को सरकार द्वारा कितनी सहायता तथा अन्य सुविधायें प्रदान की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969-70 से लागू हुई संशोधित पद्धति से पूर्व राज्य सरकारों को विकास के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता स्वीकृत की जाती थी न कि किसी विशेष योजना या योजनाओं के समूह के लिए। इस पद्धति के अन्तर्गत बीज और कृषि औजारों को 'कृषि उत्पादन' के मुख्य शीर्ष में शामिल किया गया था। केरल को 1967-68 और 1968-69 के दौरान इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निम्न सहायता प्रदान की गई है :—

निर्मुक्त की गई सहायता (रुपये लाखों में)

1967-68		1968-69	
ऋण	**अनुदान**	**ऋण**	**अनुदान**
48.82	130.19	68.40	134.85

नई पद्धति के अनुसार वित्त मन्त्रालय राज्य सरकारों को ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देता है और यह समग्र वार्षिक प्लान स्कीमों के लिए होती है। अतः राज्य को 1969-70 के दौरान, विशेष तौर पर, उन्नत कृषि उपकरणों और बीजों को परियोजना के लिए दी गई सहायता की राशि के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण (गैर-योजना) भी उपलब्ध किए जाते हैं। परन्तु ऐसे ऋण कृषि औजारों के लिए नहीं हैं। गत तीन वर्षों में केरल को ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई थी।

दण्डकारण्य परियोजना के लिए मध्य प्रदेश से भूमि

8076. **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री नंद कुमार सोमानी : **श्री रानेन सिंह** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को गलीदार भूमि के (रेवीन्स) के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या उस से इस क्षेत्र का विकास करने में मन्त्रालय को कठिनाई होगी; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने इस विषय पर सरकार को लिखा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) जी, हां ।

पौष्टिक गेहूँ के आटे की सप्लाई

8077. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी बड़े शहरों में पौष्टिक गेहूं के आटे की सप्लाई करने के सम्बन्ध में सरकार की योजनायें हैं;

(ख) क्या यह साधारण आटे से अभी भी मंहगा है और यदि हां, तो कितना;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, क्या सरकार का विचार आगामी कुछ समय तक अतिरिक्त लागत का भुगतान करने का है; और

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ विदेशी सहायता भी मांगी जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में गेहूं का पौष्टिक आटा सप्लाई करने के लिए प्रायोगिक प्रायोजना शुरू की गई है ।

(ख) जी हां, लगभग 3 से 4 पैसे प्रति किलो तक ।

(ग) और (घ) : प्रायोगिक प्रायोजना अवस्था में जो अतिरिक्त खर्च होगा उसे सरकार संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ हुये करार के अधीन सुलभ की गई पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि में से खर्च करेगी ।

डाक विभाग के कर्मचारियों को खादी के बजाय मिल के कपड़े की वर्दियां देने से व्यय में बचत

8078. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में डाकघरों पर किये जाने वाले व्यय का लगभग 80 प्रतिशत व्यय कर्मचारियों पर होता है; और

(ख) यदि कर्मचारियों को खादी के बजाय मिल के कपड़े की वर्दियां दी जायें, तो क्या लगभग एक करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है ?

सूचना तथा प्रसरण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। गत तीन वर्षों का औसत 79·8 प्रतिशत हैं।

(ख) डाक-तार कर्मचारियों के लिए सूती वर्दियां बनाने में खादी के प्रयोग के कारण होने वाला अतिरिक्त अनुमानित व्यय केवल लगभग 41 लाख रुपये है। चूंकि खादी को प्रोत्साहल देना राष्ट्र-हित में है और यह सरकार की नीति का अंग है, इसलिये इस प्रश्न पर केवल एकांगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया जा सकता।

दूरस्थ गांवों में डाकघर

8079. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों में दूर स्थित अधिकांश ग्रामों में अभी भी डाकघर नहीं है और अपने पत्र डालने तथा मनीआर्डर और जरूरी तार भेजने के लिए लोगों को बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) निम्नलिखित सारणी से यह पता लगेगा कि इस समय नीचे लिखे सर्कलों में सीमा के इलाकों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या कितनी है--

सर्कल का नाम	काम कर रहे डाकघरों की संख्या
उत्तर प्रदेश	2,796
बिहार	2,911
असम	1,583
गुजरात	410
पंजाब	1,167
राजस्थान	782
पश्चिमी बंगाल	2,489
जम्मू और काश्मीर	951

इस समय एक डाकघर सीमावर्ती क्षेत्र में औसतन 3,482 जनसंख्या और औसतन 18.82 वर्ग मील के इलाके में सेवा करता है जबकि समूचे भारत में क्रमशः औसतन 4,185 जनसंख्या और 11.24 वर्गमील के इलाके में सेवा करता है।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए डाक-तार विभाग की कोई अलग नीति नहीं है। फिर भी, कुछ इलाके डाक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "बहुत पिछड़े क्षेत्र" वर्ग में आते हैं। इसके अनुसार डाकघर द्वारा निश्चित किये गये विशेष लक्ष्य के मुताबिक प्रतिवर्ष प्रति डाकघर 1,000 रुपये तक के घाटे की बढ़ी हुई सीमा तक और विशेष मामलों में तो प्रति वर्ष प्रति डाकघर 2,500 रुपये तक के घाटे की सीमा तक डाकघर खोलने की अनुमति है। डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिये निम्नलिखित सीमावर्ती क्षेत्रों को "बहुत पिछड़े क्षेत्र" घोषित किया गया है—

1. गुजरात	कच्छ जिला
2. राजस्थान	बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला
3. उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़ जिले का एक भाग, नैनीताल जिले के भाग
4. असम	गारो पहाड़ी जिला, मिजो पहाड़ी जिला, खासी और ज्यंतियां पहाड़ी जिला
5. जम्मू और काश्मीर	समूचा जम्मू और काश्मीर
6. नेफा	नेफा
7. नागालैंड	नागालैंड
8. मणिपुर	मणिपुर (उखरुल, मेओ, जिरिहम, तामंगलोंग, चूरा चांदपुर सब डिवीजन)
9. त्रिपुरा	त्रिपुरा (अगरतल्ला कस्बे को छोड़कर)
10. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश

राजस्थान में खाद्यान्न की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

8080. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में वर्ष 1970-71 में 1.87 लाख टन तक खाद्यान्नों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा की जाने की सम्भावना है;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कौन से विशिष्ट उपाय किये जाने है;

(ग) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सहायता के लिये कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राजस्थान सरकार ने अपनी 1970-71 की वार्षिक योजना में वर्ष के दौरान 1·86 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल विस्तार, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, मुद्रा-संरक्षण कार्यक्रम तथा वनस्पति-रक्षण के उपाय तथा ऋण एवं आदानों के संभरण व्यवस्था की बढ़ौतरी आदि हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार को कृषि कार्यक्रमों के लिए किसी विशेष सहायता के प्राप्त करने के लिए प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को एक-मुश्त अनुदानों तथा ऋणों द्वारा सहायता मिलेगी जिसमें उक्त सहित राज्य की समस्य प्लान योजनायें आ जायेगी और इसमें राजस्थान से सम्बन्धित सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें भी सम्मिलित हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पश्चिम पंजाब से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित प्लाटों को जब्त करना

8081. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों ने उनको आवंटित भूमि के प्लाटों को इस आधार पर खो दिया कि उन्होंने इन पर कब्जा नहीं किया था;

(ख) क्या उनको मुआवजा देने से भी इन्कार कर दिया गया था क्योंकि उनके दावे 10 हजार रुपये से कम के थे; और

(ग) पंजाब तथा हरियाना राज्य विभाग के बन्द होने से पहले ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा देने के बारे में यदि कोई योजना हो तो वह क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यदि विस्थापित व्यक्तियों ने उन्हें आवंटित किये गये ग्रामीण कृष्य भूमि के प्लाटों का कब्जा नहीं लिया था—ऐसा करना आवंटन की शर्तों को भंग करना था—तो उन प्लाटों का कब्जा वापिस ले लिया गया था।

(ख) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1955 के नियम 65 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत, वे व्यक्ति, जिन्हें चार एकड़ या उससे कम कृषि भूमि आवंटित की गई हो, किसी भी ग्रामीण भवन के सत्यापित दावे का, जिसका मूल्य 10,000 रुपये से कम मूल्यांकन किया गया हो, पृथक मुआवजा पाने के पात्र नहीं हैं। इस प्रकार के कुछ मामलों में, विस्थापित व्यक्ति दावेदारों को निर्मित ग्रामीण सम्पत्तियों के मुआवजे से इनकार इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये किया गया था कि उन्हें कृष्य भूमि आवंटित की जा चुकी थी और मुआवजे के मामलों से सम्बन्ध रखने वाले बन्दोबस्त अधिकारी को यह जानकारी नहीं थी कि, उस भूमि का कब्जा न लेने के फलस्वरूप, आवंटन रद्द कर दिया गया था।

तथापि, जिस भी दावेदार ने भूमि आवंटन के लिए अर्जी दी थी, जो कि इस आधार पर रद्द की गई थी कि उसने उस भूमि का कब्जा नहीं लिया, और उसकी मुआवजे की अर्जी भी अस्वीकार कर दी गई थी, तो ऐसे मामले में भूमि आवंटन की नए सिरे से मंजूरी दे दी गई थी।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

26 मार्च, 1970 को पंजाब के विधायकों के राज्यपाल के साथ भेंट की आकाशवाणी द्वारा उपेक्षा

8082. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मार्च, 1970 को पंजाब विधान सभा के 53 विधायक राज्यपाल से राजभवन में मिले थे और कई घन्टों तक वहां रहे थे तथा पंजाब के राज्यपाल ने उनमें से सात सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से यह जानने के लिये इन्टरव्यू लिया था कि वे श्री गुरुनाम सिंह के साथ थे अथवा श्री बादल के साथ;

(ख) क्या यह सच है कि श्री गुरुनाम सिंह भी कुछ मिनट के लिये राज्यपाल से राजभवन में मिले थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी ने समाचार बुलेटिन में श्री गुरुनाम सिंह की भेंट के बारे में घोषणा की थी और 53 विधायकों के बारे में घोषणा नहीं की थी;

(घ) यदि हां, तो 53 विधायकों की उपस्थिति की तुलना में श्री गुरुनाम सिंह द्वारा की गई भेंट को इतना महत्व दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच कराई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) चण्डीगढ़ में आकाशवाणी के संवाददाता के अनुसार श्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने चार भूतपूर्व मन्त्री साथियों के साथ 26 मार्च, 1970 की सुबह को पंजाब के राज्यपाल से राजभवन में भेंट की थी। श्री बादल समर्थक बाहर राजभवन के आंगन में प्रतीक्षा करते रहे। राज्यपाल को मिलने के बाद श्री बादल ने पत्रकारों को बताया कि मैंने विधान सभा के 54 सदस्यों, जो मेरा समर्थन करते हैं; की सूची प्रस्तुत की है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्यपाल को श्री गुरनाम सिंह के मिलने और श्री बादल के समर्थकों के राजभवन में उपस्थित रहने का समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

भारत-पाक संघर्ष में खेमकरन और फिरोजपुर क्षेत्रों में सम्पत्ति की हानि

8083. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष में खेमकरन और फिरोजपुर सीमाओं

पर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति लूट ली गई थी, जला दी गई थी या किसी अन्य प्रकार से नष्ट कर दी गई थी, यदि हां, तो उस सम्पति का अनुमानतः कितना मूल्य था ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों में सम्पति के नुकसान के लिये मुवावजे की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या संघर्ष के दौरान कुछ सार्वजनिक संस्थान, जैसे अस्पताल, स्कूल, भी नष्ट कर दिये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी क्षतिपूर्ति करेगी और ऐसे सार्वजनिक संस्थानों को फिर से स्थापना करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां । जिन चल तथा अचल सम्पत्तियों को हानि पहुँची थी उनका अनुमानित मूल्य 408.40 लाख रुपये था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने कभी भी युद्ध में नष्ट हुई सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाना सिद्धान्त रूप से नहीं माना है । तथापि, प्रभावी लोगों को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में सहायता प्रदान की गई है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मुआवजे का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तथापि, स्कूलों, धार्मिक स्थानों और खेमकरन में सार्वजनिक भवनों की मरम्मत तथा उनके पुनर्निर्माण के लिये राज्य सरकार को अनुदान दिये गये हैं ।

Allotment of Houses Built by E. S. I.

8084. **Shri Ram Charan** : **Shri Arjun Singh Bhadoria** :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Employees State Insurance Corporation has constructed houses for their employees ;

(b) whether it is also a fact that the said houses have been ready for many years but they are not being allotted to the employees consequent to which Government are incurring heavy loss ;

(c) if so, the reasons for which the said houses are not being allotted ;

(d) the time by which the said houses are likely to be allotted ; and

(e) the details of the loss suffered by Government for not allotting the quarters so far ?

Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : The employees' State Insurance Corporation has furnished information, as under :

(a) Yes.

(b) No.

(c), (d) and (e) : Do not arise

गत तीन वर्षों में कृषि के उन्नत उपकरणों और बीजों की खरीद के लिये उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

8085. **श्री दे० अमात** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार, उड़ीसा सरकार को किसानों के लिये कृषि के उन्नत उपकरण और सुधरे बीजों की खरीद के लिये कितनी सहायता और अन्य सुविधायें दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1969-70 से लागू हुई संशोधित पद्धति से पूर्व राज्य सरकारों को विकास के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता स्वीकार की जाती थी न कि किसी विशेष योजना या योजनाओं के समूह के लिये। इस पद्धति के अन्तर्गत बीज और कृषि औजारों को "कृषि उत्पादन" के मुख्य शीर्ष में शामिल किया गया था। उड़ीसा सरकार को 1967-68 के दौरान इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निम्न सहायता प्रदान की गई है :—

निर्मुक्त सहायता (रुपये लाखों में)

1967–68		1968–69	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
80. 40	92.60	42. 60	106.15

नई पद्धति के अनुसार वित्त मन्त्रालय राज्य सरकारों को ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देता है और यह समग्र वार्षिक प्लान स्कीमों के लिए होती है। अतः राज्य को 1969-70 के दौरान, विशेष तौर पर, उन्नत कृषि उपकरणों और बीजों की परियोजना के लिए दी गई सहायता की राशि के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण (गैरयोजना) भी उपलब्ध किये जाते हैं। परन्तु ऐसे ऋण कृषि औजारों के लिए नहीं है ।

1967–68	1968–69	1969–70
35. 69	10.14	14.13

केरल में आकाशवाणी ट्रांसमिशन यूनिट

8086. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं ; और

(ख) क्या शर्तलाह में ट्रांसमिशन केन्द्र बनाया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) तीन, अर्थात :—

(1) कालीकट में स्टूडियो का निर्माण ।

(2) त्रिचूर में स्टूडियों का निर्माण ।

(3) अल्लेप्पी में एक शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटर की स्थापना ।

(ख) अल्लेप्पी के लिए जिस स्थान पर ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है वह अल्लेप्पी वर्तनाक रोड पर शर्तलाह से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में है ।

राज्यों के पास धान और चावल के फालतू भंडार

8087. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर रोक लगाने के कारण आंध्र प्रदेश से धान और चावल को पड़ोसी राज्यों में नहीं वितरित किया जा सका ;

(ख) क्या आंध्र, और केरल में खराब हो गये धान और चावल के भारी भण्डार जमा हो गये हैं किन्तु आपातकाल में मद्रास की कोई सहायता नहीं की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा अधिक परमिट देकर प्रतिबन्ध को ढीला करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) चावल/धान के बारे में आन्ध्र प्रदेश एक अलग क्षेत्र होने के कारण आम तौर पर अन्य राज्यों को इन अनाजों के संचलन की अनुमति नहीं दी जाती है । तथापि, सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अधिप्राप्त अधिशेष चावल तथा धान आंन्ध्रप्रदेश के पड़ोसी राज्यों सहित कमी वाले राज्यों में उनकी आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता है ।

(ख) और (ग) : आंन्ध्र प्रदेश में धान की 1968-69 की दूसरी फसल और 1969-70 की पहली फसल तूफानों से कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गयी थी । धान और चावल के क्षतिग्रस्त स्टाक का निपटान करने के लिए केन्द्रीय पूल की खरीदारी विहित निर्दिष्टियों में ढील दे दी गयी है । 1968-69 मौसम की दूसरी फसल के बारे में जो चावल ढील दी गयी निर्दिष्टियों से भी कम था उसे राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परमिटों पर व्यापारिक खाते में राज्य से बाहर भेजने की अनुमति दे दी गयी थी ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा बरबाला ग्राम में प्लाटों की नीलामी

8088. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच वर्ष से भी पहले जब पुनर्वास मंत्रालय, दिल्ली ने बरबाला ग्राम स्थित दिल्ली प्रशासन के खाली रियायशी प्लाट संख्या 86, 88 और 89 की निलामी की थी तब यह प्लाट जटिलता रहित नहीं थे ;

(ख) यदि इस प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उस मंत्रालय ने अपनी गम्भीर भूल को सुधारने के लिये इस बीच कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा कैसे करेगा जिन्होंने नीलामी में उच्चतम बोली देकर उन प्लाटों को खरीदा था; और

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा इन प्लाटों के वास्तविक खरीदारों को, उनको हुई मानसिक चिंता और मंत्रालय द्वारा की गई भारी भूल के कारण इन प्लाटों की खरीद के लाभ से उन्हें इतनी लम्बी अवधि तक वंचित रखने के लिये पर्याप्त मुआवजा दिया जायगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जब इन प्लाटों का नीलाम किया गया था, उस समय किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी। तथापि, उक्त प्लाट एक विस्थापित व्यक्ति, श्री नत्थू सिंह, के कब्जे में थे; श्री नत्थू सिंह की यह प्लाट अस्थायी रूप से अलाट किये गये थे किन्तु उसने न तो इन प्लाटों की भूमि के किराये का भुगतान किया और न ही मकान के लिये स्थान अलाट करने के लिये उसकी प्रार्थना के, जो कि उसके भूमि के दावे के निपटान से सम्बन्धित थी, निपटारे के समय इन प्लाटों के हस्तान्तरण का दावा किया।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, जैसा कि नीलाम के समय घोषित किया गया था, नीलाम में खरीद करने वाले को खाली प्लाटों का कब्जा दिलाने के लिये अब कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा बरबाला ग्राम में भूमि का आवंटन

8089. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने बरबाला ग्राम में कुछ शरणार्थियों को उनके कानूनी हक से मिलने वाली भूमि से कृषि-योग्य अधिक भूमि अलाट की है;

(ख) यदि इस प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, ऐसे शरणार्थियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी अधिक भूमि दी गई है; और

(ग) क्या इस भूल को सुधारने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Survey of Unemployment in the Country

8090. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct census of unemployment persons in the country along with the General Census to be conducted next year ;

(b) if not the reasons therefor ; and

(c) the details of the scheme formulated by Government to assess the total number of unemployed persons in the country ?

Minister of Labour Employment and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya): (a) It is not proposed to conduct the Census of unemployed persons along with the Population Census (1971).

The Population Census (1971) will collect data on economic characteristics of the people which will include some data on the unemployed persons.

(b) Past experience has shown that in a quick and mass operation such as the Population Census the concepts of unemployment which require detailed probes cannot be fully canvassed.

(c) A Committee of Experts including some Members of Parliament to assess the extent of unemployment in all its aspects and to suggest remedial measures is being set-up.

लेखन-सामग्री विभाग में कार्य कर रहे कार्मिक संघ

8091. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के लेखन सामग्री विभाग में कितने कार्मिक संघ हैं ; और

(ख) व्यापार संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संघों की संख्या क्या है तथा क्या वास्तविक विभागीय अधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यापार संघों की संख्या को मान्यता दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख) : संभवत: आशय भारत के लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता से है। इस कार्यालय में कर्मचारियों की तीन एसोसियेशनें हैं, जिनमें से एक मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं परन्तु मान्यता प्राप्त नहीं है।

राजनीतिक दलों द्वारा नियंत्रित समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन

8092. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के सभी समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के सम्बन्ध में समान नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां तो राजनीतिक दलों द्वारा संचालित और नियन्त्रित देश के दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इनके अतिरिक्त सरकारी विज्ञापन पाने वाले समाचारपत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) राजनीतिक दलों के उन समाचारपत्रों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनको सरकार से विज्ञापन नहीं मिलते तथा इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है जिनमें उन दैनिक पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रों की राज्यवार संख्या दी हुई है जिनके मालिक राजनैतिक दल हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3360/70]** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे समाचारपत्रों को, जिन्हें विज्ञापन दिये जाते हैं, कोई स्थायी सूची नहीं रखता । केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों को मांगने वाले विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का आवश्यक विवरण निदेशालय में रखा जाता है और विज्ञापन देने के लिए प्रत्येक पत्र पर उपलब्ध धनराशि के अन्दर-अन्दर, आवश्यकतानुसार अलग अलग इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है कि उसकी खपत कितनी है, उसको किस प्रकार के व्यक्ति पढ़ते हैं, उसकी भाषा कौन सी है और किस क्षेत्र में विज्ञापन देना है, आदि ।

सरकारी विज्ञापनों को जारी करते समय यह नहीं देखा जाता कि पत्र किस राजनैतिक दल से सम्बन्धित है । विभिन्न राजनैतिक दलों के पत्रों तथा विभिन्न विचारधाराओं को प्रस्तुत करने वाले पत्रों का प्रयोग किया जाता है । ऐसे पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिये जाते जो साम्प्रदायिकता की भावना उभारते हुए, विषैले लेख लिखते हों या किसी को उकसाते हों या सार्वजनिक शीलता और नैतिकता के सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हों और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाते हों ।

बिहार में डाकघर और उनका कार्यकरण

8093. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक कितने डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) बिहार सर्किल में नावापसी अंशदान की वसूली के बाद पहली अप्रैल, 1967 और 31 मार्च, 1969 के बीच कितने डाकघर खोले गये हैं ;

(ग) पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक खोले गये डाकघरों के लाभ और हानि के वर्षवार विवरण क्या है ; और

(घ) इन डाकघरों की कार्यप्रणाली और राजस्व में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 580.

(ख) 125.

(ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) प्रायोगिक डाकघरों से होने वाली आय की विवरणियां मंगा कर और वहां नियतकालिक

दौरा करके, उन्हें पूरी तरह से लगातार जांच के अधीन रखा जाता है। डाकघर के कामकाज में आवश्यकतानुसार यथा संभव सुधार लाने और आय व्यय को बराबर करने के लिए कार्रवाई की जाती है। डाकघर अधीक्षकों की यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बैरमों के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को कोयला खान संघ के फुसरो मेडिकल हस्पताल से चिकित्सा सुविधाएं

8094. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैरमों (हजारीबाग) में सरकारी हस्पतालों में रोगियों को दाखिल क रने की सुविधा न होने के कारण वहां कार्य करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को अपना अथवा अपने परिवार के सदस्यों का उपचार कराने के बारे में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ;

(ख) क्या कोयला खान संघ का फुसरों में एक मैडिकल हस्पताल है जिसमें रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था है और जो बैरमों के निकट है ;

(ग) क्या फुसरों हस्पताल के प्राधिकारी डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का उपचार करने से इंकार करते हैं ;

(घ) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी सरकार के अधिकृत चिकित्सा सुविधाओं सम्बन्धी नियम के अन्तर्गत चिकित्सा कराने और चिकित्सा व्यय को वापस पाने के पात्र हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार न्याय, समानता और मानवता के नाते डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का कोयला खान संघ के फुसरों स्थित मैडीकल हस्पताल में उपचार कराने के बारे में कार्यवाही करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक-तार विभाग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

(ख) जी हां। निकटतम अस्पताल जिसमें भर्ती करके चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, कारगाली में है न कि फुसरों में और उसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम चला रहा है।

(ग) फुसरों स्थित अस्पताल को फिलहाल डाक-तार कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए मान्यता नहीं दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) बैरमों स्थिति डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए इस अस्पताल को मान्यता देने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खेती करने के लिए मध्य प्रदेश को विद्युत चालित हलों तथा ट्रैक्टरों की सप्लाई

8095 **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उक्त राज्य को विद्युत चालित हल तथा ट्रैक्टर सप्लाई करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

(ख) समूचे देश के आंकड़ों की तुलना में मध्य प्रदेश में खेती योग्य कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर ट्रैक्टरों तथा विद्युत चालित हलों से खेती की जाती है और कितने प्रतिशत भाग पर पुराने तरीकों से खेती की जाती है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में अनुमानतः कितने ट्रैक्टर कार्य कर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश राज्य की 1968-69 के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे 825 ट्रैक्टर अलाट किये गये थे। 1969-70 की मांग के लिए सरकार काफी अधिक ट्रैक्टर देना चाहती है। 8वें येन ऋण के अधीन जापान से आयात होने वाले शक्ति हलों को अलाटमेंट के विषय में भी सरकार विचार कर रही है।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्यों में ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में अखिल भारतीय पंचवर्षीय पशुगणना के भाग के रूप में जानकारी एकत्रित की जाती है। अन्तिम गणना 1966 में की गई थी और उसके अनुसार मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों की संख्या लगभग 2513 थी।

सुधरे हुए बीजों तथा कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

8096. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में वर्षवार मध्य प्रदेश राज्य को सुधारे हुए बीजों तथा कृषि उपकरण खरीदने के लिए कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969-70 से लागू हुई संशोधित पद्धति से पूर्व राज्य सरकार को विकास के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता स्वीकृत की जाती थी न कि किसी विशेष योजना या योजनाओं के समूह के लिए। इस पद्धति के अन्तर्गत बीज और कृषि औजारों को कृषि उत्पादन के मुख्य शीर्ष में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार को 1967-68 और 1968-69 के दौरान इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत निम्न सहायता प्रदान की गई है :–

निर्मुक्त की गई सहायता

(रुपए लाखों में)

1967-68		1968-69	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
67.78	96.78	81.83	54.55

नई पद्धति के अनुसार वित्त मन्त्रालय राज्य सरकारों को ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देता है और यह समग्र वार्षिक प्लान स्कीमों के लिए होती है। अतः राज्य को 1969-70 के दौरान, विशेष तौर पर उन्नत कृषि उपकरणों और बीजों की परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता की राशि के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण (गैर-योजना) भी उपलब्ध किये जाते हैं। परन्तु ऐसे ऋण कृषि औजारों के लिए नहीं हैं।

पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार को दी गई सहायता निम्न प्रकार हैं :—

1967-68	1968-69	1969-70
237.50	150.00	45.32

Transfer of A. I. R. Staff

8097. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that producers and Assistant Producers working in A. I. R. in Delhi for ten years or more would be transferred to A. I. R. Centres outside Delhi ;

(b) whether his Ministry has issued orders in pursuance of the said decision to transfer 20 such employees ;

(c) if so, whether it is a fact that orders of transfer in respect of 8 persons have since been cancelled ; and

(d) if so, the reasons for adopting a policy of favouritism ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) There is no such devision, However some Producers and Assistant Producers who had been in Delhi for long periods were transferred to places outside Delhi

(c) Yes, sir

(d) (i) Administrative conveniance and

(ii) Compassionate grounds.

मध्य प्रदेश से चावल बाहर भेजे जाने पर बोनस का भुगतान

8098. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से चावल के बाहर भेजे जाने पर बोनस दिये जाने के बारे में सहमति हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार किस दर पर बोनस मांगती है और केन्द्रीय सरकार का विचार किस दर पर बोनस देने का है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की दर पर बोनस मांगा हैं अथवा अधिक दर पर मांगा है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार ने 1968-69 मौसम में राज्य में चल रही बोनस योजना को 1969-70 के लिये भी चालू रखे जाने के लिए अनुरोध किया था । दो सीजनों के लिए बोनस योजना को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

मध्य प्रदेश के लिये चावल पर प्रोत्साहन बोनस योजना

	1968-69 सीजन	1969-70 सीजन
1—निर्यात के लिए लक्ष्य	2,00,000 मी० टन	2,50,000 मी० टन
2—बोनस रहित मूल मात्रा	1,00,000 ,, ,,	1,25,000 ,, ,,
3—मात्राओं के खण्ड तथा दूर जिस पर बोनस देय है	25,000 ,, ,, 6 रु० प्रति क्विंटल की दर पर ।	13,000 ,, ,, 6 रु० प्रति क्विंटल की दर पर ।
	25,000 ,, ,, 8 रु० प्रति क्विंटल की दर पर ।	37,000 ,, ,, 7 रु० प्रति क्विंटल की दर पर
	50,000 ,, ,, 12 रु० प्रति क्विंटल की दर पर ।	75,000 ,, ,, 8 रु० प्रति क्विंटल की दर पर ।
4—निर्यात की निर्धारित मात्रा पर कुल बोनस ।	95,00,000 रुपये	93,70,000 रुपये
5—	निर्धारित मात्रा से ऊपर सप्लाई की गई मात्रा पर 15 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जायेगा ।	निर्धारित मात्रा से ऊपर सप्लाई की गई मात्रा पर 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जायेगा ।

वसूल की गई चीनी को खुले बाजार में बेचने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति मांगना

8099. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वसूल की गई चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने गत नवम्बर में ऐसी स्वीकृति मांगी थी।

(ख) उनके अनुरोध को माना नहीं जा सका था क्योंकि वह सरकार द्वारा 1969-70 के लिए अपनाई गई नीति के अनुरूप नहीं था।

मध्य प्रदेश में चीनी का स्टाक

8100. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की दरों को 192.53 से बढ़ाकर 196.65 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप उनसे चीनी की बिक्री लगभग समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या चीनी की इन मिलों के मालिकों ने खेतिहरों को गन्ने का मूल्य भी नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : **(क)** : मध्य प्रदेश में चीनी का मूल्य निर्धारित करने के बाद चीनी कारखानों से वर्ष 1969-70 में उत्पादित लेवी चीनी की निकासी में कुछ गिरावट आयी है।

(ख) : प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 चीनी कारखानों में से 4 कारखानों ने 31 मार्च, 1970 तक गन्ने के मूल्य के 204.59 लाख रुपयों में से 100.65 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया था।

(ग) : कारखानों से लेवी चीनी की निकासी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में पूल मूल्यों पर लेवी चीनी वितरित करने का तरीका लागू किया है। इसके अलावा, भारत के रिजर्व बैंक से अपने सम्बन्धित बैंकों द्वारा चीनी कारखानों की ऋण सीमा बढ़ाने में सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

फरक्का परियोजना में श्रमिक गड़बड़ी

8101. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का परियोजना के क्षेत्रों में श्रमिकों ने पुनः गड़बड़ी शुरू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा पुनः आन्दोलन शुरू किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार परियोजना कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क), (ख), (ग) और (घ) इस प्रायोजना के औद्योगिक संबंध राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं । पश्चिम बंगाल की सरकार ने सूचित किया है कि हाल के महीनों में उनके पास गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं । फिर भी, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्रालय से, जो कि प्रायोजना को चालू रखने के लिए उत्तरदायी है, प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रमिकों ने उन व्यक्तियों की नौकरी की सुरक्षा के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए हैं, जिनके प्रायोजना की पूर्ति के बाद फालतू हो जाने की संम्भावना है । उस मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों, संगठनों तथा राज्य सरकार से, जहां कहीं भी सम्भव हो, फालतू श्रमिकों को खपा लेने के लिए कहा है । इस मामले को निपटाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महा-निदेशालय के अधीन कलकत्ता में एक विशेष कक्ष की स्थापना भी की गई है ।

हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

†8102. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पेशकश की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । तथापि उन्होंने भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अन्दर एक स्वायत्तीशासी कृषि समूह स्थापित करने की पेशकश की है । इस समूह में वे सब अनिवार्य लक्षण, विशेषकर शिक्षण, अनुसन्धान और विस्तार शिक्षा का समाकलन, होने की सम्भावना है जो एक कृषि विश्वविद्यालय के होते हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार इस पेशकश के पक्ष में है ।

मॉडल टाउन, दिल्ली के तालाबों में मछलियों की मौत

†8103. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह में दिल्ली के मॉडल टाउन के पीछे तथा कारोनेशन पिलर के आस-पास के पिछले तालाबों में हजारों मछलियों की मृत्यु की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उसका क्या कारण था; और

(ख) उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) 30 मार्च, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में दिल्ली के

†मूल अंग्रेजी में

मॉडन टाउन के पौधे तथा कारोनेशन पिलर के पास के पिछले तालाबों में मछलियों की मृत्यु-दर के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। स्थिति की जांच की जा रही है और विषय से सम्बद्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1970 में आकाशवाणी के नये केन्द्र

8104. **श्री सुभाष मधोक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1970 में देश में आकाशवाणी के कोई नये केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां तथा कब से काम करने लगेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिसम्बर, 1970 तक अलेप्पो/त्रिचूर।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन

8105. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल पुनर्वास कार्य की समीक्षा सम्बन्धी समिति के दूसरे तथा तीसरे प्रतिवेदनों पर इस बीच कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : **(क) और (ख)** : भारत सरकार ने समीक्षा समिति की तीसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें प्राय: स्वीकार कर ली हैं और उन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये 195.06 लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी है। समिति की दूसरी रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

देरी से वर्षा होने के कारण खाद्यान्नों की हानि का अनुमान

†8106. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देरी से मानसून आने के कारण खाद्यान्नों की कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ख) आगामी वर्ष खाद्यान्नों में संभवत कौन-कौन से राज्य आत्म निर्भर हो जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) इस वर्ष देरी से वर्षा होने के कारण खाद्यान्नों में हुई हानि से सम्बद्ध आंकड़े

उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1969-70 के खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के अन्त में अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1970 में उपलब्ध हो सकेगा।

(ख) खाद्यान्नों की मांग लचीली है और यह कई कारणों जैसे जनसंख्या, लोगों की भौतिक उन्नति उनकी खाद्य आदतें, नगरीकरण की सीमा, अन्य प्रतिस्थापक अन्न की उपलब्धता और मूल्य आदि पर निर्भर करती है। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में इनमें निश्चित रूप से परिवर्तन हो रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए और प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की खपत की आवश्यकताओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण न होने से विभिन्न राज्यों की खपत की आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता। चालू कृषि वर्ष में खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि आगामी वर्ष में कौन सा राज्य आत्म-निर्भर हो जायेगा।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांगें तथा मजूरी बोर्ड पंचाटों की क्रियान्विति

8108. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने हाल में सरकार के समक्ष कुछ मांगें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मजूरी बोर्ड पंचाटों की क्रियान्वित के सम्बन्ध में कठिनाई महसूस कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) श्रमजीवी पत्रकारों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड का पंचाट कानूनन लागू हो सकता है और इसे लागू करने के लिये सम्बन्धित सरकारें राज्य सरकारें हैं। ऐसे मामलों को छोड़कर जहां क्रियान्वित न्यायालय द्वारा रोकी जाती है, केन्द्रीय सरकार को इसकी क्रियान्वित के सम्बन्ध में अनुभव की गई किसी कठिनाई की जानकारी नहीं है।

(ङ) जैसे ही इस प्रकार की शिकायतों को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया जायगा, उन्हें समुचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया जायगा।

क्षेत्रीय निपटारा आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यवाहक पदों के मामले में भेदभाव

8109. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित प्रादेशिक निपटारा आयुक्त के कार्यालय में एक विशेष पदालि में वरिष्ठ स्थायी कर्मचारियों के न्यायसंगत दावों की उपेक्षा करके कुछ अस्थायी कनिष्ठ कर्मचारी उच्चतर पदालियों में कार्यवाहक पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो हकदार कर्मचारियों को लाभ तथा न्याय देने में जो गलतियां की गई हैं उन्हें ठीक करने तथा गलत काम करने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी ठहराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1968-69 में जैसलमेर हाउस के सामने धरना देने वालों पर खर्च

8110. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के जाड़ों में जैसलमेर हाउस के सामने जिन शरणार्थियों ने धरना दिया था उन्हें खाना खिलाने पर लगभग कितना व्यय हुआ और उन्हें कितनी बार भोजन दिया गया;

(ख) उन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने में लगभग कितना खर्च आया;

(ग) क्या यह सच है कि जाने के बारे में उनकी राय लिये बिना प्रतिदिन बसें किराये पर ली जाती थी और तैयार रखी जाती थी और इन बसों का उपयोग न करने पर भी उनका किराया देना पड़ता था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अविवेकपूर्ण कार्यवाही के लिये सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इस कार्य की पुनरावृति न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जैसलमेर हाउस तथा प्रधान मन्त्री जी के निवास स्थान के सामने 1968-69 के अन्तर्गत जिन शरणार्थियों ने धरना दिया था उनकी वापसी यात्रा के प्रारम्भ के समय रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक समय का भोजन देने पर लगभग 2,838.00 रुपये खर्च किये गये थे ।

(ख) ऊपर उल्लिखित शरणार्थियों को रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए जो बसें किराये पर ली गई थीं उनके लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम को 6,316.50 रुपये की अदायगी की गई थी ।

(ग) बसें प्रतिदिन नहीं, अपितु शरणार्थियों से रेलवे स्टेशन जाने की अनुमति लेने के उपरान्त केवल विशिष्ट दिनों पर ही, किराये पर ली गई थी । तथापि, कुछ अवसरों पर, प्रवासियों ने बसें आने के उपरान्त अन्त समय में अपना निर्णय बदल दिया; ऐसे मामलों में, दिल्ली परिवहन उपक्रम को न्यूनतम भाड़े की अदायगी करनी पड़ी थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Reservation of Posts for Harijan Adivasis in National Seeds Corporation

8111. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no reservations have been made for Harijan Adivasis in the National Seeds Corporation ;

(b) if reservations have been made the percentage of reserved posts filled up ; and

(c) if not, the action Government propose to take in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Recruitment Rules of the National Seeds Corporation provide for reservation of posts for scheduled caste/scheduled tribe candidates.

(b) 51 per cent. This deficiency is due to want of suitable candidates belonging to scheduled casts/scheduled tribe. The vacancies are, however, carried forward from year to year.

(c) Does not arise.

Setting up of an Agricultural College in Sagar District

8112. **Sri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Khurai Tehsil of Sagar District is an agricultural centre and the fertile land of the said area cannot be utilized properly because of the non-availability of technical education in agriculture ;

(b) if so ,whether Government would make efforts to set up an agrcultural college in Sagar District ;

(c) whether it is a fact that in case an agricultural college is opened there ; it can help in getting natural water, technical education and the monopoly enjoyed by beedi industrialists could be ended ; and

(d) if not, the obstacles in the way of Government to set up the said college there ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Khurai Tahsil of Sagar District is very fertile and agriculturally rich but it is not correct to say that it could not be exploited for want of an agricultural college at Sagar.

(b) In view of the surplus of agricultural graduates coming out of the already existing colleges of agriculture in Madhya Pradesh, neither the Government nor the Agricultural University at jabalpur have any plans to open a new Agricultural College in Sagar.

(c) No. It is not correct to assume that the opening of a local agricultural college

at Sagar would help in getting natural water or end the monopoly enjoyed by beedi industrialists. Trained technical personal are already in surplus in the State of Madhya Pradesh,

(d) The question does not arise in view of (b) and (c) above.

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण में बहुत कम स्थान दिये जाने पर कांग्रेस (सत्तारूढ़) के संसद सदस्यों द्वारा विरोध

8113. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेसी (सत्तारूढ़) दल के संसद सदस्यों ने उनके मन्त्रालय को सलाहकार समिति की बैठक में इस बात का विरोध किया है कि पार्टी को आकाशवाणी द्वारा प्रसारण में बहुत कम स्थान दिया जाता है;

(ख) क्या इस बारे में जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां । उनकी शिकायत थी कि आकाशवाणी के प्रसारणों में उन्हें उतना समय नहीं दिया जाता जितना विरोधी दलों के सदस्यों को दिया जाता है ।

(ख) और (ग) : आकाशवाणी हमेशा संसद को कार्यवाहियों को अपने समाचार बुलेटिनों और अपनी दो समीक्षाओं –"ट्रूडे इन पार्लियामेंट" और "संसद समीक्षा"– में संतुलित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है । नामों का उल्लेख सदन की कार्यवाहियों, उनके समाचारिक महत्व और विशिष्ट बुलेटिन में उपलब्ध कुल स्थान के आधार पर किया जाता है ।

31 मार्च, 1970 तक टेलीफोन के देय बिल

8114. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 तक टेलीफोन बिलों की लगभग कितनी राशि वसूल करनी बाकी थी, और

(ख) इस राशियों की तुरन्त वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1970 तक की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । 1 नवम्बर, 1969 को 31 जुलाई, 1969 तक जारी किये गये बिलों की 647.36 लाख रुपये की राशि बकाया थी ।

(ख) बकाया राशि वसूल करने के लिये उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना, पत्र-व्यवहार करना, टेलीफोन काट देना और अन्त में जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं ।

Progress in Seed production project in Tarai Area of Uttar Pradesh in Cooperation with U. N. O.

8115. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made so far in seed production project in Tarai area of Uttar Pradesh with the cooperation of United Nations Organisation ; and

(b) the programme for future in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde): (a) Under the Tarai Seed Development Project assisted by the World Bank, seed production over 18,304 acres was undertaken during 1969-70. The project envisages the development of an area of about 32,000 acres on which, with double cropping, seeds over an area of 40,000 acres would be grown per annum on the completion of the Project.

(b) It is proposed to undertake seed production over 27000 acres in 1970-71, 35,000 acres in 1971-72, 37,500 acres in 1972-73 and 40,000 acres in 1973-74.

मनीपुर के कृषि अधिकारियों का विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण

8116. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के ग्रहर्ता प्राप्त कृषि अधिकारियों के लिए भारत में अथवा भारत से बाहर विशिष्ट प्रशिक्षण की कोई सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों ने उपर्युक्त सुविधाओं का लाभ उठाया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशों में विशिष्ट अध्ययन के लिए कोई सुविधा प्रदान करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 14 कृषि अधिकारियों ने सुविधाओं से लाभ उठाया है । उनमें से 10 अधिकारियों को भारत के विभिन्न भागों में विशिष्ट विषयों के विभिन्न अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया और 2 अधिकारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये भेजा गया था । दो अन्य अधिकारियों को विभिन्न अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

मनीपुर के पशुचिकित्सा अधिकारियों का आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण

8117. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया में दुधारू पशुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मनीपुर के पशुचिकित्सा अधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त करता है;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय आवेदन-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक तरीके से विचार कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया में वर्ष 1970-71 के दौरान डेरी पशु-पालन के प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से भारत सरकार के विचारार्थ उन अधिकारियों के नाम तथा ब्यौरे भेजने के लिए अनुरोध किया गया था, जिनके बारे में अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विचार किया जा सके। मणिपुर प्रशासन से अभी कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ है। जब अधिकारियों के नाम प्राप्त होंगे, उन नामों पर अन्य राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ साथ विचार किया जायेगा।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

मनीपुर के जिलेदारों की शिकायतें

† 8118. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार के अधीन काम करने वाले जिलादारों ने एक संघ बनाया है;

(ख) क्या संघ ने अपनी शिकायतें शीघ्र दूर करवाने के लिये शिकायतों की एक सूची मनीपुर सरकार को भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो मनीपुर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) : **(क) से (ग)** : मनीपुर सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन एवं क्रियान्विति समिति की बैठक

8119. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मनीपुर में श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन एवं क्रियान्विति समिति की बैठक एक एक बार भी नहीं हुई ;

(ख) यदि हां, तो समिति की समय-समय पर बैठक न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर ध्यान देने और

श्रम सम्बन्धी विधियों का क्रियान्वित करने के लिये मनीपुर सरकार को कहेगी कि उपर्युक्त समिति को नियमित रूप में कार्य करना चाहिए ?

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि मनीपुर प्रशासन ने बताया है, इसके कारण थे--पूर्णकालीन श्रमायुक्त का न होना और आवश्यकीय सहायक संगठन का अभाव । फिर भी इस प्रशासन ने यह सूचित किया है कि उसने श्रमायुक्त के कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये हैं ताकि भविष्य में बैठकें नियमित रूप से बुलाई जा सकें ।

(ग) प्रशासन को इस सम्बन्ध में पहले ही लिख दिया गया है ।

मनीपुर में न्यूनतम मजूरी

8120. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन कुशल तथा अकुशल दोनों वर्गों के कर्मचारियों के लिए मनीपुर सरकार ने मंजूरी की न्यूनतम दर क्या निर्धारित की थी; और

(ख) क्या निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि के साथ तालमेल रखने के लिए मजूरी दरों में संशोधन किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास, मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) मनीपुर प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, सड़क-निर्माण तथा भवन-निर्माण कार्यों व सार्वजनिक मोटर परिवहन में अनुसूचित रोजगारों में मजूरी की न्यूनतम दरें, क्रमशः नवम्बर 1962 तथा जून 1966 में संशोधित की गई और मनीपुर के राजपत्र में प्रकाशित की गई । सार्वजनिक मोटर परिवहन में रोजगार की मजूरी दरें 2. 60 रु० से लेकर 3. 50 रु० प्रति दिन हैं, तथा सड़क-निर्माण व भवन-निर्माण कार्यों के लिए घाटी में 2 रु० से 5 रु० प्रतिदिन और पहाड़ी प्रदेश में 2. 50 रु० से 5.50 रु० प्रतिदिन हैं ।

(ख) जी हां ।

गेहूँ की मांग और उत्पादन

†8121. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गेहूं के उत्पादन के बारे में यह घोषणा की थी कि उसके उत्पादन में इतनी वृद्धि हो गई है कि उसने देश की आवश्यका पूरी हो सकती; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की आवश्यकता तथा उसके उत्पादन का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना

8122. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों को तब से सोद्देश्य उपेक्षा कर रहा है जब से वहां राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी याचिकाओं की सुनवाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायालयों या ट्रिब्युनलों की रोजमर्रा की कार्यवाहियों को प्रसारित नहीं करता है ।

वर्ष 1968 तथा 1969 में चावल, चना बाजरा तथा जौ का उत्पादन

† 8123. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 तथा 1969 में चावल, चना, बाजरा तथा जौ का कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में चावल, चना, बाजरा तथा जौ का उत्पादन इस प्रकार है :—

फसल	उत्पादन (हजार मीट्रिक टन में)		वर्ष 1967-68 की तुलना में वर्ष 1968–69 में हुई वृद्धि (+) कमी (–) की प्रतिशतता	
	1967–68 (आंशिक रूप में दोहराये गए तखमीने)	1968–69 (अन्तिम तखमीने)		
चालल	37,612.2	39, 761.2	(+)	5.7
चना	5,971.5	4, 309.5	(–)	27.8
बाजरा	5,184.9	3, 801.8	(–)	26.7
जौ	3,503.6	2, 423.8	(–)	30.8

वर्ष 1969-70 में खाद्यान्नों के उत्पादन के निश्चित प्राक्कलन कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अर्थात जुलाई–अगस्त 1970 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे ।

Allocation to M. P. for Purchasing Insecticides and other Equipment under Fourth Plan

8124. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the additional amount allocated in the Fourth Plan to Madhya Pradesh for purchasing insecticides and other equipment ; and

(b) whether any study has been conducted in respect of additional requipment required by the State ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In the Fourth Plan of Madhya Pradesh, the State Government have made a provision of Rs. 19 lakhs for various plant protection scheme. The scheme-wise break-up is not, however, indicated.

In the annual budget of 1970-71, the following scheme-wise provision has been indicated :—

Name of the scheme	Budget provision (Rs. in lakhe)
Plant Protection	2.72
Plant Protection Training ..	0.27
Subsidy under plant protection-pesticide and equipment ..	1.00
Aerial spray of Urea on wheat and paddy crops	2.50
Subsidy on plant protection equipment	1.00
Total	7.49

(b) The requirements of equipment as well as pesticides are assessed annually in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storages under the Union Department of Agriculture. The present stock of equipment their adequacy and proposals for 1970-1971 will be looked into by the Central Team visiting the State in June, 1970.

Green Revolution in Madhya Pradesh

8125. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been green revolution in Madhya Pradesh also ;

(b) if so, the names of the districts and the details thereof ; and

(c) if not, the measure taken by Government to extend the green revolution in Madhya Pradesh and its rural areas ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The High Yielding Varieties and Multiple Cropping Programmes, which constitute the two major planks of the New Agricultural Strategy, are in operation in all the

district of the State in irrigated areas. An area of about 9.8 lakh acres is estimated to have been covered under the High-Yielding Varieties Programme during 1969-70. The target of additional area to be brought under Multiple Cropping in the State during 1969-70 was fixed at 1.5 lakh acres, The information regarding actual coverage against this target is not yet available.

(c) Does not arise..

Central Grant to Madhya Pradesh for Tube-Wells

8126. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government made the payment of grant in one instalment to the Madhya Pradesh Government to be incurred on tube-wells upto the end of December last year ;

(b) if so, whether it is also a fact that they have not been able to finish that work according to the time scheduled ;

(c) whether action has been taken by Government to find out the reasons for which the work could not be completed by Madhya Pradesh Government, and

(d) if so, the details in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation . (Shri Annasaheb Shinde) :(a) According to the pattern in vogue since 1st April, 1969, Central assistance is not given for any individual programme or scheme but is provided by the Centre on block loans and grants basis in respect of the Annual Plan as a whole. Hence, the question of payment of grant for an individual scheme, namely 'tubewells' does not arise.

(b) to (d) : Do not arise.

Land Reforms in Madhya Pradesh under Fourth Five Year Plan

8127. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleasod to state the details of further land reforms programme in respect of Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : In Madhya Pradesh, intermediary tenures have generally been abolished and a comprehensive tenancy legislation is in force conferring Bhumiswami rights in respect of non-resumable lands on tenants and sub-tenants. The main problem during the Fourth Five Year Plan period in this regard would be completion of implementation by carrying out mutations regarding the tenants as Bhumiswamis. An outlay of Rs. 30 lakhs has been proposed for the Fourth Plan for the scheme of cadastral survey and record-of-rights.

The provisions relating to ceiling on land holdings are being reviewed by the State Government with a view to facilitating implementation and making available more lands for re-distribution.

The State Government also propose an outlay of Rs. 140 lakhs for the scheme of consolidation of holdings.

Special schemes are also being worked out for settlement of landless agricultural labourers and for rehabilitation of the small farmers.

रोजगार कार्यालय, दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

8128. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को रोजगार कार्यालय, दिल्ली के रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) उनका वर्गवार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरन् संजीवैया) : (क) चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या 1,41,733 थी। फिर भी नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति सामान्यत: बेरोजगार नहीं हैं। बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) एक विवरण जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गई है, संलग्न है।

(घ) केन्द्र व दिल्ली प्रशासन की चौथी पंचवर्षीय योजना सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा पढ़े-लिखों समेत, बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम संख्या	शैक्षिक स्तर	नीचे दी तारीखों को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या 31-12-67, 31-12-68, 31-12-69,		
1	2	3	4	5
1.	मैट्रिक से कम (अनपढ़ों समेत)	30,384	46,465	54,394
2.	मैट्रिकुलेट	21,040	31,158	31,917
3.	हायर सैकण्डरी (इन्टरमीडिएट/अंडर ग्रेजुएट समेत)	13,719	21,011	31,417
4.	ग्रेजुएट	8,238	14,487	16,720
5.	पोस्ट-ग्रेजुएट	3,731	2,593	5,008
	जोड़	77,112	1,16,114	1,39,456

किसान आयोग की नियुक्ति

†8129. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश में किसानों की स्थिति और कल्याण सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये एक किसान आयोग नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वृद्धावस्था में किसानों की देखभाल करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन किसानों की सहायता करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) "किसान आयोग की नियुक्ति से सम्बन्ध कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार पहले ही भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की जांच तथा उस पर ,प्रतिवेदन देने और कृषि में सुधार के लिए सिफारिशें करने और एतद रूप में लोगों की समृद्धि और कल्याण के सवर्द्धन के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना करने का निर्णय कर चुका है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर अंश-कालिक कार्य करने वाली लड़कियों की उपलब्धियों में वृद्धि

8130. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों पर अंशकालिक कार्य करने वाली कालेजों की लड़कियों को 25 रुपये तथा 50 रुपये मासिक दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दरें पुरानी हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं और बहुत कम हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार 25 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये और 50 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) लड़कियों सहित वरिष्ठ और कनिष्ठ डिपो एजेन्टों को अधोलिखित दर पर कमीशन दिया जाता है, वरिष्ठ डिपो एजेन्ट को $2\frac{1}{2}$ घन्टे की प्रति पारी प्रति दिन 1.87 रुपये और डिपो एजेन्ट को $2\frac{1}{2}$ घन्टे की प्रति पारी प्रति दिन 0.94 रुपया।

(ख) डिपो एजेन्टों द्वारा अर्जित कमीशन का सम्बन्ध जीवन निर्वाह व्यय से नहीं हैं। हां, इन एजेन्टों द्वारा अर्जित कमीशन बृहद बम्बई दुग्ध योजना और कलकत्ता दुग्ध योजना द्वारा दिये जाने वाले पारिश्रमिक के समतुल्य है।

(ग) जी नहीं।

(घ) डिपो स्टाफ को दिया हुआ कमीशन तर्क संगत समझा जाता है और वास्तविक छात्रों को उनके अध्ययन को चलाने में सहायत देने के योग्य है।

†मूल अंग्रेजी में

धान के पौधों के प्रतिरोपण के लिये एक नई यांत्रिक प्रणाली का आविष्कार

†8131. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार की सेवा में नियुक्त एक कृषि स्नातक ने, धान के पौधे के प्रतिरोपण के लिये एक नई यान्त्रिक प्रणाली का आविष्कार किया है जो मनुष्य की तुलना में आठ गुना अधिक तेज काम करेगी;

(ख) क्या मशीन का संतोषपूर्ण ढंग से परीक्षण किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त आदिरूप (प्रोटोटाइप) के आधार पर उक्त यंत्र निर्माण करने के लिये कोई कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) : उड़ीसा राज्य में एक कृषि स्नातक श्री आर० एन० महापात्र द्वारा धान के पौधे के प्रतिरोपण के लिए एक नई यान्त्रिक प्रणाली का विकास किया गया बताया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक में मशीन का प्राथमिक परीक्षण किया गया था । मशीन का नमूना बनाने वाले को मशीन के कार्य निष्पादन में सुधार करने की सलाह दी गई थी ।

(ग) जब तक मशीन का कार्य निष्पादनपूर्ण तथा सन्तोष पूर्ण नहीं माना जाता तब तक उसके निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक छिड़कने की फोलियर पद्धति द्वारा चावल के उत्पादन में वृद्धि

8132. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर जिलों में किये गये प्रयोगों से यह पता लगा है कि फोलियर पद्धति द्वारा उर्वरकों के प्रयोग से वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन लगभग 15 प्रतिशत बढ़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उक्त पद्धति तथा अन्य पद्धति के प्रयोग से 1970-71 में चावल के उत्पादन में 1968-69 की तुलना में कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) : जी हां। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग तथा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा

सहकारिता मन्त्रालय के विस्तार निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक शस्य-वैज्ञानिक की देख-रेख में मध्य प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर जिलों में 4800 हैक्टार क्षेत्र में यूरिया के पर्णीय छिड़काव के प्राथमिक मार्ग दर्शी प्रदर्शन किये गये थे, जिनके फलस्वरूप वर्षा वाले क्षेत्र में चावल के औसत उत्पादन में लगभग 2.7 से 3.2 क्विन्टल प्रति हैक्टार वृद्धि हुई है अर्थात बिना छिड़काव की गयी अवस्था की तुलना में उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) उर्वरक फार्मों द्वारा भी गेहूं जैसी फसलों पर इस प्रकार के मार्गदर्शी प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) कार्य अभी मूल्यांकन की आरम्भिक अवस्था में है।

चौथी योजना की अवधि के लिये चीनी के मूल्य तथा उत्पादन के लिये राष्ट्रीय नीति

813 . **श्री शिव चंद्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी योजना की अवधि के लिये चीनी के मूल्य तथा उत्पादन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क), (ख) **और** (ग) : चौथी योजनावधि के लिए चीनी की उत्पादन नीति पहले ही तय कर ली गयी है। 1973-74 तक 47.0 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है। यह लक्ष्य आंशिक रूप से मौजूदा चीनी कारखानों का विस्तार कर और अंशत: प्रमुख रूप से सहकारी क्षेत्र में नये कारखाने स्थापित कर प्राप्त करने की योजना है।

जहां तक चीनी की मूल्य नीति का सम्बन्ध है, सरकार ने 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के तीन वर्षों के लिए चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करने हेतु टैरिफ आयोग (1969) द्वारा तैयार की गयी लागत अनुसूचियां अपनाने सम्बन्धी अपने निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है। इसके बाद इस मामले की पुन: जांच की जाएगी।

नई दिल्ली में टेलीविजन सेटों की संख्या

8134. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कितने टेलीविजन सेट हैं;

(ख) कितने टेलीविजन सेट निजी व्यक्तियों के हैं, और कितने टेलीविजन सेटों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है;

(ग) सरकार द्वारा किन किन स्थानों पर टेलीविजन सेट लगाये गये हैं और प्रत्येक टेलीविजन सेट को चलाने पर प्रतिमास अलग अलग कितना खर्च होता है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थापित किये गये टेलीविजन सेटों का प्रदर्शन देखने के लिये प्रत्येक स्थान पर अलग अलग कितने व्यक्ति आते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 16,468 (दिल्ली/नई दिल्ली में तथा इनके आस पास)।

(ख) निजी व्यक्तियों के पास	15,621
सरकार द्वारा जिनका प्रबन्ध किया जाता है	847

(ग) (i) **सरकार द्वारा लगाए गए सेटों के स्थान**	**सेटों की संख्या**
स्कूल	645
टेली-क्लब (शहरों में)	101
टेली-क्लब (देहातों में)	80
घरों में मानिटरिंग करने के लिए	21
	847

(2) सेट के चलाने पर जो व्यय आता है उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति अथवा संगठन की है जिसे सेट आवंटित किया गया है। अनुरक्षण के लिए सरकार का खर्चा औसतन 20 रुपये प्रति माह प्रति सेट है।

(घ) देखने के लिये आने वाले व्यक्तियों की प्रति सेट औसत संख्या :—

	देखने वालों की संख्या
(1) स्कूलों में	30 से 40 तक
(2) टेली-क्लबों में (ग्रामीण तथा शहरी)	80 से 100 तक
(3) मन्त्रियों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घरों में	10

दरभंगा, बिहार में टेलीविजन केन्द्र

8135. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा, बिहार में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दिल्ली टेलीविजन केन्द्र का विस्तार करने के अतिरिक्त श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर/लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। साधनों की कमी के कारण दरभंगा में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

संयुक्त आयुक्त (मशीन आदि) के तकनीकी पदों की पूर्ति

8136. **श्री नम्बियार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में संयुक्त आयुक्त (मशीन आदि) जैसे अनेक तकनीकी पदाधिकारी हैं, जो भारत में कृषि के लिये विभिन्न ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों के आयात और निर्माण में सहयोग के बारे में अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों की पूर्ति तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की गई है अथवा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है; और

(ग) क्या उक्त पदों पर इस समय तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति काम कर रहे हैं और यदि हां तो उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) मन्त्रालय में संयुक्त आयुक्तों के दो पद हैं (1) संयुक्त आयुक्त (मशीनरी) और (2) संयुक्त आयुक्त (कृषि-उद्योग) जो सलाहकारों के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे मामलों का निपटारा करते हैं।

(ख) और (ग) : मौजूदा पद-धारियों की अर्हतायें और अनुभव नीचे दिये गये हैं :—

1. **संयुक्त आयुक्त** (मशीनरी)
   बी० एस० सी० (कृषि इंजीनियरी) इलाहाबाद।
   एम० एस० (कृषि इंजीनियरी) पश्चिमी बर्जीनियां (संयुक्त राष्ट्र अमरीका)
   पहले ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र, बुदनी, में निदेशक के पद पर कार्य किया।

2. **संयुक्त आयुक्त** (कृषि-उद्योग)
   एम० ए०।

पहले सामुदायिक विकास विभाग में उप-निदेशक (उद्योग) और निदेशक (उद्योग) और कृषि विभाग में उप-आयुक्त (मशीनरी) के पद पर काम किया।

छिड़काव करने वाले कृषि विमानों की बेकार क्षमता

8137. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 अप्रैल के "इकनौमिक टाइम्स" में कृषि में "कृषि में विमान" पर लिखे गये लेख के संदर्भ में 7.5 लाख एकड़ भूमि पर छिड़काव करने का उल्लेख करने के क्या कारण हैं जबकि देश में 42.5 लाख एकड़ भूमि पर छिड़काव करने की क्षमता है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा किसानों को छिड़काव की आधी लागत न दिये जाने के कारण छिड़काव क्षमता बेकार पड़ी है;

(ग) इस बात को देखते हुए कि राज्य सरकारों द्वारा छिड़काव में आवश्यक रुचि लिये जाने की संभावना नहीं है क्या सरकार राज्य को दिये जाने वाले सामूहिक अनुदानों में शामिल करने की बजाय पहले की भांति सीधी राज सहायता करने का प्रस्ताव करती है; और

(घ) जब पूर्ण क्षमता के प्रयोग से 100 करोड़ रुपये के मूल्य की फसल में वृद्धि होने की सम्भावना है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 करोड़ अथवा और अधिक राज सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस लेख में दिए गए अनुमानों और निष्कर्षों के आधार को समझना कठिन है। 1969 70 में (फरवरी, 1970 तक) लगभग 25 लाख एकड़ की अनुमानित क्षमता की तुलना में 11,32,966 एकड़ भूमि में छिड़काव किया गया। हवाई छिड़काव एक मौसमी कार्य है, अतः विमानों की कुल क्षमता के आधार पर छिड़काव करना सदा सम्भव नहीं होगा और विशेषकर उस स्थिति में जब कि पौध रक्षा उपाय के रूप में हवाई छिड़काव के विषय में एक औसत किसान की रुचि उत्पन्न की जानी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 22 मई, 1969 की योजना आयोग ने राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से यह निर्णय किया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जानी चाहिए। चौथी योजना के लिए सहायता का यह प्रतिमान कृषि-विमानन सहित समस्त योजनाओं के लिए होने के कारण ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता देने के बजाए राज्यों को सीधी सहाय्य प्रदान करने की पुरानी पद्धति पर लौट जाना सम्भव नहीं होगा। परन्तु कपास के लिए हवाई प्रभार को पूरा करने के लिए योजना आयोग से सहाय्य बढ़ाने के लिए कहा गया है।

(घ) क्योंकि केवल 8 करोड़ रुपए की राज सहायता की व्यवस्था कर देने से ही 100 करोड़ रुपए मूल्य की अधिक उपज प्राप्त करने की आशा करने का कोई कारण नहीं है।

परन्तु केन्द्र ने एक नई योजना प्रारम्भ कर दी है। केन्द्र ने स्थानिक क्षेत्रों में हवाई छिड़काव कार्यों की एक नई योजना प्रारम्भ की है जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों के लिए 4.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसके अन्तर्गत पहले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 16 लाख एकड़ और चौथे वर्ष में 13 लाख एकड़ भूमि लाई जायेगी। इसमें अधिक से अधिक 7 रुपए प्रति एकड़ का प्रचालन व्यय शामिल होगा।

इसके अतिरिक्त राज्यों को "महामारी नियंत्रण" के लिए कीटनाशी औषधियों की लागत का 50 प्रतिशत और योजना के एक भाग के रूप में 25 प्रतिशत ऋण को पूरा करने के लिए भारत सरकार आपद निवारण निधि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता दे रही है।

Irregularities Committed in Sugar Factory on Cooperative Basis in Keshorai Patan, Rajasthan

8138. **Shri OnkarLal Bohra**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sugar factory, which was set up on co-operative basis in Keshorai Patan, Rajasthan and which was inaugurated by the Union Home Minister recently was closed down on the next day on account of breakdown of the machinery ;

(b) whether it is also a fact that the farmers of the area are finding difficulties to sell their sugarcane and are suffering loss of lakhs of rupees ;

(c) whether it is also a fact that there are several complaints in respect of irregularities committed in the purchase of machines and other equipment ; and

(d) if so, whether Government would institute a high level impartial enquiry in the whole matter keeping in view the facts stated above ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri D. Ering): (a) No, sir.

(b) No, sir.

(c) No, sir.

(d) Does not arise.

श्रमिक कल्याण सम्बन्धी दृष्टिकोण

8139. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस बात से सहमत हैं कि श्रमिक कल्याण संबंधी दृष्टिकोण और इसके अन्तर्गत आनेवाली बातें देश और समय के अनुसार बदलती रहती हैं यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय ने इस क्षेत्र में किसी नये दृष्टिकोण पर विचार किया है ; और

(ख) श्रम मंत्रालय ने चौथी योजना में क्या-क्या नये कार्यक्रमों का सुझाव दिया है जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष चालू किए गए कार्यक्रमों की तुलना में कल्याण पर अधिक सीधा प्रभाव पड़ेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि श्रमिक कल्याण का दृष्टिकोण जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने व्यक्त किया है, अनिवार्यतः प्रगतिशील है जिसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न रही है । श्रम कल्याण समिति तथा राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ने की थी, इस विषय हाल ही में एक नये दृष्टिकोण से का अध्ययन किया गया है । इन निकायों की सिफारिशें में विचाराधीन हैं ।

(ख) सुझाई गई कुछ नई योजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) बेरोजगारी बीमा ।

(ii) गोदी श्रमिक संबंधी आवास योजना ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रमिक संघों के प्रतिनिधि

8140. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में चुने गये श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से सरकार संतुष्ट है ;

(ख) क्या यह असंगत नहीं है कि उक्त कारखानों आदि के निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ऐसे बाहर के लोग करते हैं जो कारखाना अथवा सम्बद्ध कम्पनियों के कार्य से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : **(क), (ख) और (ग)** : कुछ वर्षों से अब सरकार सरकारी क्षेत्र है कुछ उपक्रमों के प्रबंधकीय बोर्डों में ऐसे श्रमिकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती रही है जो मजदूर आन्दोलन से संबंध रखते हैं, हालांकि वे संबंधित उद्यमों में काम न भी कर रहे हों। फिर भी सरकार अब ऐसे उद्यमों में नियोजित श्रमिकों को सम्बंधित उद्यमों के प्रबंधकीय बोर्डों में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

समस्त देश में कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए समान वेतनमान

8141. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्त देश में कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए समान वेतनमान लागू करने सम्बन्धी नीति तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) मजूरी के प्रश्न पर हाल ही में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने विचार किया है और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि समस्त देश के लिए पारिश्रमिक की मुद्रा के रूप में समान न्यूनतम दर निर्धारित करना न तो संभव ही है और न वांछनीय ही है।

खण्ड-स्तर पर भूमि परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं

8142. **श्री देवराज पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गांवों में भूमि परीक्षण कार्य के लिये कम से कम खण्ड स्तर पर भूमि परीक्षण सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, तथा कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : भारत सरकार ने खण्ड तथा ग्रामस्तर पर अनुपूरक मुद्रा विश्लेषण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक योजना स्वीकृत की है।

यह योजना व्यापारिक आधार पर शुरू की जायेगी ताकि मुद्रा विश्लेषण का कार्य शुरू करने के लिये खण्ड या ग्रामस्तर पर योग्य किन्तु बेरोजगार या योग्यता अनुसार व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके। चुने हुये स्वयं सेवक को (जो कम से कम आई० एस० सी० होगा) बिना किसी शुल्क के ऋण के रूप में एक अनुरोधित भूमि परीक्षण किट दी जायेगी और उसे किट को प्रयोग करने में और निकटस्थ मानक मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला के सहयोग से उर्वरक प्रयोग के सम्बन्ध में सिफारिशों करने का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उसे दिये गये भूमि परीक्षण किट तथा मानक रंग चार्टों की सहायता से, चालक भूमि विश्लेषण का कार्य करेगा और किसानों द्वारा अपेक्षित आवश्यक भूमि-परीक्षण सेवायें प्रदान करेगा। वह किसानों से प्रति विश्लेषित नमूना के लिये केवल दो रुपये लेगा। इसके अतिरिक्त वह अपने क्षेत्र से निकटस्थ भूमि परीक्षण प्रयोगशाला मुद्रा नमूनों को एकत्रित करने और भेजने के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के एक गैर-सरकारी-एजेन्ट के रूप में भी कार्य करेगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रयोग होने वाले किट को भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था द्वारा विकसित किया गया था और उसके पश्चात् उसे पेटेंट कराने और उसके व्यापारिक उत्पादन का प्रबन्ध करने के लिये एन आर डी सी को सौंप दिया गया था। इस किट में भूमि, प्रौद तथा जल विश्लेषण के लिये नवीनतम तकनीकें सम्मिलित हैं। प्रत्येक किट की लागत लगभग 1,300/- रु० है।

यह योजना 1970-71 के दौरान 10 राज्यों के चुने हुये 10 जिलों में लगभग 200 केन्द्रों में आदेश कार्यक्रम के रूप में निम्न प्रकार क्रियान्वित की जायेगी :—

राज्य	जिले, जहां भूमि विश्लेषण केन्द्र स्थापित किये जाने हैं	स्थापित किये जाने वाले केन्द्रों की संख्या	पर्यवेक्षण मानक भूमि परीक्षण प्रयोगशाला
1. आंध्रप्रदेश	गुन्टूर	20	वपटला
2. बिहार	भागलपुर	20	सबोर
3. गुजरात	जूनागढ़	20	जूनागढ़
4. हरियाणा	हिसार	20	हिसार
5. केरल	त्रिवेन्द्रम	20	त्रिवेन्द्रम
6. मध्य प्रदेश	ग्वालियर	20	ग्वालियर
7. मद्रास	कोयम्बेटूर	20	कोयम्बेटूर
8. महाराष्ट्र	पूना	20	पूना
9. मैसूर	बंगलौर	20	बंगलौर
10. पश्चिम बंगाल	24-परगना	20	कलकत्ता

यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजना के रूप में स्वीकृत की गई हैं। केन्द्रीय सरकार 2.7 लाख रु० की अनुमानित लागत से 200 भूमि परीक्षण किटें खरीदकर निःशुल्क रूप से राज्य

सरकारों को देगी। राज्य सरकारें उन किटों को कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये चुने हुये स्वयं सेवकों में वितरित करेंगी।

एक वर्ष तक कार्य करने के पश्चात् इस योजना की कार्यपद्धति का क्षेत्र में किसानों के प्रति की गई सेवाओं के रूप में मूल्यांकन किया जायेगा। यदि परिव्यय उत्साहवर्धक सिद्ध हुये तो राज्य सरकारें इस योजना को और अधिक क्षेत्रों में लागू कर सकतीं हैं।

गांव-पंचायतों की परती भूमि (फैलो लैंड) का उपयोग

†8143. **श्री देवराज पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों में राज्य सरकारों को गांव-पंचायतों की विस्तृत परती भूमि का उपयोग अथवा वितरण करने के बारे में निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां परती भूमि है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि-मद संख्या 18, सूचि दो–राज्य सूचि के अन्तर्गत "भूमि" राज्य का विषय होने के कारण परती भूमि का वितरण तथा नियतन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई भूमि नियतन नियमों की रूपरेखा के अन्तर्गत ही हो रहा है। अतः भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार के निदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन राज्य सरकारों जहां परती भूमि के कुछ क्षेत्र पड़े हैं, के नाम इस प्रकार हैं : आन्ध्र प्रदेश; आसाम; बिहार; गुजरात; हरियाणा; जम्मू और काश्मीर; केरल; मध्य प्रदेश; महाराष्ट्र; मैसूर; उड़ीसा; पंजाब; राजस्थान; तमिलनाडु; उत्तर प्रदेश; और पश्चिम बंगाल।

काजू विकास निदेशालय का कालीकट से एरणाकुलम में स्थानांतरण

8144. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काजू विकास निदेशालय के कार्यालय को कालीकट के एरणाकुलम में स्थानांतरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यह निर्णय कुछ उच्च अधिकारियों की वैयक्तिक सुविधा को ध्यान में रख कर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) प्राप्त हुये कुछ अभ्यावेदनों की दृष्टि में रखते हुये इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) किसी भी अधिकारी की वैयक्तिक सुविधा का सरकार के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कुछ अभ्यावेदनों की दृष्टि में रखते हुये कार्यालय को स्थानान्तरित करने के समस्त प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

सहकारी शिक्षा

8145. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) देश में कितनी संस्थाओं में सहकारी शिक्षा दी जाती है और ये संस्थायें कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी शिक्षा का विकास करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० एरिंग) : (क) देश में सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न उपाय किये गए हैं उनमें ये हैं—केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य योजना स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता, कार्यक्रम का समय-समय पर की जाने वाली उसकी समीक्षा के आधार पर अनुस्थापन, साहित्य निर्माण, रेडियो जैसे जन-संचार के माध्यमों के जरिये जानकारी का प्रसार करना, और शिक्षा संस्थानों में सहकारी को बढ़ावा देना।

(ख) 5 फरवरी, 1970 को 592 घूमने-फिरने वाली यूनिटें सहकारी शिक्षा कार्यक्रम को चला रही थीं। इन यूनिटों को राज्यवार विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारी समितियों के प्रवर्तन तथा कार्यकरण में अच्छी जानकार तथा प्रबुद्ध सदस्यता की भूमिका पर बल देने, सहकारी शिक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने, योजना को संस्थागत समर्थन प्रदान करने और सभी स्तरों की सहकारी समितियों को आवश्यकता पर आधारित सहकारी शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियां तैयार तथा उन्हें कार्यान्वित करने के कार्य में सम्मिलित करने की दिशा में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

विवरण

5 फरवरी, 1970 को सदस्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहीं घूमने-फिरने वाली यूनिटों की संख्या बताने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	52
2.	असम	22
3.	बिहार	34
4.	गुजरात	50
5.	हरियाणा	19

क्र० सं	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
6.	केरल	12
7.	महाराष्ट्र	78
8.	मध्य प्रदेश	71
9.	मैसूर	52
10.	उड़ीसा	26
11.	पंजाब	16
12.	राजस्थान	57
13.	उत्तर प्रदेश	54
14.	पश्चिम बंगाल	22
15.	हिमाचल प्रदेश	20
16.	मणिपुर	4
17.	त्रिपुरा	3
	योग	592

खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार तथा गोदाम

8146. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थों का अब तक कुल कितना सुरक्षित भण्डार बनाया गया है; और

(ख) इन वस्तुओं का कितने गोदामों में रखा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिंदे) : (क) मार्च, 1970 के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का कुल 42 लाख मीटरी टन का स्टाक था। इसमें से लगभग 27 लाख मीटरी टन को बफर स्टाक माना जा सकता था। अभी तक किसी अन्य कृषि जिन्स का बफर स्टाक तैयार करना सम्भव नहीं हुआ है हालांकि राज्य व्यापार निगम ने मूल्य साहाय्य तथा वाणिज्यिक खरीदारी के रूप में कुछ पटसन खरीदी है।

(ख) स्टाक के रखने में कितना बफर स्टाक होता है और कितना कार्यचालन स्टाक इसके बीच कोई वस्तुगत हदबन्दी नहीं की जा सकती है। अतः जिन भण्डागारों में बफर स्टाक रखा गया उनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।

महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना आरम्भ करना

8147. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में हथकरघा उद्योग में उक्त योजनाओं को लागू करने में विचार करने का है;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : **कर्मचारी राजकीय बीमा योजना** : -- कर्मचारी राजकीय बीमा अधिनियम 1948 उस समय उन बारहमासी कारखानों पर लागू होता है जो पावर का इस्तेमाल करते हैं और जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं । महाराष्ट्र का करघा उद्योग इस समय उस अधिनियम के अन्तर्गत आ जाएगा जब उसे ऐसे कारखानों पर लागू किया जायेगा जो पावर का इस्तेमाल नहीं करते ।

कर्मचारी भविष्य निधि-योजना :-- कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 हथकरघा कारखानों पर लागू होता है, परन्तु ऐसे कारखानों को जो कि औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित किए जा चुके हैं, इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है । मविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि महाराष्ट्र में इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सहकारिता क्षेत्र के बाहर कोई हथकरघा कारखाना नहीं है ।

विदेशों की तुलना में भारत में 1968 तथा 1969 में नाशक-जीव नियंत्रण पर हुआ व्यय

†8148. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 तथा 1969 में देश में नाशक-जीव नियंत्रण कार्य के बारे में खेती योग्य भूमि के प्रति हजार एकड़ कितना व्यय हुआ;

(ख) यह पाकिस्तान, जापान, वर्मा, आस्ट्रेलिया, अमरीका तथा कनाडा में नाशक-जीव नियंत्रण सेवाओं के अन्तर्गत खेती-योग्य भूमि के प्रति हजार एकड़ किये गये व्यय से कितना कम अथवा अधिक है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नाशक-जीव नियंत्रण सेवाओं का विकास करने का कार्यक्रम क्या है ?

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) सही आंकड़े देना कठिन है । प्राक्कलनों के अनुसार वर्ष 1967-68 और 1968-69 में क्रमवार 52 किलोग्राम और 75 किलोग्राम कीट नाशक/जीवनाशक औषधि प्रति हजार एकड़ कृषि भूमि पर प्रयोग में लाई गई । प्रयुक्त जीवनाशक औषधि के गुण और प्रकार के अनुसार भारत में प्रति हजार एकड़ भूमि पर 500 रुपये से 8000 रुपये तक खर्च होते हैं ।

(ख) विश्व के कुछ अन्य देशों में जीवनाशक औषधियों पर हुआ खर्च इस प्रकार हैं :--

जापान--45,000 रुपये प्रति हजार एकड़ पर ।

अमरीका—15,000 रुपये प्रति हजार एकड़ पर ।

अन्य देशों से सम्बन्धित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में नाशक-जीव नियंत्रण सेवाओं का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

श्रेणी वनस्पति रक्षा के उपायों के लिए वर्षवार लक्ष्य (मिलियन हेक्टेयर में)

	1	2	3	4	5
बीजोपचार	15	18	20	23	26
मूषक नियंत्रण	4	6	8	9	10
सामान्य नाशक-जीव	4	5	6	7	8
गहन उपचार	24.5	26.2	28.8	31.4	34
कुतृण नियंत्रण	0.5	0.8	1.2	1.6	2
	48	56	64	72	80

अतः इससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से 62000 मीटरिक टन तकनीकी ग्रेड के जीवनाशक के प्रयोग से 8 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर वनस्पति रक्षा उपाय यह लागू होंगे ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को विदेशों में भारत मूलक लोगों के उत्तराधिकारियों के नाम चढ़ाना

8149. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री, 26 मार्च,1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की दैनिक समाचार-पत्र "नैशन" नैरोबी, कीनिया के एक संवाददाता, स्वर्गीय श्री वी० पी० शर्मा के सुपुत्र श्री कुलभूषण शर्मा के नाम चढ़ाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति इस बीच ले ली गयी है और गुम हुए प्रमाण-पत्र की एक दूसरी प्रति उनके हस्ताक्षर के लिए उन्हें भेज दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यह उन्हें कब भेजी जायेगी और इस मामले को, जिसमें पहले ही लगभग चार वर्ष का विलम्ब हो गया है, शीघ्र निबटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) दावेदार के हस्ताक्षर के लिए गुम हुए प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की अभी प्रतीक्षा है । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को लगातार स्मरण कराया जा रहा है ।

(ग) रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त होते ही कागजात पार्टी को भेज दिए जाएंगे । दावे का शीघ्र निपटान करने के लिए इस मामले की प्रगति पर लगातार निगाह रखी जा रही है ।

Mobile Post Office for Indore

8150. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communication** be pleased to state :

(a) whether Government propose to run mobile post office in Indore like other big cities in a few months for providing facilities to the labourers colonies and new colonies ;

(b) if so, the time by which the said post office is likely to start functioning ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no proposal at present to run a mobile post office in Indore for providing postal facilities to the labourers' colonies and new colonies.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) Under the present policy, Mobile Post Offices are to be provided at all 'A', B-I and B-II class cities and at the headquarters of State Governments. Indore is at present only in 'C' Class. Further the ,existing postal facilities would appear to be fairly adequate and there are 39 post offices in the city. Four more offices are proposed to be opened during the current year in the labourers' and new colonies. Excepting in very special cases, a person is not required to walk more than 2-3 furlongs to reach a Post Office.

Telephones Installed in Ujjain (Madhya Pradesh)

8151. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broabcasting** and Communications be pleased to state :

(a) the number of new telephone connections installed in Ujjain District of Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) the number of applications for telephone connections received by Government during the last two years and the telephone connections installed during the last two years ; and

(c) the number of those applicants for new telephone connections who have been on the waiting list for the last two years and also the action taken by Governnment to provide them with telephone connections ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : **(a) and (b)** 373 new applications were received and 204 new connections were provided during the last two years ending 31st March, 1970.

(c) None of the pending applications has been on the waiting list for more than two years.

Foodgrain shops run on Cooperative Basis in Calcutta and Delhi

8152. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of shops being run on cooperative basis for the supply of foodgrains in Calcutta and Delhi at present ;

(b) the quantity of wheat and rice supplied by Government to the said shops during the financial year 1968-69 and the quantity of wheat and rice, which was distributed by the said shops to the public on ration cards ; and

(c) the number of additional ration shops proposed to be opened during the year 1970 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (c) Information is being collected from the West Bengal Government anf Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

(b) It is considered that the time and efforts that will have to be spent in collecting this voluminous information will not be commensurate with the object to be achieved.

Non supply of Basmati Rice at Ration Shops in North Avenue, South Avenue and Rashtrapati Bhavan, New Deihi

8153. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Basmati Rice was not supplied by the Ration shops in North and South Avenue and Rashtrapati Bhavan for some days in the first fortnight of April, 1970 ;

(b) whether it is also a fact that Basmati Rice was sold in blackmarket in these very shops ;

(c) the reasons for wlich Basmati rice was not supplied during the said period by those shops ;

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure that the Basmati rice and other consumer goods are regularly supplied by the said shops in future ; and

(e) whether Government propose to issue instructions to the shopkeepers that the quantity of rice which has not been supplied during the said period should be supplied to the consumers during the coming weeks ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :(a) Stocks of Basmati Rice in one or two Fair Price Shops of the area mentioned got exhausted by 5-6th April, 1970 but were replenished on 9-10th April, 1970.

(b) No, Sir.

(c) In order to avoid rush at godowns and to ensure timely supplies, authority letters for obtaining specified food articles from Food Corporation godowns are issued for supplies on specific dates. Such dates in the case of the Fair Price Shops located in North and South Avenue and Rashtrapati Bhavan were 9th and 10th April, 1970, during the first fortnight of April. However, stocks of Basmati rice in one or two Fair Price Shops were exhausted by 5th and 6th April, but the same were replenished on 9th and 10th April, the allotted dates.

(d) The system of foodgrains distribution in Delhi is on an informal basis. While Government can make arrangements for supply of rice, if available under the informal rationing system, continuous supply of any speicfic variety like Basmati cannot be assured. It is not clear to which other goods reference is being made.

(e) Card holders who could not get their quota of Basmati rice during those 2 or 3 days, were suppled the same after the stocks were replenished.

संसद सदस्यों को उनके निवास-स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में अनिर्णीत आवेदन पत्र

8154. **श्री देवराव पाटिल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को उनके निवास-स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में जो अनिर्णीत आवेदन पत्र हैं वे किन संसद सदस्यों के तथा किन-किन स्थानों के लिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने एक विशेष योजना के अन्तर्गत संसद् सदस्यों को टेलीफोन सुविधायें देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से संसद सदस्य आते हैं, इस योजना को लागू करने में सरकार को असफलता के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) जी हां । आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियमावली, 1969 के अधीन निःशुल्क टेलीफोन सुविधा दी जाती है ।

(ग) ऊपर (ख) में बताये गये नियम के अनुसार टेलीफोन लगाने के लिए सदस्य ने जो स्थान चुना है वह किसी एक्सचेंज के प्रचालन क्षेत्र के भीतर आना चाहिए । देहाती और शहरी इलाकों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । फिर भी, सम्बन्धित एक्सचेंज के स्थानीय इलाके के बाहर टेलीफोन लगाने के लिए कई मार्ग प्राप्त हो चुकी है । इसके लिए बढ़ा हुआ किराया देना पड़ता है जो कि संसद्-कार्य विभाग को स्वीकार्य नहीं है ।

रूस की स्थिति के संम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा प्रसारण

8155. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की स्थिति पर वर्तायें प्रसारित करने के लिये समय दिये जाने हेतु संसद सदस्यों से आकाशवाणी को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग) : जी, हां, सरकार को एक प्रार्थना, तारीख 9 मार्च 1970 को प्राप्त हुई है जो सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

अप्रैल 1970 में सोयाबीन तेल का आयात

8156. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बाल्मीकि चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका से अप्रैल में भारत को कितनी मात्रा में सोयबीन तेल प्राप्त हुआ है ;

(ख) आगामी कुछ महीनों में कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होगा ; और

(ग) क्या सरकार ने अमरीका और यूरोप से खुले बाजार में और अधिक तेल खरीदा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) 25 अप्रैल तक 17,514 मीटरी टन सोयाबीन का तेल प्राप्त हुआ था और आशा है कि इस मास के अन्त तक 1,903 मीटरी टन और सोयाबीन तेल प्राप्त हो जायेगा।

(ख)	मई	...	4,500 मी० टन
	जून	...	11,700 मी० टन
	जुलाई	...	4,800 मी० टन

(ग) जी हां; संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,000 मीटरी टन और यूरोप में 7,000 मीटरी टन।

गत दो वर्षों में बिहार में स्थापित किये गये स्वचालित एक्सचेंज

8157. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बिहार में कितने स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) किन स्थानों पर ये एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं और वहां की जनसंख्या कितनी कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क)गत दो वर्षों में बिहार में 11 स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किए गए थे।

(ख) जिस स्थानों पर ये लगाये गये थे, उनके नाम और 1961 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या नीचे दी गई है :

स्थान का नाम	जन संख्या
1. चनपटिया	14559
2. वोकारो स्टील सिटी	5141
3. भगवानपुर	1611
4. मुस्कीपुर	4753
5. पीकराम	2277
6. नटवर	5271
7. पटौरी	8090
8. नवीनगर	2951
9. पालीगंज	4556
10. टोली	1073
11. शयोहर	6626

पश्चिम बंगाल में भूमिहीन किसानों के लिए भूमि

8158. **श्री कं० हाल्डर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार अधिकतम सीमा वाले क्षेत्रों, बेनामी तथा रबस-भूमि भूमिहीन किसानों की वितरित करने के संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यक्रम को कार्यान्वित करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजीकृत पट्टे उनको दिये जायेंगे अथवा नहीं ; और

(ग) क्या सरकार को यह परामर्श दिया जायेगा कि वह एक अध्यादेश प्रख्यापित करें ताकि किसान आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व से भूमि पर अधिकार कर सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) भूमि सुधारों की क्रियान्विति के लिए बेनामी भूमि का पता लगाने, निहित भूमि का कब्जा लेने और ऐसी भूमि को पात्र व्यक्तियों में वितरित करने के प्रयत्नों को गतिमान करके सक्रिय और प्रभावपूर्ण उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) यदि निहित भूमि के कब्जेदार पात्र श्रेणी के हैं तो उन्हें मान्यता दे दी जाती है । सबसे पहले वार्षिक लाइसेंस प्रदान करके उनके कब्जे को नियमित किया जाता है और तत्पश्चात उनके लिए यथा समय रेयती बन्दोबस्त की व्यवस्था की जाती है ।

(ग) इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं ।

कालीकट और कोयम्बतूर के बीच सूक्ष्म तरंग (माइक्रो-वेव) द्वारा सम्बन्ध स्थापित करना

8159. **श्री मंगलामुमाडम :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट और कोयम्बतूर के बीच सूक्ष्म तरंग द्वारा सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका परीक्षण करने के उपरान्त इस व्यवस्था को कब चालू किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) आशा है कि यह लगभग छः महीने में चालू हो जायगा ।

तमिल नाडू को केले की खेती के लिए केंद्रीय सहायता

†8160. **श्री नंजा गौडर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु में केले की खेती के विकास तथा इसके और ज्यादा उत्पादन के लिए सहायता के अभाव में इसके उत्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में केले की खेती में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या तमिल नाडु सरकार ने कुछ सहायता मांगी है ?

खाद्य तथा कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, नहीं। परन्तु वहां उत्पादन की वृद्धि के हेतु सहायता दी जानी चाहिए।

(ख) सामान्य फल विकास योजना के अन्तर्गत फल उत्पादकों को राज्य सरकारों के माध्यम से केले की खेती के लिए प्रति एकड़ एक हजार रुपये की दर से लम्बी अवधि का ऋण दिया जाता है। तमिल नाडु राज्य सहित केला उगाने वाले राज्यों में केले के निर्यात के लिए केलों का उत्पादन करने सम्बन्धी और चौथी योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात के लिए केलों का उत्पादन करने हेतु तमिल नाडु राज्य को केन्द्रीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार केला-निर्यात के उद्देश्य से अपने केला पैकेट कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थाओं के साधनों के माध्यम से और अधिक ऋण भी देती है।

(ग) जी, हां, प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

Setting up a Central Co-ordination Committee for Rural Development

8161. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :(a) whether Government have decided to set up a Central Co-ordination Committee for rural develpoment,; and

(b) if so, the names of its members and their functions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri D. Ering) : (a) Yes, Sir. A Central Committee for Coordination of Rural Development and Employment has since been set up in the Planning Commission.

(b) A copy of the Resolution containing membership and the functions of the Committee is enclosed. **[Placed in Library See. No. LT. 3361/70]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए भूटान का कथित निश्चय

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : श्रीमान् मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आवेदन करने के सम्बन्ध में भूटान का कथित निश्चय"

वैदेशिक कार्य मन्त्री (**श्री दिनेश सिंह**) : इस सभा को मालूम है कि 1966 में भूटान के महाराजा श्री भारत यात्रा के समय प्रधान मन्त्री के साथ उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में भूटान के प्रवेश के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था और 25 जुलाई 1966 के लोक सभा प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में यह कहा गया था कि सरकार भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य बनने की इच्छा पर उपयुक्त समय पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी उसके एक वर्ष पश्चात 5 जून 1967 को इस बिषय पर लोक सभा प्रश्न संख्या 300 के उत्तर में वैदेशिक कार्य मन्त्री ने कहा था कि भारत सरकार को भूटान की संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतराष्ट्रीय निकायों को सदस्यता प्राप्त करवाने का प्रस्ताव रखने में उस समय प्रसन्नता होगी जबकि भूटान ऐसी सदस्यता के प्रति दायित्व और उत्तर दायित्वों को उठाने में अपनी तत्परता दिखायेगा।

2. 26 अप्रैल 1970 को भूटान के महाराजा ने प्रेस सम्मेलन में पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जो उत्तर दिया है वह इसी तथ्य पर आधारित है। भूटान के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के प्रश्न पर शोंगदू अर्थात भूटान की राष्ट्रीय असेम्बली में भी विचार हुआ है। 1969 में शोंगदू में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भूटान को सितम्बर 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश करवाने के सम्बन्ध में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेम्बली से अपील की गई भारत सरकार का भूटान सरकार के साथ निकट भविष्य में बातचीत करने का विचार है जैसा कि उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : यह विवरण उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि होना चाहिए, भूटान हमारा नजदीकी पड़ोसी देश है और इसका सामाजिक महत्व है। इसकी चुम्बी घाटी के दूसरी ओर सिक्किम है और पश्चिम में नेपाल है। मन्त्री महोदय ने 3 वर्ष पूर्व दिये गए वक्तव्य का उल्लेख किया है कि भूटान यदि राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहेगा तो उसके लिए हम राजी होंगे। इस विवरण के अन्त में यह कहा गया है कि सरकार का विचार भूटान के साथ इस बारे में बातचीत करने का है। भूटान एक सार्बभौम तथा स्वतंत्र देश है और यदि हमने इस कार्य में पहल नहीं दिखाई तो कोई अन्य देश उसकी सदस्यता के लिए कार्यवाही करेगा। भूटान के महाराजा ने 26 अप्रैल को थिम्पू में कहा था कि उन्होंने अभी तक भारत से बाहर किसी अन्य देश से अभी आर्थिक सहायता नहीं ली है। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ है कि यदि हमने भूटान की आर्थिक सहायता न की तो उसको किसी अन्य देश की ओर जाना पड़ेगा। इस पृष्ठ भूमि में मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्यों नहीं

भारत स्पष्ट रूप से यह कहता है कि हम भूटान की राष्ट्र संघ में सदस्यता का समर्थन करेंगे और भूटान को उसकी आवश्यकतानुसार सब प्रकार की सहायता करेंगे। काफी समय से भूटान सिक्किम और नेपाल का हिमालय संघ बनाने की चर्चा चल रही है। मेरे विचार में इसके पीछे विदेशी प्रभार कार्य कर रहा है। भूटान एक ऐसा क्षेत्र है जहां विदेशी शक्तियां अपना प्रभाव जमाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्या हम यह भूल गए हैं कि कुछ वर्ष पूर्व कलिम्पोंग में एक विदेशी गुप्तचरी का अड्डा पकड़ा गया था।

यद्यपि सिक्किम के चोग्याल भारत के साथ मैत्री की बातें तो करते हैं परन्तु गंगतोक के समाचार पत्रों में भारत विरोधी प्रचार चल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि चोग्याल की अमरीकी पत्नी ने एक लेख लिखा था जिसमें यह दावा किया गया था कि ऐतिहासिक रूप से दार्जिलिंग जिला सिक्किम का भाग है और इसको उसे वापिस दिया जाना चाहिए। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार चोग्याल को प्रोत्साहित कर रही है जब कि वहां लोक तंत्रीय शक्तियों को विकास करने में सहायता दी जानी चाहिए।

अतएव इस बात को देखते हुए मेरा सरकार से यह पूछना है कि वह क्यों नहीं खुले तौर पर राष्ट्र संघ में भूटान की सदस्यता का प्रस्ताव कर रही है तथा यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है कि हमारी उसके साथ मित्रता मजबूत बने ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे भूटान के साथ बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है तथा हम चाहते हैं कि यह आगे और मजबूत बने। जहां तक भूटान का राष्ट्र संघ में सदस्यता लेने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्टरूप से कह देना चाहता हूं कि हम भूटान को यह सदस्यता दिलाने में हर प्रकार का समर्थन देने को तैयार हैं। 1967 में हमने इस सभा में कहा था कि जब भी भूटान राष्ट्रसंघ की सदस्यता लेना चाहेगा, हम इसका प्रस्ताव करने को तैयार रहेंगे, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि भूटान के महाराजा इस सम्बन्ध में भारत के वैदेशिक मन्त्री श्री दिनेश सिंह से बातचीत करेंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम भूटान को यह सदस्यता दिलाने में सहायता करेंगे जबकि वह इसके लिए इच्छुक होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, दो सरकारों के मध्य उन सब बातों पर विचार विमर्श होगा जो कि अपेक्षित हैं।

हिमालय संघ के बारे में वहां के महाराज ने स्वयं कहा है कि उन्हें इस प्रकार की किसी संस्था में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं।

भूटान और सिक्किम के साथ हमारे संधि सम्बन्ध भिन्न-भिन्न आधार पर हैं। सिक्किम के प्रति हमारी भूटान से अधिक दायित्व है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे चोग्याल पर आक्षेप न करें क्योंकि उनके साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। हम उनके भीतरी मामलों में दखल नहीं देना चाहते हैं।

आरम्भ में ही मैंने कहा था कि हम क्षमतानुसार भूटान की आर्थिक सहायता करते रहेंगे। भूटान के महाराजा से जब यह पूछा जाता है कि क्यों नहीं अन्य देशों से सहायता लेते हैं तो उनका यह कहना है कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति भारत से ही हो जाती है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : In the words of Pandit Jawaharlal Nehru, Bhutan, Sikkim, Nepal and India are members of the same Himalaya family. It was thought

that after India got Independence she would help these countries but this hope has been belied.

The figures show that in 1969-70, India provided assistance to the tune of Rs. 6.5 crores and now in the Second Plan her contribution would be Rs. 20 crores of rupees. Roads are being constructed and other works are being taken in hand. But this in like a drop in the ocean. What is needed is the modernization of the economy of Bhutan, Nepal and Sikkim. The communications system is far from adequate and the same is the case with the economic development.

The other reason for their dissattisfection is that India has not been able to improve her image so far as her foreign policy is concerned. She has not taken any strong stand on the question of Rodesia.

By taking the Kashmir question to U. N. She has made it complicated. Now she is acting like a silent spectator over the genocider. that is taking place in Viet Nam. These countries think that India's foreign policy has been inefiffective and that she would not be of any help to them.

Bhutan has realised that it is fruitless to look to India for any good. Therefore she wants to become the member of U. N. I would like to know whether the Government have ever tried to find out from the representative of Bhutan the cause of their discontentment towards India.

Under atticle 2 of the Indo-Bhutan treaty, Bhutan has to be guided in its foreign affairs by India. If the Government regards it only a paper treaty then the case is different. But if they attach any importance to it then Government should have no hesitation in amending the article of the treaty to the effect that Bhutan can become a member of U. N. and India will have no objection to it

Bhutan from the very beginning has been against the Conference that was being convened to consider the question of Himalaya Federation. We do not want to go in detail as who originated it. But the idea of having a bigger Federation comprising India, Nepal, Bhutan, Sikkim and Pakistan was mooted by Dr. Ram Manohar Lohia years go. What does Government think about it ?

Shri Dinesh Singh : The Hon. Member has not been able to convey what he actually wanted to say to the House. If any country wants to join the U. N., I do not think it is because of any displeasure with some other country. Any sovereign country can do so and Bhutan is no exception to it. So far as our relations with Bhutan are concerncerned, they are quite good. The King of Bhutan has himself expressed satisfaction over our friendship with them.

As far as the amendment of treaty is concerned, I do not think there is any need. It is no hlinderance to Bhutan's becoming member of U. N.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : जब भूटान के महाराजा ही इस समय रुचि से संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो यह सुझाव क्यों दिया जा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : श्री द्विवेदी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है ।

I have already stated that this treaty is hindrance in this regard.

As for as the idea of Federation of India, Bhutan, Sikkim, Pakistan and Nepal, shnegk aged by Dr. Lohia, is concerned, it has little importonce specially when we are aiinvans t in terms of world Federasion the like in the United Nations.

श्री स० मो० कृष्ण : (मंडया) यदि हिमालय के राज्यों के समक्ष कुछ समस्याएं हैं तो इसका कारण यह है कि हमारी उनके प्रति नीतियां सही नहीं रही हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भूटान के महाराजा ने भारत के साथ अपने सम्बन्धों में कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। भूटान में लोकतंत्रीय पद्धति को लाने के लिए जो काम हो रहा है हमें उस को भ ध्यान में रखना चाहिए। वहां की विधानसभा को दो-तिहाई बहुमत से राजा को हटाने का अधिकार है। 1962 में हमने भूटान को कोलम्बो योजना की सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव किमा था। वर्तमान प्रधान मंत्री ने भूटान यात्रा के समय भूटान की जनता को यह आश्वासन दिया था कि भारत भूटान को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने का प्रस्ताव करेगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है कि हम किसी अन्य देश को राष्ट्र संघ में भूटान की सदस्यता का प्रस्ताव पहले पेश नहीं करने देंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि भारत भूटान को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करेगा। दूसरे भूटान ने आर्थिक सहायता की मांग की है अतएव हमें उदारचित्त होकर उसकी सहायता करनी चाहिये, हमारा भूटान के प्रति कुछ दायित्व है हमें कोई ऐसी भूल नहीं करनी चाहिये जिससे हमारा उनके साथ सम्बन्ध खतरे में पड़ जाये।

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य मेरा श्री इन्द्रजीत गुप्ता के प्रश्न का उत्तर ध्यान पूर्वक सुनते तो वे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता न समझते, मैंने कहा है कि हम राष्ट्र संघ में भूटान की सदस्यता का प्रस्ताव किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

श्री नंद कुमार सोमानी (नागौर) : यह आंशिक रूप से संतोषप्रद है कि भारत सरकार ने चीनी आक्रमण के पश्चात भूटान के प्रति विवेकयुक्त नीति अपनाई है, इस बात के लिए हम चीन के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि इससे सरकार अपने पड़ोसी राज्य के प्रति विवेकयुक्त नीति अपनाने को बाध्य हुई है। परन्तु अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1966 से अब तक हमने क्यों नहीं भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बनाने में प्रयत्न की है। और क्यों नहीं उसकी आवश्यकताओं को समझा है। क्या भूटान को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर्मचारी, धन आदि की आवश्यकता है और यदि है तो क्या हमने इसको पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

दूसरे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे लिए यह सम्भव है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासमिति की आगामी बैठक में भूटान को भी शामिल करवा सकें।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनका विचार भूटान जाने के साथ-साथ सिक्किम जाने का है क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

श्री दिनेश सिंह : हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भूटान एक सार्वभौम, स्वतंत्र राज्य है। मैं भूटान की ओर से कैसे कह सकता हूं कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ में कब जाना चाहते हैं यदि माननीय सदस्य भूटान के महाराजा का वक्तव्य देंखे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

जहां तक भूटान का इस वर्ष या अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठने का प्रश्न हैं, यह संयुक्त संघ पर निर्भर करता है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हम तो उसके सदस्य मात्र हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सिक्किम के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम क्षमतानुसार सिक्किम की आर्थिक सहायता कर रहे हैं।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The forces have invaded Cambodia and the situation in Asia has become very serious. May I know whether the Government. will make a statement on it.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : नक्सलवादी कार्यवाहियों के बारे में मेरे नोटिस का क्या हुआ ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पांच दिन पूर्व मैंने सभा का ध्यान दिल्ली में नक्सलवादियों की गतिविधियों की ओर दिलाया था पर इस बारे में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखायी है ।

Mr. Speaker : There is a call notice on Combodia. I am considering if faverabs.

नक्सलवादियों की गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए भी समय निकाला जायगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

रेडियो तथा टेलीवीजन से सम्बंधित प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बंधी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से रेडियो तथा टेलीविजन से संबन्धित प्रसारण तथा सूचेना माध्यम सम्बन्धी समिति की इक्कीस सिफारिशों पर किये गये निर्णयों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं, जिनका सम्बन्ध आकाशवाणी तथा टेलीविजन को दो स्वायत्त निगमों में परिवर्तित करने से है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3350/70]**

टैरिफ आयोग आदि की रिपोर्ट

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भेषज तथा भेषजियों के उचित विक्रय मूल्यों सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रति-वेदन (1968) (खण्ड 1 तथा 2) ।

(दो) दिनांक 13 अप्रैल, 1970 का सरकारी संकल्प संख्या 3 (52)/68-सी एच III जिसमें उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं ।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा-पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3351/70]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूच-नाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मध्य प्रदेश चावल वसूली (उद्ग्रहण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी संस्करण), जो

दिनांक 18 अप्रैल, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 157 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) जी० एस० आर० 218 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1965 खंडित किया गया है ।

(तीन) खाद्यान्न वहन, प्रतिबन्ध (बीजों पर छूट) आदेश, 1970 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 233 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 266 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 620 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 8 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 621 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3352/70**]

(2) अत्यावश्क वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क के अन्तर्गत, दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 618 की एक प्रति, जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में संशोधन किया गया था [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3353/70**]

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स० यु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :--

कोयला खान भविष्य निधि तथा **बोनस योजना** अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 528 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 29 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 530 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1970, जो दिनांक 4 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 531 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3354/70]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री एम० तिरुमलराव (काकिनाडा) : मैं निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय--फरक्का बांध परियोजना--के बारे में 124वां प्रतिवेदन ।

(2) पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)—भारतीय खान-कार्यालय के बारे में 127वां प्रतिवेदन ।

(3) सामान्य विषय ।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही सारांश

श्री एम० बी० राणा : (भड़ौच) मैं निम्नलिखित के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (पाइप लाइन प्रभाग) के बारे में 66वां प्रतिवेदन ।

(2) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बारे में 70वां प्रतिवेदन ।

(3) प्रक्रिया सम्बन्धी तथा विविध विषय ।

(4) की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों (1969-70) पर विचार तथा उनका स्वीकृत किया जाना ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही सारांश

श्री श्रद्धाकार सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति की 17 अप्रैल, 1970 की बैठक की कार्यवाही सभापटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ चौबीसवां, एक सौ बीसवां तथा एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव : (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय फरक्का बांध परियोजना के बारे में 124वां प्रतिवेदन ।

(2) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय—तटीय नौवहन सम्बन्धी 73वें में प्रतिवेदन में दर्ज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 120वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत सरकार के चुने हुए मंत्रालयों के प्रकाशनों सम्बन्धी 88वें प्रतिवेदन में दर्ज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 125वां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

एक सौ ग्यारहवां, एक सौ बारहवां, एक सौ पन्द्रहवां, एक सौ अठारहवां, एक सौ बीसवां, तथा एक सौ बाइसवां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee :—

(1) Hundred and eleventh Report regarding Chapter III of Audit Report (Civil) on Revenue Receipts, 1969 relating to Union Excise.

(2) Hundred and twelfth Report regarding Appropriation Accounts (P & T), 1967-68 and Audit Report (P& T), 1969.

(3) Hundred and fifteenth Report regarding Audit Reports on the Accounts of Tea Board for 1964-65, 1965-66 and 1967-68.

(4) Hundred and eighteenth Report regarding Appropriation Accounts (Civil), 1967-68 and Audit Report (Civil), 1969 relating to Department of Rehabilitation.

(5) Hundred and twentieth Report regarding Audit Report (Commercial), 1968 —Section XVII relating to Films Division and Paragraph 33 of Audit Report (Civil), 1969 relating to Ministry of Information and Broadcasting.

(6) Hundred and twenty-first Report regarding Charitable and Religious Trusts.

(7) Hundred and twenty-second Report regarding Audit Report (Civil), 1969 and Audit Report on the Accounts of the Council of Scientific and Industrial Research for 1966-67 and 1967-68.

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

उन्सठवां, इकसठवां, चौसठवां, छियासठवां तथा सत्तरवां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौचा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड सम्बन्धी 44वें प्रतिवेदन में दर्ज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 59वां प्रतिवेदन ।

(2) राष्ट्रीय कोयला निगम लिमिटेड संबन्धी 10वें प्रतिवेदन [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970 की धारा 3 के पैरे] में दर्ज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 61वां प्रतिवेदन ।

(3) सरकारी उपक्रमों में सार्वजनिक सम्बन्ध तथा प्रचार सम्बन्धी 47वें प्रतिवेदन में दर्ज समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 64वां प्रतिवेदन ।

(4) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग) के बारे में 66वां प्रतिवेदन ।

(5) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, के बारे में 70वां प्रतिवेदन ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

सातवां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति का 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, 13 जून, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रुपये में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, 13 जून, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रुपये में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

सामान्य बजट—अनुदानों की मांगें—(जारी)

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—contd.

समाज कल्याण विभाग—(जारी)

Department of Social Welfare—(Contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब समाज कल्याण विभाग सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा जारी की जायेगी।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : The seats reserved for sheduled castes remain vacant because candidates belonging to these castes neither sit in large number in these ex-examinations nor do they pass. The coaching and training centres opened for the persons belonging to these castes are very few. It would be better if more such centres are opened. Only then seats reserved in services for them could be filled.

There is a lot of corruption in the matter of grant of scholarships. Only those students get scholarships who have got approach. Strict impartiality should be observed in this.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER IN THR CHAIR]

The backward classes are not getting their due. There is need for improving their economic condition. I know in Bihar certain classes, though they are quite well off, are still on the list of backward classes. These lists should the revised.

The sheduled castes should be given incentive to start business and industries. They should be given credit facilities for the same. There should be no separate hostels for students of these castes. It creates a sense of separation. There should be combined h ostels for students of all castes.

The number of child welfare centres, that have been opened is very small. More such centres should be opened. The Act of 1960 in this regard should be made applicable to all the States.

Juvenile delinquency should be checked. Police in plain clothes should be deployed for this work. Child reformatories should be opened. The Social Welfare Board should be reconstituted and its working should be improved.

Immoral activities are going on inspite of the fact that Suppression of Immoral Traffic Act is in force. Special police should be posted to stop this immoral activity. This is one of the causes of crime in our country and has very bad effect on younger generations. Deterrant punishment should be given to those who violate the law in this regard. 'Call. girl' rackets are very common in big cities. Special attention should be paid to these things.

Sir, I want to draw the attention of Hon. Mnister to the nuisance of beggary. It is spreading at a very fast rate. It has very bad effect on foreign tourists. Government should take effective measures to abolish it and the law concerning it should be enforced rigorously.

I want to refer to prohibition. It is one of the directive principles of state policy. Our Government is supposed to make effort to achieve it. Prohibition should be enforced

in all states. It is the cause of increasing crimes. The shortfall in revenues of states should be met by the Centre.

If we achieve the goal of total prohibition, it will be fulfufilling the dream of Gandhiji. There should be exemption for foreigners in this regard.

With these words I support the Demands in respect of Department of Social Welfare.

Shri M. G. Uikey (Mandla): While supporting the demands of Grants relating to the Department of Social Welfare I want to make some observations. There is inordinate delay in the grant of scholarship to students. In this respect an experiment has been made in Chandigarh by entrusting this work to Zonal Director. It has proved successful. This system may be enxended to the whole of India.

The scheduled tribe people are discriminated against. It should be stopped. The tribals are not being given compensation for their land which has been acquired for public purposes. These people are being exploited by being asked to contribute to **Sharam dan** but they are not being given corresponding facilities. They have not been given money for sinking wells for irrigation and other purposes.

The colonies for tribals are not being provided with the various amenities for living They are generally uneducated. Other people exploit them and take loans in their names. Eighty percent. of people in tribal developments blocks are involved in indebtedness due to deceptions and fraud. Multi-purpose and Forest Cooperative Societies have been formed but they have not been of any use to these people. Office bearers of various such Societies have been sent to jail. They are being harassed by police and the Forest Authorities.

Government should provide them with loans and help them in adopting good professions. The Cooperatives, which were formed for them, have not been useful. Contrarily these cooperatives have proved the cause of litigation for them. Necessary steps should be taken to improve the working of these cooperatives.

Money should be made available for the education of children of people belonging to scheduled Tribes. It should be distributed on the basis of blocks. In this way money can be utilized. The number of children of tribal people going to schools is very small. The result is that there is shortage of qualified persons belonging to these communities for filling up reserved quota in Service. If education is made popular in these people, many of their difficulties will end.

As per programme 7449 primary schools and 800 middle schools are to be opened in our area. Money should be provided for that and the standard of education should be raised. It will help a great deal in improving the conditions there.

Another difficulty experienced by tribal people is that they do not get any legal assistance in the matter of litigation.

They are poor people. In case they adopt christianity they are helped by the Christians. I suggest to the Government that it should provide them legal aid. The Bill in regard to the revisions of number of reserved seats in various legislatures for scheduled castes and scheduled tribes should be passed without delay as has been recommended by Census Commissioner and the Delimiation Committee.

Shri Heerji Bhai (Banswara): Our Constitution has provided for equal rights to all citizens of the country but it appears to be on paper only. There are various castes and tribes in India; a large number among them are very backward socially and economically. Very little has been done to ameliorate their condition during last twenty years. This Department was set up to improve their condition.

The duty of this Department is to help the scheduled castes and scheduled tribes and and bring them at par with other communities in our country.

Thers are 112 youth hostels run by Government in Rajasthan. Similarly there are about 112 hostels being run by voluntary organisation. There are good arrangements of boarding and lodging in Government hostels, but in private hostels, things need to be improved. The Rajasthan Governmen thad announced that land would be given to Harijans during Gandhi centenary year. It has not been done. The practice of **Sagri** is still going on in Rajasthan. It should be stopped.

In Banswara, Udaipur, Jaipur and Swai Madhopur districts of Rajasthan the population of Adivasis is about two lakhs. The land belonging to these people has been taken over by other people. This should be checked and that land should be restored to the tribals.

The practice of untouchability is still prevalent in many parts of the country. The only way to root out this evil is that education should be spread on large scale.

No doubt there is some improvement in the condition of Harijans as a result of the effort made by the Central Government, but still there is much that remains to be done.

I want to draw the attention of Government to the illiteracy prevalent among Harijans. Only 10 percent Harijans are literate whereas 24 percent people of other communities are literate. This gap should be removed and more educational facilities should be provided for Harijans. I am constrained to point out that Central Education Ministry is paying scant attention for providing assistance to Harijans. It has not given help to Rajasthan and scholarships of primary school students have been stopped there. It is most regrettable. The number of scholarships in foreign countries for Harijans should be increased. The reserved qnota of scheduled tribes in services should be filled from amongst them.

Shri Sadu Ram (Phillaur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the demands of the Ministry of Social Welfare. But this Ministry of Social Welfare which are responsible for the welfare of all the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled tribes and other backward classes of India are not working to their satisfaction. These castes constitute half of the total population of India and this Department is solely responsible for their uplift. Although the Government haye done something for their welfare since independence, but the progress has been very slow in this regard. We are a Secular State and raise the slogan of socialism but still crores of people are there who do not get jobs for earning their livlihood, and who have no food to eat and no clothes to wear. A Report published by the Department of Social Welfare for the year 1969-70 says :—

"The total provision of Rs. 41.33 crores has now been agreed to by the Planning Commission for General Social Welfare Services in the Fourth Plan."

It is ridiculous that such a small amount has been earmaked for the welfare of some 15-30 crores of people out of the huge budget which runs into thousand of crores of rupees. No steps for bringing socialism in the country have been taken.

In the matter of services, only one or two per cent work has been done. Nothing is being done for removing untouchability which is quite widespread. Excesses have been committed on Harijans. There have beem murders. and what not. Such cases have come to the notice of Parliament and the people from time to time. The Ministry of Home Affairs refuses to take any action in this regard on the plea that is it a State subject. The Home Ministry appears to be powerless to check such injusties and excesses. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes people should be appointed as Cooks, and Water-attendant in Railways and other offices of the Government. Preference in employment should be given to those persons who have gone in for inter-caste marriages. That would be some of the ways to do away with untouchability.

I am sorry to say that the Government do not treat this question of welfare of 15-20 crores of people as a national problem. Only five hours are given for discussion on the subject of Scheduled Castes during a session of three mothers. It is suggested that at least two or three days should be fixed for discussion so that the real grievances can be brought to the notice of the Government.

It is suggested that a separate Ministry may be created for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for dealing with the problem of Scheduled Caste. This problem should be treated as a national problem. The Department of Rehabilitation was created in order tn solve the problem of the refugees who came from Pakistan, A similar Ministry may be created for these people as well; they too have been almost refugees for hundreds of years economically speaking. A Scheduled Caste and Scheduled Tribe member may also be appointed on the Planning Commission so that it could know about the real position of these people.

The Central Government must pay attention to these problems otherwise the slogan of socialism would prove to be a hallow one. During the last 18-20 years the rich have grown richer and the poor poorer.

We talk about Naxalite activities in the House. If there is forcible occupation of lands, there is nothing surprising in it. People can no longer live in the wretched conditions in which these are at present. Government must consider this problem and take effective steps to solve it.

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : Sir, Ever since independence three names—viz, the names Gandhiji, Harijan and farmer have been exploited in our country. We are discussing the demands of the Ministry of Social Welfare and the question of welfare of the Harijans comes up before the House. There are three problems which are faced by the Harijans, at the moment. They are problems of education, of improving economic condition, and of their rehabilitation. This Ministry have spent Rs. 275 crores since Independence, on these activities. There are twenty five voluntary organisations which receive grants from the Ministr, and they are supposed to work for Harijans. Out of these twenty five organisations, there are ten in Delhi only. It means most of welfare work is to be done only in Delhi and not outside ? Mlilions and millions of rupees are spent but there is no proper accounting of this expenditure. These accounts must be audited.

Piggeries poultries, dairies etc. have been provided for improving the economic condition of Harijans, but that alone will not do. Most of the Harijans are agriculture labourers who are unorgainsed. During the discussion on the demands relating to the Ministery of Labour, it was said that the labourers got sixty paisa to one rupee as wages and the rates of wages were different in different States. If their condition is to be improved, the Government will have to provide them with jobs through village industries and at the same time they will have to distribute the surplus land among these people.

Now I come to the question of welfare of Children. Inspite of Governments' efforts to check it, beggary has increased many-fold. Government should try to put an end to this evil practice and should provide jobs for them.

The State Governments should agree to the definition of backward classes which is given by the Central Government—

Shri Hukhm Chand Kachwai : There is no quorum in the house.

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत थोड़ा है । मंत्री महोदय 2 बजे उत्तर देंगे । बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं । कृपया गणपूर्त्ति के लिये जोर मत दीजिये ।

Shri Raj Deo Singh : The basis of definition of the backward classes must be the economic conditions of the people and not the caste. Many of the hon. members have stated that certain vested interests have grown among Harijans and they do not want the facilities provided by the Government to reach the Harijans. That also should be checked.

Shri Tula Ram (Ghatampur) : We achived independence and arrangements were made for social welfare. But the sentiments of people towards Harijans have not changed. To-day we face troubles of Naxalite activities. The Government should take suitable steps to avert a violent revolution in the country. Various failures, short-comings are referred to in the reports of the Ministry, but nothing is done to remove them. This is not the problem of Harijans alone, it is a national prohlem. If this problem is nat solved in good time, neiher independence can be retained nor socialism can be brought about. Social Welfare sehemes are devised to remove poverty but they are not implemented properly.

The Government provide funds for the welfare of Scheduled Castes and Tribes. Necessaey orders are also issued for reservation of vacancis in servies for the candidates from these castes but the officers complain that deserving candidates from Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available. Most probably no deserving doctors and engineers are available from these castes. But are there no deserving peons ? In various departments the posts of peons are filled with the candidates of other castes. Poverty must be removed but the rules must be complied with. I would like to urge upon the hon Minister that the failings of this administration which are brought to the notice of the House, must be removed.

The Congress laid much emphasis on socialism but the principle of socialism should be acted upon. It is no use repeating the slogan of socialism in lectures unless constructive work is done.

To-day a Harijan cannot ride on a horse. If he rides, the Sub-Inspector of Police compels him to get down saying that he did not salute him.

I speak from personal experience in this regard. I have moved a privilege motion regarding that. When a Member of Parliament could be treated like that, what would be the fate of crores of other depressed persons ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा हुआ है ।

Shri Tula Ram : I want to appeal to the Government and to every section of people through you that if the democracy is to be retained in the country, we should improve the condition of the depressed people. If this problem is not solved, hungry people would revolt openly.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरियाल गुडा) : महोदय कई माननीय सदस्यों ने भिन्न-भिन्न प्रतिवेदनों पर प्रकाश डाला है । मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि समाज कल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित करना है तो अब भी समय है कि सरकार एक अलग मंत्रालय की स्थापना करे जो सफलता पूर्वक समाज कल्याणकारी कार्य कर सके ।

मकानों के लिये स्थानों की समस्या बड़ी महत्त्वपूर्ण है । गांवों में मकानों के स्थान की अत्यधिक आवश्यकता है । क्या सरकार गांवों में हरिजनों को मकानों के लिये स्थान प्रदान नहीं कर सकती है ? पीने के पानी की समस्या भी इतनी ही महत्त्वपूर्ण है । सरकार पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को गांवों में भूमि के लिये करोड़ों रुपया दे रही है परन्तु जमींदार जितनी अधिक समस्यायें संभव हों उतनी अधिक समस्यायें उपस्थित करते हैं ताकि हरिजनों को एक इंच भी भूमि नहीं मिले । इसका एक ही उपाय है । सरकार को प्रत्येक गांव में 5 से 10 एकड़ तक भूमि भावी पीढ़ियों के लिये ले लेनी चाहिये । जैसा हम नगरीय क्षेत्रों में करते हैं वैसे ही गांवों में भी कोलोनियां बनाई जानी चाहिये जहां सब जातियों के लोग रहें । पिछड़ी हुई हालत को आंकने का आधार धार्मिक न होकर आर्थिक होना चाहिये ।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : During the last 22-23 years it has been noticed that the quota of reservation has not been filled up on account of non-suitability of candidats. This condition should not be there.

Harijans like Adivasis are in the clutches of money lenders. Credit facilities should be given to them so that they free themselvs from the hold of these money lenders.

The Reports of the Perumal Committee and the other Committees have not yet been discussed in the House. I would like of know from the hon. Minister, when these reports would be discussed..

Some states are accepting the land-ceiling while others are not. Will the Central Government issue directions to the State Governments asking to accept the ceiling which should be 30 acres per family ?

There should be settlement afresh so that the lakhs of landless Harijans get land.

The Untouchability law should be amended so that encourgement is given to inter-caste-marriages. The persons who go in for inter-caste-marriages should be given prefercenee in Government services. Inter-caste marriages should be not only encouraged but should even be made compulsory by taking suitable legislature measures.

Rehabilitation facilities must be provided to the Harijans as had been done in the case of displaced persons who came from Pakistan.

Harijans and Adivasis are beaten up in the villages and they cannot live there. They come to the cities because their lands and houses are snatched away. They neither get houses nor jobs in the cities. Adequate rehabilitation arrangements should be made for them. Proper statistics should be maintained in this regard.

There are people who have forcibly occupied lands in the villeges in various states; They include some Harjans also.

The State Governments should be directed to get such lands vatcated without any discrimination. Harijans alone should not be discriminated against in this regard.

In villages there is the problem of building houses for Herijans. Some fee is charged from the people for diversion of agricultural land to housing sites. Harijans must be exempted from paying this fee.

Reservation quota in regard to Medical College Seats etc. is not filled up. The private- schools which receive grants must get their benefits only when they fulfil the condition of completing the quota. A similar condition should be laid down in regard to granting of licences to various firms. Only effective action on the part of Government will bring about the desired results not mere appeals.

विधि तथा समाज कलयाण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्रीमान्, कुछ सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि समाज कल्याण विभाग का दर्जा बढ़ा कर उसे मंत्रालय का दर्जा दे देना वांछनीय है। यदि हम इस विभाग को सौंपे गये विषयों पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि समुदाय के दुर्बल वर्गों के बारे में संविधान में उठाये गये सभी प्रश्न इस विभाग को सौंपे गये हैं। ऐसी हालत में, शायद समाज कल्याण विभाग का काम भारत सरकार के बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस विभाग का प्रभारी मंत्री होने के नाते बिना किसी झिझक के मैं कह सकता हूँ कि मैं उन सदस्यों से, जो इस विभाग की मांगों पर बोले थे, तथा समुदाय के दुर्बल वर्गों के प्रतिनिधि सभी सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि भारत में सामाजिक सुरक्षा अथवा समाज कल्याण मंत्रालय होना चाहिये।

पिछले वर्ष, 1969 में बजट पास किये जाने के बाद अनुसूचित-जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सम्बन्ध में संसद् द्वारा तीन महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया गया था। उन्हीं की प्रेरणा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी अनुसूची का पुनरीक्षण करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए संविधान में जो आरक्षण किये गये हैं। उन्हें संविधान में संशोधन करके गत वर्ष मेरे कहने पर आगे जारी रखा गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित अनुसूची में संशोधन करने सम्बन्धी विधि का जहां तक प्रश्न है संयुक्त समिति में विचार करके अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत

कर दिया है। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस विधेयक पर संसद् के इसी रूप में विचार किया जाना चाहिये क्योंकि अगले वर्ष जनगणना कार्य आरम्भ हो जायेगा, इसलिये उससे पहले विधेयक तैयार हो जाना चाहिये।

संसद् द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की नियुक्ति एक अभूतपूर्व घटना थी। मेरे मित्र श्री बसुमतारी की अध्यक्षता में यह समिति संसद् के सम्मुख थोड़े से समय में पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस समिति को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति आदि से अधिक महत्त्वपूर्ण समझता हूं। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का सम्बन्ध, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन, सरकारी उपक्रमों में इन जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण, मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्ति योजना, लोक सेवाओं में स्थानों के आरक्षण तथा रोजगार और प्रशिक्षण महा-निदेशालय से है।

उपरोक्त पांच प्रतिवेदनों में से दो का सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से है और इस विभाग ने इस बारे में कोई शिथिलता नहीं दिखाई है।

अन्य प्रतिवेदन दूसरे मंत्रालयों, श्रम तथा रोज़गार मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय, सरकारी उपक्रम ब्यूरो आदि के कार्यकरण की जांच से सम्बन्धित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रतिवेदन को विभाग ने सम्बन्धित अधिकारी के पास भेज दिया था क्योंकि उसी के कार्यालय का पुनर्गठन किया जाना है। उनसे प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और हम उन बातों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

इस वर्ष इस विभाग ने बाल कल्याण सम्बन्धी एक बिल्कुल नई योजना आरम्भ की है। डा० फूलरेणु गुहा ने, जो थोड़े दिनों में इस विभाग को छोड़ने वाली हैं, क्योंकि वे राज्य सभा की सदस्या नहीं रही है, इस विभाग में सराहनीय कार्य किया है।

डा० सुशीला नायर प्रायः मद्यनिषेध के प्रश्न को उठाती हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग अधिक काम नहीं कर सकता। राज्य सरकारों को ही कुछ करना चाहिये। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया था कि मद्यनिषेध लागू करने वाले राज्यों को राजस्व की जो हानि होगी, उसके 50 प्रतिशत भाग की पूर्ति कर दी जायेगी। उस प्रस्ताव पर अभी भी अमल किया जा रहा है।

अब मैं पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूँ। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य जो अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हैं तथा इन वर्गों के लोगों के सम्बन्ध में रुचि रखने वाले दूसरे सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अनुसूचित जन-जातियों के लिए जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं वह उन्हें शिक्षा देने तथा उसके उपरान्त रोजगार देने का है। हम उन्हें केवल इसी प्रकार अन्य समुदायों के बराबर ला सकते हैं।

इस बारे में प्रश्न किये गये हैं, शिकायतें की गई हैं कि संविधान बनने के 20 वर्ष पश्चात् भी अस्पृश्यता का अभिशाप देश में विद्यमान है। अस्पृश्यता समाज के लिए अभिशाप तथा कैन्सर के

समान है और यह वर्षों से चली आ रही है। इसे पांच या दस वर्षों में दूर नहीं किया जा सकता है। अतः संविधान के पिछले संशोधन में हमने दस वर्ष की और अवधि बढ़ा दी है।

भारत के हर राज्य में विद्यालयों में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। यह देखने के लिए कि न केवल अन्य समुदायों के बच्चों को बल्कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों को भी उनका उचित भाग मिले, हमारी एक आवश्यक योजना यह है कि प्रत्येक राज्य में शिशु अधिनियम बनाया जाये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों को मैट्रिक की परीक्षा पास करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्तियां दिलाकर हम उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष 1950–51 में अनुसूचित जातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 1316 थी। वर्ष 1969-70 में यह संख्या बढ़कर 1,43,245 तक पहुँच गई। 1950-51 में अनुसूचित जातियों पर 7.27 लाख रुपये कम किये गये थे और वर्ष 1969-70 में यह बढ़कर 689 लाख रुपये हो गये हैं।

अब जहां तक अनुसूचित जन-जातियों का सम्बन्ध है, 1950 में 1.85 लाख रुपये से बढ़कर 1969-70 में यह 147 लाख रुपये हो गया है। अब इन मैट्रिकोपरान्त छात्र वृत्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने योजना कार्यक्रमों में राज्य सरकारों को धन दिया जाता है।

यह कहा गया है कि कई राज्यों में छात्रवृत्तियों का वितरण ठीक समय पर नहीं किया जाता। पिछले तीन या चार महीनों के अन्दर मैंने प्रत्येक मुख्य मंत्री को, और जहां कहीं मुख्य मंत्री नहीं हैं वहां सरकार को, दो-दो पत्र लिखे हैं और अनुरोध किया कि वे इस मामले की जांच करें और इसके लिए प्रबन्ध करें ताकि विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यदि यह कार्य राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं तो हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या केन्दीय सरकार द्वारा सीधे इन मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाना संभव है।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में हमने निदेश दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों के लिए सारे राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिये। ये सिफारशें स्वीकृत हो गई हैं। मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेजों में जहां इन समुदायों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं तो विभाग ने इस दिशा में इनकी सफलता के लिए आगे के प्रबन्ध करने के लिए कदम उठाये हैं।

मैट्रिकोपरान्त दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव किया है कि ये छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सारे हिन्दू छात्रों के अतिरिक्त उनको भी दी जायेगी जिन्होंने बुद्ध धर्म या इसाई धर्म ग्रहण कर लिया हैं। अब मैं आपको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों के बारे में बताऊंगा। गृह-कार्य मंत्री से बातचीत करने पर पता चला कि वे इन पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं तथा सरकारी उपक्रमों में रोजगार देने के सम्बन्ध में बड़ी रुचि रखते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। सेवाओं में विभिन्न ग्रेडों के सम्बन्ध में, पिछले तीन या चार वर्षों में, गृह-कार्य मंत्रालय के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अपेक्षित संख्या रखनी सम्भव हुई है।

समाज कल्याण विभाग ने इन जातियों के लिए पहले ही इलाहाबाद तथा मद्रास में इन ऊंची परीक्षाओं के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये हैं। दूसरे स्थानों पर भी हमने इन समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया है ताकि ये दूसरी नौकरियों के लिए समान रूप से अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों का मुकाबला कर सकें।

मैंने कार्यालय को पिछले वर्ष सुझाव दिया था कि अगर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कुछ विद्यार्थी मैट्रिक में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए मोटर चलाने आदि के अन्य प्रशिक्षण कोर्स आरम्भ किये जाने चाहिये ताकि उनको नौकरी मिल सके। आगे कुछ वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को सरकारी नौकरियों पर न रखे जाने के विषय में कोई शिकायत नहीं होगी। हम यह भी देखेंगे कि आगे नियमों में दिये गये प्रतिशत का तथा जितने प्रतिशत वास्तव में लिये जायें उनमें कोई अन्तर न हो।

Shri S. M. Joshi (Poona): We have been asking this question again and again in this House that when atrocities are committed on the Scheduled Castes and the Scheduleb Tribes they are not given any protection by the Government. May I know whether any Scheme is being drawn for this purpose ?

श्री गोविन्द मेनन : ये मामले हम आपस में मिलकर तय कर सकते हैं। मैंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जतियों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति का संकल्प पेश करते समय यहां यह सुझाव दिया था कि ऐसी समितियां, राज्य विधान मण्डलों द्वारा भी बनाई जायें और इस सम्बन्ध में प्रत्येक मुख्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा था। परन्तु किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। ऐसे मामले हैं जिनको केवल राज्य सरकार द्वारा हल किया जा सकता है अकेले केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं जो लोग इस प्रश्न में रुचि रखते हैं उनको राज्यों में ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए जो इस बात को देखें कि अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों को राज्य सरकारों द्वारा समुचित संरक्षण दिया जाये।

सभापति महोदय : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का समय 9 से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। क्या हम इसे और कम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे मामलों पर उनसे अलग से बात की जा सकती है।

Shri N. P. Yadab (Sitamarhi) : May I know when the report by Shri Kaka Kalelkar regarding the uplift of the backward classes will be brought before the House ?

सभापति महोदय : इन पर आप उनसे बाद में चर्चा कर सकते हैं, कृपया सहयोग दीजिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के लिए बहुत थोड़ा समय रह जायेगा।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : जहां तक अस्पृश्यता का सम्बन्ध, क्या वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति जो छुआछूत में विश्वास रखता है, ग्राम पंचायत के स्तर से संसद के स्तर तक के निर्वाचन के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाये।

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

श्री सोनावने (पँढ़रपुर) : मंत्री महोदय ने नये विधि स्नातकों की सहायता के लिए जिस नई योजना का उल्लेख किया है, वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी और उन्हें जो राशि दी जायेगी, वह ऋण के रूप में होगी या अनुदान के रूप में ?

श्री द० रा० परमार: (पाटन) : मंत्री महोदय ने सभा में आश्वासन दिया थाकि अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जन-जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को राशि में तकनीकी शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत और साधारण विषयों के लिए 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : How loug will the Government take to implement the recommendations made by the Parliamentary Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in its five reports submitted to Parliament ?

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक संसदीय समितियों की सिफारिशों की क्रियान्वित का सम्बन्ध है, उसके बारे में एक निश्चित प्रक्रिया है। सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों से मिलकर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन की जांच की जा चुकी है। परम्परा के अनुसार प्रतिवेदन मिलने पर सम्बद्ध मंत्रालय समिति के अध्यक्ष या सचिव को अपने उत्तर देता है। पुनः समिति एक अन्य प्रतिवेदन तैयार करती है जिसे की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन कहते हैं। यह समिति गत वर्ष गठित की गई थी। इन मामलों में विलम्ब नहीं होगा।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 14 से 24 तक मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut Motions Nos. 14 to 24 were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया। लोक सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 38; विपक्ष में 117।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 25 से 28 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Ths cut Motions Nos. 25 to 28 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 41 मतदान के लिए रखा गया। लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 36; विपक्ष में 120।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 42 से 53 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The cut Motions Nos. 42 to 53 were put and negativad.

सभापति महोदय द्वारा समाज-कल्याण विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Department of Social Welfare were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
99	समाज कल्याण विभाग	16,83,000
100	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	7,87,04,000

वर्ष 1970-71 के लिए खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	1,71,02,000
30	कृषि	12,19,19,000
31	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां	15,30,83,000
32	वन	1,67,20,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	41,95,61,000
115	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद,	74,89,75,000
116	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	56,05,97,000

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की मांगों के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
29	1	**श्री रा० की० अमीन :** अहमदाबाद जिले के भाल नलकन्ठा क्षेत्र जो एक पिछड़ा शुष्क खेती क्षेत्र है, के विकास के लिए विशेष धनराशि देने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।	
29	2	**श्री रा० की० अमीन :** गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में कृषि-उद्योग समूह स्थापित न करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।	

1	2	3	4	5
29	3	**श्री रा० की० अमीन** : मूल्यों को स्थिर करन क उद्देय से मूगफली के तेल के लिये बफर स्टाक योजना आरम्भ न करना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	4	**श्री रा० की० अमीन** : चौथी योजना के दौरान उर्वरक उत्पादन के लिये पर्याप्त उत्पादन क्षमता स्थापित न करना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	6	**श्री पी० विश्वम्भरन** : देश में सहकारिता अभियान में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये अग्रणीय कदम उठाने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	7	**श्री पी० विश्वम्भरन** : बीस वर्षों की योजना के बाद भी देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	8	**श्री पी० विश्वम्भरन** : सामुदायिक विकास योजना के सम्बन्ध में एक स्थायी नीति और कार्यक्रम अपनाने में सफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	9	**श्री दिनकर देसाई** : कृषि उपज के लिये प्रभावी मुल्य नीति अपनाने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	10	**श्री दिनकर देसाई** : शुल्क खेती पद्धति को पर्याप्त प्रोत्साहन न देना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	11	**श्री दिनकर देसाई** : मीनक्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त उपाय करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	12	**श्री दिनकर देसाई** : सहकारिता अभियान में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	13	**श्री दिनकर देसाई** : किसानों को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध न करना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	14	**श्री दिनकर देसाई** : वन अनुसंधान संस्थान द्वारा कठोर वृक्षों वाले वनों के सम्बन्ध में पर्याप्त अनुसंधान न करना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
29	25	**श्री पी० विश्वम्भरन** : उर्वरकों का मूल्य कम करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	26	**श्री पी० विश्वम्भरन** : केरल सरकार द्वारा पेश की गई मीनक्षेत्र के विकास सम्बन्धी वृहत योजना स्वीकार करने की आवश्यकता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
29	27	**श्री पी० विश्वम्भरन** : अच्छी किस्म की मत्सय नौका तथा डीजल इंजिनों वाली नौकाएं आयात करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	28	**श्री पी० विश्वम्भरन** : केरल में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	29	**श्री पी० विश्वम्भरन** : किसानों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध न करना ।		100 रुपये
29	30	**श्री पी० विश्वम्भरन** : खाद्यान के संग्रहण के मामले में भारत के खाद्य निगम तथा राज्य भाण्डागार निगमों के बीच अधिक सहयोग और समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	31	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : खाद्य क्षेत्र समाप्त न करना ।		100 रुपये
29	32	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में अफलता ।		100 रुपये
29	33	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : किसानों से अनाज वसूली की त्रुटिपूर्ण नीति ।		100 रुपये
29	34	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : कृषि-उत्पादों के अलाभप्रद मूल्य ।		100 रुपये
29	35	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : खाद्यान्नों के ऊंचे मूल्यों का नियन्त्रित करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	36	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : चीनी पर से नियन्त्रण हटाये जाने की त्रुटिपूर्ण नीति के माध्यम से पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने देना ।		100 रुपये
30	49	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : किसानों को कृषि में काम आने वाली वस्तुएं उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में देने में असफलता ।		100 रुपये
30	50	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : मध्य प्रदेश में कृषि-योग्य परती भूमि पर फिर से खेती करने के लिए साधन और सहयोग देने में असफलता ।		100 रुपये
30	51	**श्री पी० विश्वम्भरन** : मीन-क्षेत्रों के विकास को उचित महत्व देने में असफलता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
30	52	**श्री पी० विश्वम्भरन** : मछली पकड़ने वालों को औसत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर अच्छी किस्म के समुद्री डीजिल इंजन उपलब्ध करने में असफलता ।		100 रुपये
30	53	**श्री पी० विश्वम्भरन** : मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा पेश की गयी वृहत् योजना को स्वीकृत करने तथा मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए उस सरकार को पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	55	**श्री यशवंत सिंह कुशवाह** : सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्य में असफलता ।		100 रुपये
33	57	**श्री पी० विश्वम्भरन** : सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों पर उनसे लिए गये ब्याज की दर में कमी करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
33	58	**श्री पी० विश्वम्भरन** : देश में सहकारी सुपर बाजार की खासतौर से दिल्ली में सुपर बाजार की असफलता ।		100 रुपये
33	59	**श्री एम० नारायण रेड्डी** : 1970-71 के दौरान गन्ने की लाभकारी कीमत निर्धारित करने में सफलता ।		100 रुपये
33	60	**श्री एम० नारायण रेड्डी** : गन्ना उत्पादकों तथा चीनी उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए किसी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने में असफलता ।		100 रुपये
33	61	**श्री एम० नारायण रेड्डी** : आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिल मालिकों द्वारा उन्हें 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान की गयी सप्लाई के सम्बन्ध में उत्पादकों को देय भारी बकाया रकमों की अदायगी के लिए कारगर तथा तत्काल उपाय करने में असफलता ।		100 रुपये
33	62	**श्री एम० नारायण रेड्डी** : प्रति वर्ष गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारित करने से पहले गन्ना-उत्पादकों के प्रतिनिधियों से सलाह लेने में असफलता ।		100 रुपये
116	63	**श्री एम० नारायण रेड्डी** : 1969 के दौरान किये गये आर० एस० 09 पूर्व जर्मनी टैक्टरों के व्यापार की उनके नमूने और बनावट के दोशों तथा असंतोषजनक कार्य की दृष्टि से एक उच्चस्तरीय तथा/अथवा केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा जांच करने की आवश्यकता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
116	64		**श्री एम० नारायण रेड्डी :** आन्ध्र प्रदेश कृषि-उद्योग निगम को दोषपूर्ण तथा इस्तेमाल न किये जा सकने वाले पूर्व जर्मनी आर० एस० 09 ट्रैक्टरों के विपणन में हुई भारी हानि ।	100 रुपये
116	65		**श्री एम० नारायण रेड्डी :** वे परिस्थितियां अथवा पृष्ठ भूमि जिनके अन्तर्गत 1969 में इस देश में बड़े पैमाने पर अपरीक्षित तथा पूर्णतया दोषपूर्ण पूर्व जर्मनी ट्रैक्टर आर० एस० 09 आयात किये गये ।	100 रुपये
116	66		**श्री एम० नारायण रेड्डी :** राष्ट्र के हित में आर० एस० 09 पूर्व जर्मनी ट्रैक्टरों का देश में और आगे आयात बन्द करने की तुरन्त आवश्यकता ।	100 रुपये
116	67		**श्री एम० नारायण रेड्डी :** आन्ध्र प्रदेश कृषि-उद्योग निगम को सप्लाई किये गये आर० एस० 09 पूर्व जर्मनी ट्रैक्टरों की पूर्ण असफलता तथा किसानों को हुई हानि तथा कठिनाइयां जिन्होंने इन ट्रैक्टरों को खरीदा ।	100 रुपये
116	68		**श्री एम० नारायण रेड्डी :** गत वर्ष आयात किये गये आर० एस० 09 पूर्व जर्मनी ट्रैक्टरों के नमूने तथा बनावट में त्रुटियाँ तथा भारतीय परिस्थितियों में उनका असंतोषजनक कार्य ।	100 रुपये
29	69	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	70	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	राज्यों में फारम-प्रबन्ध केन्द्रों को अपर्याप्त अनुदान ।	100 रुपये
30	71	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान योजनाओं के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
30	72	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	कृषि मूल्य आयोग का कार्य-चालन ।	100 रुपये
32	73	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	वनरोपण तथा भू-संरक्षण अनुसन्धान की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	74	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**	चीनी के निर्यात से हुई हानि को पूरा करने के लिए राजसहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
33	75	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	चीनी के बारे में सरकार की असन्तुलित नीति ।	100 रुपये
33	76	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन को अंशदान का प्रयोजन ।	100 रुपये
33	77	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का कार्यचालन ।	100 रुपये
33	78	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	उड़ीसा में बारगढ़ में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	79	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	शीरे के मूल्य नियन्त्रण की आवश्यकता ।	100 रुपये
33	80	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यचालन ।	100 रुपये
115	81	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
115	82	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात को बन्द करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
116	83	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	बूचड़ खानों का एक निगम स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
116	84	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	मीन क्षेत्रों का अपर्याप्त विकास ।	100 रुपये
116	85	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता ।	100 रुपये
116	86	**श्री श्रद्धाकर सूपकार**	उड़ीसा स्थित फारमों के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय यांत्रीकृत फारमों का कार्यचालन ।	100 रुपये
29	97	**श्री रामावतार शास्त्री**	किसानों को खाद्यान्नों के उचित मूल्य दिलाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	98	**श्री रामावतार शास्त्री**	आम लोगों को सहकारी समितियों से ऋण दिलाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
29	99	**श्री रामावतार शास्त्री** : देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	100	**श्री रामावतार शास्त्री** : पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद बन्द करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	101	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	102	**श्री रामावतार शास्त्री** : चोरबाजारी तथा मुनाफा-खोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कायवाही करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	103	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को पर्याप्त सहायता तथा सुविधाएं देने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	104	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्नों की कीमतें निर्धारित करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपयाकर दी जाये
29	105	**श्री रामावतार शास्त्री** : गेहूं के क्षेत्रों (जोन) के समाप्त होने के बाद भी गेहूँ की कीमत में वृद्धि ।		राशि घटाकर 1 रुपयाकर दी जाये
29	106	**श्री रामावतार शास्त्री** : राशन की दूकानों पर बिकने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	107	**श्री रामावतार शास्त्री** : बुनियादी भूमि सुधार करने में असफलता ।		राशि चटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	108	**श्री रामावतार शास्त्री** : "भूमि जोतने वालों को" का नारा क्रियान्वित करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	109	**श्री रामावतार शास्त्री** : विभिन्न राज्यों में भूमि सीमा-बन्दी की सीमा कम करने की आवश्यकता ।		राशि घटाकर 1 रुपयाकर दी जाये

1	2	3	4	5
29	110	**श्री रामावतार शास्त्री** : आदिम वासी किसानों की भूमि की रक्षा करने में असफलता ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
29	111	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्नों के बारे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता ।		100 रुपये
29	112	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में विफलता ।		100 रुपये
29	113	**श्री रामावतार शास्त्री** : भारतीय खाद्यान्न निगम की असफलता ।		100 रुपये
29	114	**श्री रामावतार शास्त्री** : सहकारिता के नाम पर दी गयी धनराशि की वसूली में असफलता ।		100 रुपये
29	115	**श्री रामावतार शास्त्री** : पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मजदूरों को स्थायी करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	116	**श्री रामावतार शास्त्री** : कृषि श्रमिकों को मकान बनाने के लिए भूमि देना अनिवार्य करने के कानून बनाने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	117	**श्री रामावतार शास्त्री** : सरकारी परती तथा बेकार पड़ी भूमि को कृषि श्रमिकों में बांटने में असफलता ।		100 रुपये
29	118	**श्री रामावतार शास्त्री** : वनस्पति के मूल्यों में लगातार होने वाली वृद्धि को रोकने में असफलता ।		100 रुपये
29	119	**श्री रामावतार शास्त्री** : गन्ना उत्पादक किसानों को 15 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिलवाने में असफलता ।		100 रुपये
29	120	**श्री रामावतार शास्त्री** : चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
29	121	**श्री रामावतार शास्त्री** : चीनी मिल मालिकों के आगे घुटना टेकने की नीति ।		100 रुपये
29	122	**श्री रामावतार शास्त्री** : खाद्यान्नों में मिलावट को रोकने में असफलता ।		100 रुपये
29	123	**श्री रामावतार शास्त्री** : किसानों को कृषि के आधुनिकतम यंत्र उपलब्ध कराने में असफलता ।		100 रुपये
29	124	**श्री रामावतार शास्त्री** : किसानों को सस्ते दर पर खाद और बीज देने में असफलता ।		100 रुपये
29	125	**श्री रामावतार शास्त्री** : प्रखण्ड विकास कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	126	**श्री रामावतार शास्त्री** : विकास प्रखण्डों की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	127	**श्री रामावतार शास्त्री** : सरकारी गोदामों से खाद्यान की लूट को बन्द करने में असफलता ।		100 रुपये
29	128	**श्री रामावतार शास्त्री** : पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मजदूरों की छंटनी को रोकने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	129	**श्री रामावतार शास्त्री** : पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मजदूर संघों को मान्यता देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	130	**श्री रामावतार शास्त्री** : पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मजदूरों के वेतन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	131	**श्री रामावतार शास्त्री** : पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्था के मजदूरों को कार्मिक संघ अधिकार देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	132	**श्री रामावतार शास्त्री** : पंचायतों को मालगुजारी वसूली का अधिकार देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
29	133	**श्री रामावतार शास्त्री** : अलाभकर खेतों को मालगुजारी से छूट देने में असफलता ।		100 रुपये
29	134	**श्री रामावतार शास्त्री** : जमशेदपुर से टाटा की जमींदारी को समाप्त करने में असफलता ।		100 रुपये

1	2	3	4	5
30	135	**श्री रामावतार शास्त्री** : लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	136	**श्री रामावतार शास्त्री** : पौधा-संरक्षण कार्यों में असफलता ।		100 रुपये
30	137	**श्री रामावतार शास्त्री** : खड़ी फसलों को कीड़ाखोरी से रक्षा करने में असफलता ।		100 रुपये
30	138	**श्री रामावतार शास्त्री** : किसानों को फसल वृद्धि के लिए आधुनिकतम प्रशिक्षण देने में असफलता ।		100 रुपये
30	139	**श्री रामावतार शास्त्री** : सुपर बाजार दिल्ली को हो रहे घाटे को रोकने में असफलता ।		100 रुपये
30	140	**श्री रामावतार शास्त्री** : फलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	141	**श्री रामावतार शास्त्री** : मत्स्य पालन योजनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	142	**श्री रामावतार शास्त्री** : बिहार में राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	143	**श्री रामावतार शास्त्री** : किसानों को जंगलों से लकड़ी लेने का अधिकार देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	144	**श्री रामावतार शास्त्री** : जंगलों के विकास पर विशेष जोर देने की आवश्यकता ।		100 रुपये
30	145	**श्री रामावतार शास्त्री** : आदिवासियों और खेतिहर मजदूरों को जंगल की बेकार जमीन देने की आवश्यकता ।		100 रुपये

श्रीमती मोहिन्दर कौर (पटियाला) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान मैं केवल कुछ विषयों पर ही बोलूंगी ; जैसे हरित क्रान्ति भूमि सुधार बारानी खेती, ऋण तथा मूल्य सम्बन्धी नीतियां; बिजली और सड़कें ।

मंत्री महोदय प्रसन्न है क्योंकि इस वर्ष 10 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है । किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि चौथी योजना का लक्ष्य 13 करोड़ टन रखा गया था । देश में हरित क्रान्ति की बड़ी चर्चा है, किन्तु इसे हरित क्रान्ति, के बजाय 'गेहूं क्रान्ति' कहना अधिक उपयुक्त होगा । दूसरे, कृषि उत्पादन में वृद्धि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ही हुई है तथा गेहूँ के अतिरिक्त अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है ।

मुझे संदेह है कि हम इस 'गेहूं क्रान्ति' को बहुत दिन तक चला पायेंगे। पंजाब में किसानों के विचार बदलते जा रहे हैं। वे गेहूँ के बजाय वाणिज्यिक फसलों की ओर झुकते जा रहे हैं। क्योंकि अधिक उपज वाले गेहूं की खेती पर खर्च बहुत अधिक करना पड़ता है। प्रति एकड़ लगभग 650 रुपये का खर्च आता है जबकि उससे केवल 900 रुपये का गेहूँ प्राप्त होता है। इस प्रकार लाभ केवल 250 रुपये का होता है। जहां तक ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन में इतनी आशाजनक वृद्धि नहीं हुई है। अतः उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

चावल की आइ० आर०–5 और आइ० आर०–8 किस्मों में कीड़े बहुत अधिक लगते हैं। जबकि आइ० आर०–20 और आइ० आर०–22 किस्मों में, जो अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलिपीन में तैयार की गई हैं, कीड़े नहीं लगते। सरकार को इन चावलों के बीज वहां से मंगाने चाहिए और किसानों में वितरित करने चाहिए (जहां तक दालों, तिलहनों और मसालों का सम्बन्ध है, उनके मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी उनके मूल्य कम होंगे।

यह बड़ी भयंकर बात है कि उर्वरक का उपयोग इस वर्ष पहले वर्ष के मुकाबले घटा है। मेरे विचार से भारत में उर्वरक का जो मूल्य है वह विश्व में सर्वाधिक है। यही कारण है कि हमारे यहां उर्वरक बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। यदि जापान से तुलना की जाये तो जापान में भारत से 30 गुना अधिक उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है। यदि सरकार हरित क्रान्ति को बनाये रखना चाहती है तो उसे किसानों को उर्वरकों के मामले में राहत देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जहां तक भूमि-सुधार का सम्बन्ध है, सभी अपेक्षित भूमि-सुधार एकदम कर दिये जाने चाहिए। तभी उनसे लाभ हो सकता है। जापान और संयुक्त अरब गणराज्य में ऐसा ही किया गया है। संयुक्त अरब गणराज्य में भूमि की अधिकतम सीमा 54 एकड़ प्रति परिवार निर्धारित कर दी गई है। इसी भांति पूरे भारत में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए ताकि लोगों के मन से अनिश्चितता की भावना निकल जाये। किन्तु ऐसा करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ी कृषि भूमि में उपज उतनी नहीं होती कि वह बाजार में बेची जा सके। बाजार के लिए अनाज हमें बड़ी और मध्यम दर्जे की जोतों से प्राप्त होता है।

कृषकों का कल्याण इसी बात में है कि उन पर धन कर और सम्पत्ति कर न लगाया जाये। बारानी खेती के विकास के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये। चौथी पंचवर्षीय योजना में बारानी खेती के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि बहुत ही कम है। इस राशि से कुल 2 या 3 लाख एकड़ भूमि विकसित की जा सकेगी जो कुल बारानी खेती का 0.1 प्रतिशत है। छोटे किसानों को ऋण की सुविधा मिलनी चाहिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद लोगों को यह आशा बंधी थी कि किसानों को अब ऋण आसानी से प्राप्त होंगे, किन्तु किसानों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कोई लाभ नहीं हुआ है। इस योजना के अन्त में किसानों को ऋण के रूप में अनुमानतः 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। किन्तु सरकार इस राशि का केवल 20 प्रतिशत ही दे पायेगी। इस सम्बन्ध में बैंक ऑफ पटियाला ने बहुत सराहनीय कार्य किया है।

सच पूछिये, तो हमारे यहां 'मूल्य-नीति' नाम की कोई नीति है ही नहीं। फसल आने से कुछ समय पहले मूल्यों की घोषणा की जाती है, जबकि यह घोषणा फसल बोये जाने से पहले की जानी चाहिए या मूल्य दो या तीन साल के लिए निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि किसान यह निश्चय कर लें कि उन्हें क्या फसल बोनी है। ऐसी मूल्य नीति से किसान को अधिक लाभ होगा। प्रायः अन्य लोग यह सोचते हैं कि आजकल किसान को बहुत अधिक आय हो रही है। किन्तु यह उनका भ्रम है। इस समय तो लाभ बिचौलिया व्यापारियों को होता है, न तो किसान को होता और न उपभोक्ताओं को। ये लोग फसल आते ही कम कीमत पर किसानों से खरीद लेते हैं और बाद में महंगे भाव पर उपभोक्ताओं को बेचते हैं।

आजकल विद्युत् कृषि-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में देहाती क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए राशि बढ़ा दी गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि इस समय हरियाणा और पंजाब में बिजली की बहुत अधिक कमी है। किसानों को बारी-बारी से सप्ताह में तीन दिन बिजली दी जाती है। इसके लिए पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया था कि दिल्ली की दुकानें कुछ दिन तक 7 बजकर 45 मिनट के बजाय 7 बजे बन्द करा दी जायें। इससे वहां की बिजली की समस्या हल हो जाती। दूसरी बात यह है कि किसानों से बिजली एक निश्चित रूप चार्ज की जाती है चाहे उन्हें बिजली उपलब्ध हो या न हो। जबकि उद्योगों से बिजली का खर्च बिजली की खपत के आधार पर लिया जाता है। किसानों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए।

कृषि-विकास के लिए गांवों में सड़कों का होना भी बहुत आवश्यक है। खेती में काम आने वाले सामान जैसे उर्वरक आदि को जाने-ले जाने और कृषि उपज को बाजार तक ले जाने में सड़क उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस दिशा में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अधिक काम किया है। उन्होंने 1000 मील लम्बी मुख्य मार्गों से गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का एक कार्यक्रम बनाया है। इससे पंजाब के 890 गांवों में से प्रत्येक गांव सड़क से 1 मील के क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगा। इन सड़कों से कई गांवों में सीधे आने-जाने का रास्ता बन जायेगा।

अन्त में यह निवेदन है कि कृषि के बढ़ते हुए उत्पादन को देखकर हमें अपने प्रयासों में ढील नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि अनाज के मामले में देश आत्म-निर्भर बना रहे तो हमें प्रत्येक बजट में कृषि को प्राथमिकता देनी होगी।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक सज्जन श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने इस सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। वह संसद सदस्य नहीं हैं, फिर भी केन्द्रीय हाल का अपनी अवांछित गतिविधियों के लिये उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तीन लड़कियों के साथ बलात्कार किया और इस कारण उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया है। अब वह उच्चत्तम न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाने के लिए हस्ताक्षर इकट्ठे कर रहे हैं, उनका आरोप यह है कि न्यायाधीश को घूस दी गई थी।

सभापति महोदय : इसके लिए नियमानुसार नोटिस दिया जाना चाहिए, जिस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, the country has made a great progress in the field of agriculture. We can proudly say that now the country is going to be self-sufficient in food-grains very soon and we would not have to import food-grains from foreign countries. I want to congratulate rhe Ministers as well as the farmers and especially the scientists who have invented new varieties of food-grains and multiple as well as relay cropping and for bringing about green revolution. As a result of it, the economic condition of the farmers has also improved. Now efforts are being made to increase the production of food-grains in the dry farming areas. I hope, as a result of all these measures, we would be able to export food-grains instead of importing it from other countries.

It is also good that food zones have now been abolished. It has proved an incentive to the farmers, to get a reasonable price for his produce. As a result of introduction of forward-trading in Gur, the condition of farmers has improved. The policy of procurement of food-grains has helped the farmers in getting the support price.

There was apprehension in the minds of the small farmers that whatever little land they had, would be snatched away from them. The Minister should set at rest this apprehension by making a statement in the House that small farmers would not have to part with their land. Thus, the farmers with an increased self-confidence, would be able to produce more.

The farmer has to sell his produce at fixed prices, but he has to purchese the things he requires at higher prices. There should be parity in the prices at which he has to sell and the prices at which he has to purchase his necessities of life. The Government should ensure that the farmer gets his requirements at reasonable prices.

Farmers and M.Ps. with agricultural background should be given representation in the Agricultural Prices Commission. The Commission should fix the prices after taking into consideration the investment made and allowing a certatn margin of profit.

Seeds and fertilizers should be provided to farmers at cheaper rates. Levy on fertilizers should be reduced. The Government should also set up a tube-wells corporation to help the farmers in minor irrigation facilities. The Government should establish centres in rural areas which should make tractors available to small farmers on a nominal price.

There should be grain banks for providing marketing facilities to farmers. The farmers could deposit their food-grains in those banks and get an entry made in a Pass book which should be issued to them. Thus the farmer would not be compelled to sell his produce at lower rates and it would also help him to save himself from the exploitation of the middleman.

Even the small farmers are being put to difficutty because of Agricultural Wealth tax. Agricultural Wealth tax should be levied on the rich and not the poor. Government should look into the matter and remove their hardship.

The Government should fix a celling on land holdings so that there is no uncertainty in the mind of the farmers. Only the tillers of the soil should have the land. Minimum Wages Act should be made applicable to the landless labour so that minimum wages were ensured to them.

Demonstration farms should be established on Panchayat lands so that even highly educated youngmen may learn there and may feel the diginity of maunal labour.

There should be reclamation of lands. The Government should provide incentive and grants to the farmers who would reclaim the lands. The title of Krishi Pandit is not a sufficient incentive to the farmers.

The services of agricultural scientists are very important for the development of agriculture. They should be paid handsomely.

Publicity has helped a great deal in bringing the agricultural revolution in the country. Eighty per-cent of the total resources should be spent on improvement of villages so that the country may move towards prosperity.

श्री र० की० अमीन (ढंढका) : सभापति महोदय, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई विविध रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि सुधरे तरीकों और बढ़ी हुई कीमतों के प्रति किसानों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया हैं। वास्तविक स्थिति इसके विपरीति है। किसान अधिक बीजों, अधिक ट्रैक्टरों, अधिक खाद और अधिक सिंचाई सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सरकार नई स्थिति का सामना करने में विफल रही है। हर बार सरकार अपनी रिपोर्टों में कहती रही है कि बहुत जल्दी एक नये युग का आगमन हो रहा है और सारी कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी। सभी रिपोर्टों में आशा की किरण दिखाई देती है, परन्तु असल बात यह है कि खाद्य उत्पादन का अतिशयोक्ति पूर्ण अनुमान लगाया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह अखाद्य फसलों में कमी करने के कारण हुई है गन्ने के अलावा, अन्य सभी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन स्थिर रहा है। 1964 के बाद खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में गिरावट आई है। सारे देश में हम अभी तक भूमि सुधार का कार्य भी पूरा नहीं कर सके है। बहुत से राज्यों में बटाई-फसल की प्रथा अभी भी चालू है। काश्तकारी की सुरक्षा नहीं है। देश में अनाजों के लाने ले जाने की पूरी आजादी नहीं है।

सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी राज्य करकारों पर डाल देती है। सरकार राज्यों के सुझावों और उनके विरुद्ध सुझावों के जाल में ही फंसी रहती है। कृषि सम्बन्धी शिक्षा और अनुसंधान के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार के सभी प्रयास अपर्याप्त और प्रभावहीन सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वर्षा पर पहले जितना ही निर्भर रहना पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों के किसानों की आयों में अभी भी असमानता है। आत्म-निर्भरता का स्वप्न अभी भी सरकार नहीं हो सका है।

सरकार ने संसद में घोषणा की थी कि 1969 के अन्त तक कृषि आयोग की नियुक्ति कर दी जायगी। किन्तु अभी तक उस आयोग की नियुक्ति नहीं की गई है। ग्रामीण विकास और रोजगार समिति तथा विशेषज्ञ समिति और कार्नेल विश्वविद्यालय के प्रो० जान मैलर के अनुसार तथा कथित 'हरित क्रान्ति' और सिंचाई वाले क्षेत्रों में आय के बीच असमानता बढ़ रही है।

जहां तक भूमि पट्टे थी सुरक्षा का सम्बन्ध है, सरकार तीसरी योजना के आरम्भ होने के बाद देश में काश्तकारों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एक रजिस्टर तैयार करना चाहती थी। संभवतः, इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भूमि की चकबन्दी के कार्य

में भी प्रगति नहीं हुई है। फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

देश में पांच लाख से ज्यादा गांव हैं, जिनमें से लगभग साढ़े तीन लाख गावों की आबादी 500 से कम है। सरकार ने कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रों या कृषि प्रबन्ध केन्द्रों अथवा विश्व-विद्यालयों के माध्यम से 800 से 1000 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। परन्तु प्राप्त सुझावों और सिफारशों को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जाता, यही इस देश की बरबादी का कारण है।

पंचायती राज में सरकार शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात करती है, परन्तु मूल योजना के अनुसार शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय साधनों को गतिशील बनाता है। किन्तु प्रतिवेदनों में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि स्थानीय साधनों को गतिशील बनाने के कार्य में काफी प्रगति नहीं हुई है। पंचायती राज का तन्त्र बहुत महंगा है। सरकार वसूल किये राजस्व का 80% तो उसकी वसूली पर ही व्यय कर देती है। भू-राजस्व वसूल करने तथा उसे गांवों के विकास पर व्यय करने का कार्य पंचायतों को सौंप देना अधिक श्रेयस्कर होगा।

सामुद्रायिक विकास योजनाओं के बारे में बहुत कुछ काम किया जाना शेष है। खण्ड विकास अधिकारी के क्षेत्राधिकार में 150 अथवा। 160 गांवों में आत्म-निर्भता की भावना को जाग्रत करने का कार्य होता है, परन्तु जब तक वह गांव के व्यक्तियों से परिचित होता है, उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। छः महीने तक भी कोई खण्ड बिकास अधिकारी एक स्थान पर नहीं रह पाता।

यह बहुत अच्छा है कि किसानों को अधिकाधिक ऋण देने का निश्चय किया गया है। जब किसान ट्रैक्टर या पम्प आदि खरीदने जाते हैं, तो एजेन्ट और बिचौलिये बीच में पैसे खा जाते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो कुछ भी सहायता उन्हें दी जाती है, वह एक बार में और पूरी मात्रा में दी जाये। कृषि ऋण समितियों में ऋण लेने वाले किसानों को प्रत्येक वर्ष पैसा भरना पड़ता है और थोड़े से समय के लिए यह पैसा उन्हें ऊंची ब्याज दर पर महाजनों से लेना पड़ता है। अतः एक ऐसी पद्धति बनाई जानी चाहिए, ताकि सही किसान को ऋण की उचित मात्रा मिले और ऋण का प्रयोग ठीक प्रयोजन के लिए ही किया जाये।

कांग्रेस के बम्बई प्रस्ताव से पता चलता है कि सरकार वायदा बाजारों को समाप्त करने के लिए बहुत इच्छुक है। सरकार खाद्यान्न-संग्रह में भी अपना एकाधिकार जमाना चाहती है। अगर यह प्रणाली अच्छी है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु हम अपने चारों ओर मूल्य-व्यवस्था की ऐसी परिस्थितियां पाते हैं, जिनमें वायदा बाजार अनिवार्य है। अगर यह नहीं है, तो आपकी सीमित बाजार व्यवस्था कार्य नहीं करेगी। इससे कृषकों के हितों को नुकसान पहुँचेगा। सरकार का कहना है कि वायदा बाजार पर रोक लगाने से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और मध्यस्थ लोगों को हटाया जा सकेगा। नौकर शाही बिचौलिये के रूप में आ रही है, क्योंकि कोई न कोई तो खाद्यान्न खरीदने और उसका भण्डार करने को होना ही चाहिए।

कृषकों की बहुत बड़ी संख्या है और इस प्रकार बेचने वालों की भी अधिक संख्या है।

अगर सरकार ही स्वयं प्रमुख खरीददार होगी, तो किसानों का शोषण होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका शोषण न हो, यदि बेचने वालों की संख्या अधिक है, तो खरीदने वालों की भी संख्या अधिक होनी चाहिए।

कुछ दिन पूर्व इसी सदन में यह बात उठाई गई थी कि सेना को घटिया दर्जे की दाल, चने और अन्य खाद्यानों की सप्लाई की गई। तथ्यों की जांच करने पर पता चलता है कि 40,000 टन अनाज में से 30,000 टन अनाज की सप्लाई भारत के खाद्य निगम द्वारा की गई और केवल 10,000 टन अर्थात् सप्लाई किये गये अनाज का कुल 25% ही विविध व्यापारियों ने सप्लाई किया। 30,000 टन में से लगभग 55% अनाज जो कि लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत का था, घटिया किस्म का पाया गया और उसकी जगह दूसरा अनाज सप्लाई करने का आदेश किया गया गया, जब कि 30 विभिन्न व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये गये लगभग 10,000 टन अनाज में से मुश्किल से 8 या 10 प्रतिशत अनाज ही खराब पाया गया। दोनों प्रकार की प्रणालियों के अन्तर का इससे पता चल जाता है। इसलिये प्रतियोगिता के आधार पर बाजार व्यवस्था होने से किसानों के हितों की अधिक सुरक्षा होगी।

अजकल सरकार गेहूँ अमेरिका से उनकी मनमानी कीमत पर पी० एल० 480 के अधीन खरीद रही है और उसका मूल्य 60 प्रतिशत डालरों में तथा 40 प्रतिशत रुपये में अदा कर रही है। नौवहन प्रभार की अदायगी भी डालरों में करनी होती है। यदि सरकार गेहूँ प्रतिस्पर्द्धी बाजारों से खरीदे और अपने ही पोतों में लाए, तो यह विदेशी मुद्रा की दृष्टि से पी० एल०—480 पद्धति के अन्तर्गत की जाने वाली खरीद से सस्ता पड़ेगा।

खाद्यान्नों और अखाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। सर्व प्रथम हमें किसानों को ठीक समय पर उचित मात्रा में उर्वरक, बीज और संयन्त्र आदि देने के लिए कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने चाहिए। प्रत्येक जिले में 15-20 दिनों के लिए किसानों को सामूहिक प्रशिक्षण देने के लिए ग्राम्य-संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि किसानों को विकसित और सुधारी विधियों में प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रत्येक राज्य में एक-एक कृषि विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। पन्तनगर, रुद्रपुर और पंजाब कृषि विश्वविद्यालयों ने आचर्यजनक कार्य किया है। यदि हम 1951 से 1968 तक के आंकड़ों को देखें, तो यह पायेंगे कि प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि सबसे अधिक गुजरात में हुई है। किन्तु गुजरात में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सरकार को वहां कार्यवाही करनी चाहिए।

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में कृषि प्रबन्ध केन्द्र और कृषि आर्थिक केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इस समय इस प्रकार के केवल छः केन्द्र ही है। सिंचाई प्राद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भी कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि अब सिंचाई के नये तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। छिड़काव द्वारा सिंचाई की पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है। इजराइल ने इसे अपना लिया है। हमे भी अपनाना चाहिये।

भूमि खारापन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी भूमि समुद्र के पानों के नीचे होने के कारण कृषि के योग्य नहीं है। यदि इस समस्या के अध्ययन के

लिए कोई संस्थान हो, तो शायद अनेकों एकड़ भूमि उत्पादन में वृद्धि करने योग्य बनाई जा सकती है।

अब ,मैं मूंगफली, कपास और गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलों के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। मूंगफली के सम्बन्ध में, समस्या कुछ इस प्रकार है कि जब इसकी फसल आती है, तो कीमतें कम हो जाती हैं और फसल के बाद कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फसल के आने से पहले कीमतें बहुत ऊँची हो जाती है। जब फसल फिर आती है, तो कीमतें फिर गिर जाती है। काफी मात्रा में संग्रह (बफर स्टॉक) बनाने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। अधिक उपज देने वाली किस्म का पता लगाया जाना चाहिए जैसा कि चावल, गेहूँ और मकई आदि के मामले में किया गया है। परन्तु हमने कपास, गन्ना तथा मूंगफली के मामले में ऐसा नहीं किया है। अब उचित समय आ गया है जब कि सरकार को यह अवश्य करना चाहिए और सारे देश में अधिक उपज वाली किस्म का प्रचार किया जाना चाहिए। विदेश व्यापार नीति और आन्तरिक नीति के बीच सामंजस्य होना चाहिए।

सरकार सोयाबीन के तेल का आयात कर रही है। ताड़ का तेल जो दक्षिण-पूर्व एशिया से उपलब्ध हो सकता है, सबसे ज्यादा सस्ता है। सरकार को थोड़े समय के लिए ताड़ के तेल का आयात करना चाहिये और इस बीच उसे सोयाबीन का देश में ही उत्पादन बढ़ाना चाहिये। चौथी योजना के अन्त तक कपास के बारे में सरकार का 80 लाख गांठों का उत्पादन करने का लक्ष्य है, परन्तु उत्पादन 58 लाख गांठों पर ही रुक गया है। अब समय आ गया है कि व्यावसायिक फसलों की अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करने के लिए अधिक अनुसंधान, शिक्षा पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और व्यावसायिक फसलों के लिए भी अधिक सिंचाई सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

सरकार को गांवों की गरीबी का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त करना चाहिये और उसे इन गांवों के सर्वेक्षण अध्ययन से यह बताना चाहिये कि गांवों के लोगों की स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं।

श्री को० सूर्यनारायण : (एल्लूरू) : यद्यपि हमारे देश में कृषि संबंधी तकनीकी ज्ञान का अधिक विकास नहीं हुआ है, मगर फिर भी हमारे पास जो भी साधन और सुविधायें उपलब्ध थी, उनसे हम 40 करोड़ टन अनाज पैदा कर सके हैं। यह भारी सफलता है। अधिकांशत: यह सफलता किसानों के अथक प्रयास और कृषि-श्रमिकों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग देने के कारण सम्भव हो सकी है। खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने के कारण पिछले तीन वर्षों से खाद्यान्नों का आयात लगातार कम होता रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि 1951 में प्रति एकड़ उत्पादन 688 किलो-ग्राम था, जो पिछले वर्ष बढ़कर 1031 किलोग्राम हो गया।

गांवों में सारी जमीन जमींदारों के अधिकार में है और शेष 80% ग्रामीण जनता अपने श्रम का फल चखने से वंचित रह जाती है। हम काफी समय से भूमि सुधारों की बात कर रहे हैं, लेकिन विधान से उन लोगों को कोई भी लाभ नहीं पहुंच सका है। सरकार यह आश्वासन देती रही है कि भूमिहीनों को भूमि दी जायेगी। आन्ध्र प्रदेश की सरकार यह कहती रही है कि 73,000 एकड़ भिभू को भूमि नहीश्रमिकों में बांटने के लिये अधिग्रहण किया जायेगा, फिर भी एक भी एकड़ भूमि

नहीं दी गई है और न ही लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए कोई कार्यवाही करने के लिए ही पहल की गई है। वन क्षेत्रों की भूमि अभी भी बड़े-बड़े जमींदारों और जागीरदारों के अधिकार में है। भूमि सुधार योजनाओं के अंतर्गत, नाममात्र के मूल्य पर भूमि सरकार के पिट्ठुओं और समर्थकों में बांट दी जाती है।

किसानों को उर्वरक और अच्छे बीज आदि के रूप में काफी धन लगाना पड़ता है। यह धन उसे साहूकारों से मिलता है, जो काफी ब्याज की दर लेते हैं। इन सब कठिनाइयों के बावजूद जब अन्त में उसे उपज प्राप्त होती हैं, तो इसका अधिकांश भाग जमींदार ले लेते हैं और काश्तकार के पास बहुत कम हिस्सा रह जाता है।

अगर किसानों को उर्वरक, बीज, सिंचाई और ऋण आदि की आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें, तो मेरा राज्य आन्ध्र प्रदेश एक लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न कमी वाले क्षेत्रों को दे सकता है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, जो कुछ वर्षों से अस्तित्व में आया है, कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, परन्तु इस संगठन में भी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समुचित नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा।

आन्ध्र प्रदेश में धान का अधिकांश भाग केवल चार जिलों में पैदा होता है। वहां फालतू अनाज को एक जिले से दूसरे जिले में लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। ये प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिये ताकि यदि किसी किसान के पास फालतू अनाज होगा, तो वह इसे या तो केरल या किसी अन्य कमी वाले क्षेत्र को भेज सकता है।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की मदद से हमने टाडीपल्लीगुडम में एक आधुनिक चावल मिल चालू की है। आवश्यक उपकरण इसके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन अनाज के लाने ले जाने में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप अपेक्षित मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता और इस कारण यह मिल अपनी स्थापित क्षमता से कार्य नहीं कर सकती। इस कारण इस कारखाने को दो से तीन लाख रु० तक का घाटा हो रहा है। जब हम केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगते हैं, तो वह कहती है कि समूची पर्यवेक्षण और नियन्त्रण शक्ति राज्य सरकार में निहित है। केन्द्रीय सरकार जब राज्यों को आर्थिक सहायता देती है, तो उसे अपने नियन्त्रण के अधीन एक तन्त्र भी बनाना चाहिये, ताकि जिन विभिन्न योजनाओं के लिए यह सहायता दी जाती है उनके कार्यान्वयन का अधीभाग भी किया जाये।

मद्रास के तंजाबूर नगर स्थित चावल मिल का दक्षतापूर्ण संचालन हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उसे सहायता प्रदान कर रही है। अगर आन्ध्र सरकार भी उसी प्रकार सहायता करे, तो टाडीपल्लीगुडम् स्थित चावल मिल को भी दो-तीन लाख रुपये का लाभ हो सकता है और 2 से 7% धान की कुटाई भी अधिक हो सकती है।

मन्त्री महोदय को कोलेरू क्षेत्र का दौरा करके स्वयं उन कठिनाइयों को देखना चाहिये जिनका वहां के किसान और खेतिहर मजदूर सामना कर रहे हैं। वहां के जमींदार खेतिहर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। हमने आन्ध्र के मुख्य मन्त्री को लगभग 6 महीने पहले एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि लगभग 75,000 एकड़ उर्वरा भूमि को यदि भूमिहीन मजदूरों में बांट दिया जाय, तो अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है।

जहां तक जोत की अधिकतम सीमा का सम्बन्ध है, इस देश में कोई एक समान नीति नहीं है। हालांकि मद्रास राज्य ने भूमि की सीमा 30 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दी है, परन्तु इसके बावजूद भी लोग कानून से बच निकलने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ़ ही लेते हैं। ये भूमि को परिवार के सदस्यों में बांट देते हैं।

जब तक सरकार की नीतियां इस प्रकार निर्धारित नहीं की जातीं कि किसानों और खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचे, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। आन्ध्र-प्रदेश सरकार का यह दावा है कि उसने भूमिहीन मजदूरों में 17 लाख एकड़ भूमि बांट दी है। यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि किसान इस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये ऋण और अन्य सुविधायें भी प्राप्त कर सकें।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Sir, I stand to oppose this Budget. Ours is an agriculture-based country and most of our countrymen live on agriculture, but still, even after 22 years of efforts, we have not been able to becom self sufficient in the matter of foodgrains with the result that crores of rupees are wasted for the purchase of these foodgrains. This money, in fact, could have been invested in our development programmes. This is because we have not paid adequate attention for mobilising local resources to make good the shortage of foodgrains from within the country. Even today, about 1.75 crore acres of land in our country is lying fallow. Besides that, proper attention is also not being paid towards the use of other modern means of agriculture. In 1969, the country needed 36,000 tractors but 15,000 tractors could be manufactured here. In 1973, we would need 68,000 tractors The concerned Government Department did provide with proper and good designs, but their manufacture was not taken up in hand. The Government also did not issue licences to those industrialists who wanted to manufacture tractors.

Other countries of the world are making progress fast in the field of agriculture. Production is being muliplied by means of arlificial rain. But we have not paid any attention towards 80 per cent of our un-irrigated land.

Also the Government could not assure our farmers against the losses owing to natural calamities. Agriculture insurance has not been introduced. The manufacture of fertilisers is also far less than our requirement. It should be four-times the present fproduction. The result is that we are compelled to spend a lot of money for importing ertilisers whereas this money could be utilised for manufacturing chemical fertilisers in India itself.

The average use of chemical fertiliser in our country is the leart, that is, only 7 kilogram per hectare wheras in Japan it is 305 kg., in Belgiuam it is 286 kg. and in China it is 270 kg. per hectare. Also it is very costly in India.

We supply only 7 per cent of power for irrigation purposes whereas we supply 70 per cent of power to the industries. That shows that we want to enrich only the big industrialists.

We are continuously losing agricultural land owing to land erosion. The money allocated to stop the erosion of land is not fully utilised. Certain pilot projects have, no doubt, been started, but they have been stopped after getting them inargurated. by a Minister or some big leader. The money alloted for the same generelly lapses.

Proper care has also not been taken to protect and improve the good breeds of animals. Cow slaughter has not been banned and the export of calf-leather still

continues. If we slaughter our calves, how can we have good breed of oxen. Thus, our animal hreed is deteriorating day by day, with the result that we have the short supply of milk in the whole world. Whatever good breeds of cows we have, we are not able to provlde them with good fodder. Similarly no attention is being paid towards the production of milk as well.

This Ministry was assigned the job of establishing Panchayati Raj in the country. But the 3-point Panchayati Raj programme has not be properly implemented even in a single State of India. There are several States which have not accepted this programme even. Had this been done at least in the Union territories, it could have brought good results. No elections have been held for Panchayats since long and, a lot of party politics has crept into the villages, thereby, creating disputes and quarrels among innocent villagers. The Panchayat elections should be conducted through secret ballots.

The development blocks are also doing no good work. They have become the means of meeting political ends. The development programmes which have been taken up, have not been properly published. They make publicity and propaganda in English which is not understood by the farmers. Certain publications should be printed in Hindi and circulated. But the administration perhaps want to keep the farmers in the dark.

Small irrigation schemes have also not been given due care and, therefore, the development work has been blocked up.

As regards cooperatives, their number is decrersing and the debt is increasing. The cooperative movement has reached only 49 per cent of our farmers and they too are being burdened with loans. The financial conditions of the cooperatives is not good.

Finally, I would request that arrangements should be made to supply at leasr drinking water in Madhya Pradesh. Thousands of villages in M. P. have no provision for drinking water. Even in the Fourth Plan you will not be able ro provide drinking water. If this remains the speed of your Plans, even the 4th Plan will not ensure this basic need. Therefore, a change in the present patters is needed. People cannot wait. The Government wants to bring about green revolution but beware, lest there should he a red revolution instead . Thank you.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : Sir, while supporting the demands of the Agriculture Department, I have to point out that the Government did not give the desired first priority to the Agriculture. Eighty two per cent of our population lives in rural areas and they need various sorts of assistance for production on which depends the growth of our different industries. But farmers are generally very poor and are nor in a position to unite and raise their voice. Therefore, their weakness should not be exploited and they should be attended to more and more.

India needs 1,25,000 tractors every year whereas we manufaeture only 25,000 tractors. Tnerefore the Government should arrange for the manufacture of tractors either in the Public Sector or import them to meet the requirement.

As regards fertilisers their prices are so high that it is very costly to use them whereas the prices of the produce is much less and the farmer has to suffer a loss.

In spite of the development of a new variety of wheat-seeds which has increased the production of wheat from 10 or 11 quintals per acre to 40 quintals per acre, the average income to the farmer is about Rs. 500 or Rs. 700 per acre which does not

include the cost of labour done by each member of his family This is not profitable for him. The cost of production should also be kept in view whlle fixing the prices of the commodities as is done in the case of cloth, cement etc.

Adequate arrangements should be made to provide fuel to the farmers so that thcy may use the dung for fertiliser. Prices should be fixed of all the agricultural commodities and due incentive should be given to increase production. But the price of sugar fixed in Maharashtra is very low. Maharashtrn stands first as far as the production of sugar cane is concerned. The average prodoction there is 63 tons per acre. But the cost of production is also more. Those people should be given adequate ecouragement. It is not desirable to fix the price of sugar at Rs. 135 per quintal.

The price of groundnuts has also not been fixed as a result of which a number of cooperative oil mills have closed down. The hon. Minister should fix the price of groundnuts as well as of cotton as promised in the last AICC Session in Bombay.

The District central cooperative Banks which are intermediaries between. the farmers and the cooperative societies should be disbanded as their existence result in the increase of interest on loans.

The Government have given land to a few landless people and the rest of them are not getting money from the banks. Therefore they should be given assistance in setting up their poultices, dairies etc. industries.

The Government should give due importance to the labour. Labourers should be valued more than those who engage labourers.

It is alleged that the agriculturists in the irrigated areas having a little bit of land under sugar-cane cultivation are rich. It is a wrong notion. I appeal to the Government to give them more and more incentives as they are strong base of the country,

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कड्डलर) : गत वर्षों में वाद-विवाद के समय खाद्य मन्त्रालय की कड़ी आलोचना होती थी परन्तु अब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कारण देश में कुछ संतोष हो गया है। परन्तु मेरा विश्वास है कि भारतीय लोग तथा किसान इसमें अभी और वृद्धि करने में भी समर्थ हैं।

यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1967-68 में 650 लाख टन से 1968-69 में कृषि उत्पादन 941 लाख टन हो गया और चालू वर्ष में इसके 10 करोड़ लाख टन होने की आशा है। यह हर्ष की बात है कि खाद्य उत्पादन वृद्धि में अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ मेरी राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग है। इसी के फलस्वरूप हमारा खाद्य आयात भी प्रति वर्ष घटता जा रहा है। 1967-68 में होने वाला खाद्य आयात 86 लाख टन था, 1968-69 में 59 लाख और 1969-70 में 38 लाख टन। अतः इस वर्ष केवल 253 करोड़ रुपये का खाद्य आयात किया गया। परन्तु यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अमरीकी सीनेट के कुछ सदस्य हमारी इस समृद्धि से प्रसन्न नहीं है। वे चाहते हैं कि भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए सदा ही पश्चिमी देशों पर निर्भर रहें।

मैं इस बात को जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उस का श्रेय केवल सरकार को नहीं वरन् किसानों को भी है। किसानों ने खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए

विभिन्न कदम उठाये हैं। 1966 में भारत में गन्ने का उत्पादन 17 लाख टन था परन्तु चालू वर्ष में यह उत्पादन बढ़कर 43 लाख टन हो गया है। उत्पादन वृद्धि का प्रमुख कारण गन्ने के भावों में होने वाली वृद्धि भी है। गन्ने का भाव उस समय 56 रुपये प्रति टन था तो आज उसका भाव 150 रुपये प्रति टन है। परन्तु इतना होने पर भी हम इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि निकट भविष्य में चीनी उद्योग पर संकट आने वाला है। आज हमारा चीनी का उत्पादन 43 लाख टन है और हमारा उपभोग 30 लाख टन है अतः हमारे पास 13 लाख टन अतिरिक्त चीनी बची रहेगी। यदि उत्पादन का यह अतिरिक्त भाग अगले वर्ष भी चला जाये तो हम क्या करेंगे। सरकार को किसानों की सुरक्षा करनी चाहिये क्योंकि उन्हें गन्ने की उचित कीमतें प्राप्त नहीं हो रही हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत कम से कम 100 रुपया प्रति टन मिले। विभिन्न राज्यों में गन्ने के भाव अलग-अलग होने पर भी सरकार ने इसका भाव 93.80 रुपये नियत किया है।

दो वर्ष पूर्व चीनी की मिलों को काफी मुनाफा हो रहा था परन्तु चालू वर्ष में वह घाटे में जा रही हैं। जिस पर कर लगा हुआ है उस चीनी की खपत भी नहीं होती। खुले बाजार में चीनी की कीमत कर लगी हुई कीमत से भी कम है। देश में दस लाख टन चीनी का केन्द्रीय भण्डार बनाया जाना चाहिये। इसके फलस्वरूप फैक्टरियां अपना स्टाक कम रख सकेगी। आज हमें चीनी के उत्पादन में वृद्धि से प्रसन्नता है परन्तु यदि यही स्थिति रही तो चीनी और गन्ने की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति 1972 में अत्यन्त चिंताजनक हो जायेगी। इसी लिए सरकार को अपनी गन्ना नीति में परिवर्तन करना चाहिये। मैं माननीय जगजीवन राम जी से निवेदन करता हूँ कि यदि उन्होंने गन्ने की नीति में परिवर्तन नहीं किया तो उत्तर-प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में नई कांग्रेस की हार निश्चित है। जब तक सरकार चीनी का निर्यात 1 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन नहीं करती, चीनी उद्योग का यह संकट बना ही रहेगा। चीनी उद्योग पर जो उत्पादन कर है उसे भी सरकार को कम करना चाहिये।

हमें अपने देश के लिए जितने उर्वरक की आवश्यकता है, उसका पुनः अंदाजा लगाया जाना चाहिये। उसी के अनुरूप उर्वरक के आयात में कटौती की जानी चाहिये। आज हम उर्वरक आयात पर 225 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, परन्तु हमें इस पर इतना व्यय नहीं करना चाहिये क्योंकि हमारे देश के अपने उर्वरक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

जहां तक मूंगफली का सम्बन्ध है हम किसानों से मूंगफली के उत्पादन की अपेक्षा नहीं कर सकते। जबकि हम विदेशों से भारी मात्रा में सोयाबीन और सूर्यमुखी तेल का आयात कर रहे हैं। यदि सोयाबीन और तेल आदि का इतना अधिक उत्पादन किया जायेगा तो किसान मूंगफली का उत्पादन नहीं करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक न्यूनतम कीमत नियत होनी चाहिये। सरकार ने कमी वाले क्षेत्रों को जो 100 करोड़ रुपये की सहायता देने की योजना बनाई है उसमें से सरकार ने तमिल नाडू को कुछ नहीं दिया। हमारे मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया है और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये।

नलकूप लगाने की व्यवस्था भी मजबूत की जानी चाहिये। इस देश में भूमिगत पानी अत्याधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इस देश में नलकूपों की खुदाई क्षमता पर्याप्त नहीं है। एक केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम की तत्काल स्थापना की

जाये जिससे यह निगम ट्रैक्टरों के आयात का काम तथा अन्य देशों से नलकूपों के खुदाई के यंत्र प्राप्त कर सकें और देश में इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

कई बार अनावश्यक ट्रैक्टरों की अनिच्छुक राज्यों के सिर मढ़ दिया जाता है यह ठीक नहीं है और इस पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना चाहिये। एक ट्रैक्टर के निर्यात के लिए हमें 15,000 रुपया खर्च करना पड़ता है क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे तक ले जाने में ही 1500 मील का रास्ता अधिक तय करना पड़ता है। यदि इसका आयात मद्रास के रास्ते से किया जाये तो कम से कम 2500 रुपये की बचत हो सकती है। गत वर्ष हमने 17000 ट्रैक्टरों का आयात किया था जिसमें से तमिलनाडु को केवल 950 ट्रैक्टर ही दिये गये जबकि इसे 1500 ट्रैक्टर दिये जाने चाहिये थे। इस वर्ष हम 30,000 से 25,000 ट्रैक्टर आयात कर रहे हैं। इसमें से तमिलनाडु को 3500 ट्रैक्टर दिये जाने चाहिये अन्यथा हम अपनी मांगों की पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह किसानों में से ही कुछ किसानों को चुन कर जापान के ऐक्स्पों 70 में भाग लेने के लिए भेजें ताकि वे प्रगतिशील पाश्चात्य देशों में जो तकनीकी प्रगति हुई है वह उससे अवगत हो लाभ उठा सकें। यह ठीक है कि सरकार को इसके लिए लगभग 5 लाख रुपये व्यय करने पड़ेंगे परन्तु इससे 5 करोड़ की आय होने की सम्भावना है। क्योंकि भारत में न तो खेतों की कमी है और न ही किसानों की। हमें आज केवल अपेक्षित मशीनों तकनीक और प्रयत्नों की आवश्यकता है। अगर यह हमें प्राप्त हो जाये तो भारत की उत्पादन क्षमता 10 करोड़ टन से बढ़कर 30 करोड़ टन हो सकती है।

Jharkhande Rai (Ghosi) Today India is faced with three problems *i. e.* the revolt of Naxalities farmers, draught in several parts of the country and various other movements. I can say it with certainty that the food policy of Congress Government is a failure.

Its chief reason is that these dynamic land Reforms ought to have been carried out in 5 years after independence, have not been done even after 23 years of independnce The ideal slogan "Land to the Tillers" which was given to farmers of India during National Struggle of independence has not been implemented so far. According to Goyernment figures, India is having 11 crore acres of land which is barren. It is not being utilized. This non-utilization of land has lead to the serious food problem. Today, the situation is that crores of Harijans, landless Advasies and farm Labourers are on one side and crores of acres barren land is on the other side. There is no co-ordination between the two. This is the reason for the utter failune of Congress Poliey. It has led to unemployment, If this barren land is allotted to landless people and some revolutionary reforms are brought in land policy, the problem of unemployment can be solved. The Food Problem, which is our second bigger national problem after defenee can also be solved through these reforms.

India is an agricultural country which derives 50 per cenr of its National Revenue from agriculture. The 70 per cent of our National Import consists of agriculture production; 61 to 74 per cent population of our country depends on agriculture, still India is not self-sufficent. This is the only reason that Revolutionary Land Reforms have not been executed. It is amazing that instead of giving land to landless, the huge plots of land are being given to industrial ists. As long as these monopolist tendencies are not curbed neither the Food Problem nor Unemployment problem can be solved, If the barren area of 11 Crores is distributed among the landless farm

labourers and Harijans, lakhs of people will find their source of livelihood. Distribution of land is the basic problem and it must be solved.

As regards co-operative Department, I wish to submit that it is a source of corruption. Whatever grant is given in the name of Co-oprative, it is misused and leads to corruption. It is high time for the Government to understand that Co-operative system cannot succeed under Capital System.

Similary, Co-operative Development Planning is also a Department of Corruption. The major portion of the money allotted for this purpose is utilized by rich landlords of the village and very little of it reaches the poor farmers. The Co-operative Deelopment Planning can attain suecess if it is based on agriculture.

As regards the River Water my submission is that 90 per cent of the river waters join the sea without any use. This water should be stored and utilized for irrigation purposes. If it is done, our poor farmers can be tremendously benefited.

There should be Co-ordination between Industrial and agricultural institutions. So long there are imbalances, the farmer cannot be prosperous. Some concession should be given to poor and middle class farmers in credit policy also. Today, our country is faced with various regional problems. There should be an Agriculture development Board to deal with these problems to remove regional disparties.

Lastly I would like to say that Government should take necessary steps to prevent destruction of foodgrains. Necessary storage facilities should be provided to the farmers. According to specialists, if the wastage of foodgrains is checked, it will go a long way to solve the food problem.

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : There is no doubt that agriculture is the backbone of our country's economy. It therefore becomes our duty to bring improrevents in it. Some steps have been taken after Indepeneence in this direction as a result of which agriculture production has increased from 5.5 croes tonnes in 1950-51 to 10 crore tonnes to-day. This is the result of our efforts which we have made after Indenpendence to improve our agriculture. The agriculturists are in a far better position to-day than before. We have marched ahead after Independence in almost all the fields. We have been able to emancipate the agriculturits from the clutches of money-lenders through cooperative socities.

But even to-day there is a vast disparity among the big and small farmers. Inspite of our all efforts we have not been able to remove this disparity. A farmer holding 25 to 50 acres of land is much more prosperous than a farmer who holds only upto five acres of land. Steps should be taken to bridge the gap.

There are 830 High Schools in Japan which are called agricultural institutions. About 80 thousand youngmen come out of these institutions every year after receiving training in agriculture. Similary there are 30 National agricultural institutions. What I want to stess upon is this that we should also provide facilities for agricultural education if we want to improve our agriculture.

There is about 66 thousand square miles forest land which can produce 92 million tonnes of wood for industrial use according to Prof Kiwit of U. N. O. At present the wood production from the said land is only about 9 million tonnes. The Central Government should give necessary assistance towards the achievement of this objective.

In Madhya Pradesh irrigation facilities are provided only for 6 per cent land whereas national aversge is 20 per cent. 80 per cent people depend on agriculture for

their livlihood in that State. The Government should pay some attention for improving their lot. The Central Government should also consider the requst of the State Government in regard to the supply of 50 catupillars.

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : इस मन्त्रालय में प्रतिवेदन को पढ़ने से पता लगता है कि यह मन्त्रालय खाद्य उत्पादन की उपेक्षा आंकड़े तैयार करने में अधिक रुचि लेता है। इसमें दावा किया गया है कि 1969-70 में कृषि उत्पादन लगभग 10 करोड़ टन होगा। परन्तु इस लक्ष्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त किया जाना था। किसी भी सरकार को इस बात के लिये शर्म आनी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पांच वर्ष बाद प्राप्त कर रही है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था कि उक्त योजना के अन्त तक प्रति व्यस्क अनाज की खपत 18.3 औंस हो जायेगी परन्तु नवीनतम इकनामिक सर्वे से पता लगता है कि 1969 में अनाज की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 15.44 औंस थी। इन आंकड़ों में आयातित अनाज को भी शामिल किया गया है। उक्त आंकड़े निकालते समय बीजों के रूप में प्रयोग करने हेतु अनाज की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि इस उद्देश्य के लिए अनाज को अलग रख लिया जाये तो अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिये गये सरकारी आंकड़ों से बहुत कम रह जायेगी। इकानामिक सर्वे के अनुसार भी 1969 में 1956 की अपेक्षा अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम थी।

अब भी हम प्रत्येक देश से मुफ्त उपहार स्वीकार कर रहे हैं। यदि अनाज को मुफ्त स्वीकार करना भिक्षा मांगना नहीं है तो फिर यह क्या है ? सरकार की कीट नाशक योजना तबतक क्रियान्वित नहीं की जा सकती जब तक उसको भूख से मुक्ति अभियान समिति से सहायता नहीं मिल जाती। सरकार ने मध्य प्रदेश में 10,000 टन का तथा महाराष्ट्र में 3,000 टन का भण्डार बनाने के लिए नीदरलैंड स्थित भूख से मुक्ति अभियान समिति से अनाज के मुफ्त उपहार प्राप्त किये हैं। सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तबतक निःशुल्क खाद्य सप्लाई नहीं कर सकती जब तक उसको अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सहायता न मिल जाये। कोई भी देश निःशुल्क अनाज तथा अन्य सहायता प्राप्त कर इस विश्व में आत्म-सम्मान से नहीं रह सकता।

कृषि-क्रान्ति ग्रामीण क्षेत्र में पूंजीवाद के विकास के लिए विदेशों पर और अधिक निर्भर रहने के विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह विदेशों से अधिक उर्वरक कीट नाशक औषधियां आदि आयात करने तथा विदेशी एकाधिकार पतियों को और अधिक मुनाफा देने की नीति है। यह फार्मों में काम आने वाले विदेशों के फालतू उपकरणों के लिए बाजार ढूंढने की नीति है। कृषि क्रान्ति से कुछ बड़े बड़े पूंजीपति किसानों के लाभ में ही वृद्धि होगी और इससे छोटे छोटे लाखों किसानों को क्षति पहुँचेगी। इसमें बिड़ला बन्धुओं टाटा बन्धुओं तथा अन्य पूंजीपतियों को जिन्होंने कृषि भूमि हड़प ली है, लाभ हुआ है।

भूमि सुधारों के प्रश्न पर हाल में मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों से यह स्पष्टरूप से सिद्ध होता है कि कांग्रेस के पिछले बीस वर्षों के शासन में भूमि सुधारों को लागू नहीं किया गया है। गृह-कार्य मन्त्रालय के प्रतिवेदन में भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कांग्रेस राज्य में भूमि सुधार कानून आमतौर पर क्रियान्वित नहीं किये गये हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि कांग्रेस सरकारों द्वारा बनाये गये कृषि सुधार कानूनों से गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों को कोई सहायता नहीं मिली है।

पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार ने वास्तविक भूमि सुधार कानून लागू किये हैं और उसने भूमिहीन किसानों को 7½ लाख एकड़ भूमि दी है। परन्तु इस बारे में निहित हितों तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा समूचे देश में आवाज उठाई गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम बार किसानों के आन्दोलन के सहयोग से इतने बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून लागू किये गये हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने भी विधि व्यवस्था के नाम पर भू-स्वामियों तथा जोतेदारों का पक्ष लेना आरम्भ कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का शासन लागू किये जाने के पश्चात सर्वप्रथम वितरित की गई भूमि को जोतेदारों को वापस दिलाने के लिए ही कार्यवाही की गई है ; पश्चिम बंगाल के किसान तथा मजदूर इस कार्यवाही का सख्ती से सामना करेंगे। संयुक्त मोर्चा सरकार के समय प्राप्त की गई भूमि को वे लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे।

केरल में नम्बूदरीपाद मन्त्रालय के दौरान कुछ भूमि सुधार कानून लागू किये गये थे। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने दलबदलुओं के साथ मिलकर उनको सभा से हटा दिया और श्री अच्यूतामेनन के मन्त्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों पर जुल्म किये हैं। इस दौरान पर 21 कृषि मजदूरों तथा किसानों की हत्या की जा चुकी है।

जब भी यहां पर भूमि सुधार का प्रश्न उठाया जाता है तब ही सरकार कहती है कि यह राज्य का विषय है। परन्तु जब राज्य भूमि सुधार कानून लागू करते हैं तो केन्द्र सरकार किसानों तथा कृषि मजदूरों को दबाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के व्यक्ति वहां भेज देती है। परन्तु किसान तथा कृषि मजदूर मिलकर निहित हितों के प्रत्येक षडयंत्र को असफल बना देंगे। भूमि वितरण के कार्यक्रम से सम्बन्धी संघर्ष में सभी गरीब किसान भाग लेंगे और वे इस बोगस कृषि क्रान्ति के स्थान पर वास्तविक लाल क्रान्ति लायेंगे और विश्व की कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकती।

भारत का खाद्य निगम एक सफेद हाथी ही सिद्ध हुआ है। नौकरशाही ने इस संगठन को भ्रष्टाचार का घर बना दिया है। कलकत्ता में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आये हैं। भारत के खाद्य निगम की कलकत्ता स्थित शाखा के श्री शशांक मुकर्जी 5,42,000 रुपये के गबन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने एक मिल को झूठा प्रमाणपत्र जारी कर उससे रुपयों की वसूली रोक दी थी। यद्यपि इस अधिकारी को इस वर्ष 25 मार्च को निलम्बित कर दिया गया था तथापि उसको 26 तारीख को कार्यालय में प्रवेश करने तथा गबन के मामले से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वहां से ले जाने की अनुमति दी गई थी। सभी दस्तावेजों के हटाये जाने के बाद इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सोंपा गया। मुझे अब पता चला है कि खाद्य निगम के कुछ उच्च अधिकारी राशि को देर से वसूल किया गया बताकर इस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने तथा निवलम्बन सम्बन्धी आदेशों को समाप्त करने के लिए मामले को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हाल में आंध्र विधान सभा में लोक लेखा समिति ने यह सुझाव दिया है कि उर्वरक सम्बन्धी जालसाजी के मामले की जिससे सरकार को 3.77 करोड़ रुपये की हानि हुई है, केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच की जाये। क्या सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी तथा जालसाजी के इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच करायेगी ?

प्रति वर्ष ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि हो रही है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा 1962 में

की गई एक जांच से पता लगता है कि पिछले दस वर्षों के दौरान गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों में ऋण ग्रस्तता तीन गुना बढ़ी है।

कृषि मजदूरों के जीवन निर्वाह की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। महाराष्ट्र में एक कृषि मजदूर तथा उसके परिवार को 100 से 110 रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आप पर निर्वाह करना पड़ता है। भारत के गांवो में इन्दिरा गांधी के समाजवाद की यह एक झलक है।

खाद्य मन्त्री अपने पद का प्रयोग राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में श्री गुप्त मुख्य मन्त्री थे मन्त्री महोदय प्रगतिशीलता की बातें करते थे तथा चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात कहते थे। परन्तु उनके अपने दल के सत्तारूढ़ होने के पश्चात उन्होंने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को रद्द कर दिया है।

वास्तविक राष्ट्रीय खाद्य नीति तथा वास्तविक भू-सम्बन्धी नीति अपनाने के बजाये खाद्य मन्त्रालय-जनता विरोधी उपाय कर रहा है और विदेशी ठेकेदारों तथा बड़े बड़े भारतीय धनी व्यापारियों और गांवों के कुछ इने गिने समृद्ध व्यक्तियों को अधिक लाभ कमाने में सहायता कर रहा है। कृषि सम्बन्धी इन दिवालिया नीतियों को छोड़ कर ही वास्तविक लोकतन्त्रात्मक खाद्य नीति को लागू किया जा सकता है।

यदि भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण सुनिश्चित करने हेतु भूमि सुधार कानून को क्रियान्वित करने हेतु उचित, प्रभावशाली तथा तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती तो वह दिन दूर नहीं जब किसानों तथा कृषि मजदूरों की सेना कृषि भूमि पर कब्जा कर लेगी।

Shri Gunanand Thakur (Sabarsa) : The Government are making land claims and announcements are made about the progressive steps but I would say that the progress made by the food ministry is not at all satisfactory. We can hardly benefit poor peasants by raising slogans of green revolution.

The poor peasants constitute an army of Naxalites who are marching ahead and or whom we will not be able to stop. China got independence in 1949 and within a period of three years she became self reliant whereas we have not been able of achieve self reliance in food production even after twenty three years of Independence.

Gandhiji talked of land revolution in 1920. He went to Champaran in Bihar for starting a struggle against the attrocities which were being committed on the peasants there. After the attainment of Independence the land was distributed among the relatives of Congress ministers and the poor landless people got nothing. A resolution to the effect that land to the tiller was passed in 1948 in Congtess Session. A committe under the chairmanship of Dr. J. C. Kumarappa was appointed to suggest ways and means for solving agricultural problem and bringing land reforms. The suggestions of the said Committee were also thrown in waste paper basket.

Whenever we raise the question of land reform the Government say that this is a state subject. Some laws in regard to the land reform wete enacted in the States but they have not proved very much effective. In Andhra Pradesh only one lakh acres of land could be obtained whereas the expectation was that of 10 lakh acres. In Bihar the peasants have not got anything as a result of land reform legislation. Thirty two thousand land dispute cases are going on in Purnea district of Bihar. Eleven percent people are holding 7. percent land and the remaining 89 percent people are in possession of 30 percent land. If this situstion is allowed to continue, I may say that no force

can check the emergence of revolution. The tillers are not the owners of land and this is the main reason why our country is not making progress. In 1947-48 irrigation facilities were provided to the 15 percent land and 1965-66 seventeen percent land was irrigated. It means irrigation facilities were provided only for 2 percent land in eighteen years. Some more progress might have been made in this direction. But the fact remains that irrigation facilities are not provided to 75 percent of land even to-day. I will suggest that irrigation and agricultural ministries should be amalmagted into one.

The price of sugareane is coming down whereas the price of sugar is increasing. In this cannection I may submit that the sugar mills should be nationaliged without any further delay. A committee to this effect was set up in U. P. but it has not made any significiant progress.

The suggestion given by Dr. Chakravarti for the development of kari area should be considered by the Government.

I will also like to suggest that tractors instead of cars should be given to the Members of Parliament so that they may resort to agriculture and peasants could get inspiration from them. Land should be distributed to landless farmers, Harijan and Adivaris so that they may be able to improve their economic position.

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस वर्ष खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1000 लाख टन होगा। परन्तु वह यह भूल रहे हैं कि प्रतिव्यक्ति उपयोग की मात्रा बढ़ने के स्थान पर घट गयी है।

सरकार के पास कोई सार्थक मूल्य नीति नहीं है। परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो रही है। देश के कुछ भागों में गोले का तेल 8 रुपये प्रतिकिलो की दर से बिक रहा है। तेल बहुप्रयोजनीय पदार्थ है और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये बहुत आवश्यक है।

यह कहा गया है कि भूमि पट्टों में सुधार किया गया है और जोतदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। धारबाढ़, बेलगांव, बीजापुर और कारबाढ़ के जिले बम्बई राज्य से मैसूर राज्य को स्थान्तरित किये गये हैं। जब ये जिले बम्बई राज्य के अन्तर्गत थे तब जोतदार को एक एकड़ भूमि का अधिकतम किराया 20 रुपये देना पड़ता था और अब यह किराया बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। यह 4 वर्ष पूर्व संगठित कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। शायद मंत्री महोदय को इस किराये की वृद्धि के बारे में पता नहीं है। लाखों मजदूर और किसान हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है।

सहकारी प्रगति के बारे में कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के एक सहकारी काजू कारखाने के बारे में बताना चाहता हूं। यह कारखाना चार वर्ष पूर्व चालू किया गया था और आज बन्द पड़ा है। ऐसे सहकारी कारखानों का बन्द होने का कारण यह है कि सरकार समस्त लागत का 70 और 80 प्रतिशत तक ऋण देती है। यह ऋण कांग्रेस दल के किसी नेता को दिया जाता है क्योंकि वह नेता ही सहकारी समिति का संगठन करता है। चुनावों के समय सरकार को मत प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रहती है अतः वह बड़े पैमाने पर ऋण देता है। इस बात का विचार नहीं किया जाता कि सहकारी समिति ने कारखाने के लिये कितना रुपया जुटाया है। यह राजनैतिक भ्रष्टाचार है।

मछली पालन विकास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम जानते हैं कि मछली

उत्पाद का हमारा निर्यात हाल में बढ़ गया है । फिर भी इसे आगे बढ़ाने की गुंजाइश है और इस संबन्ध में कदम उठाये जाने चाहिये । काजू बागान के बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिलाया जाना चाहिये । सरकार को मैसूर सरकार से कहना चाहिये कि वह समुद्र तट से फराश के पेड़ हटाये और वहां काजू के पेड़ लगाये जांय इससे बहुत लाभ हो सकता है । फराश के पेड़ हटाकर यह स्थान निर्धन मछुओं को दे दिया जाय और उनसे काजू के बाग लगाने के लिये कहा जाय । इस प्रकार निर्धन मछुओं को रोजगार मिल जायगा और हमारे काजू के निर्यात में वृद्धि होगी ।

वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है जो एक शीतोष्ण-कटिबन्ध है जहां नरम लकड़ी पैदा होती है । हमने कड़ी लकड़ी के बारे में बहुत कम अनुसंधान किया है । कड़ी लकड़ी बहुत उपयोगी है । मध्य प्रदेश जो शीतोष्ण कटिबन्ध नहीं है वहां बहुत बड़े-बड़े वन हैं । जब तक हम उष्ण कटिबन्धी क्षेत्र में एक अनुसंधान संस्था स्थापित नहीं करेंगे तक तक हम कड़ी लकड़ी के बारे में अनुसन्धान नहीं कर सकते ।

सूखी खेती करनेवाले किसान की काफी उपेक्षा की गई है । हमारी 80 प्रतिशत भूमि सूखी खेती का क्षेत्र है और सूखे क्षेत्र का किसान सबसे अधिक गरीब है । सूखी खेती वाले क्षेत्र को आवश्यक सुविधा दी जानी चाहिये जिससे किसान की स्थिति में सुधार हो सके ।

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : The farmers in India, though achieved a comendable success regerding the increase in food production are not satisfied with the price trends of Agricultural goods. They are of the view that the increased production has returned them almost the same amount they used to have at the time when agricultural production was rather very low. I world like to suggest same measures for this.

There should be a standing Agricultural prices commission. It should have some guiding principles for fixing the price of agricultural products. First of all agricultural land should be treated as the capital invested and some return should be given for that. The prices of agricultural products should be fixed in relation to the prices of other things in the market.

The farmers who produce Gur out of sugar cane are facing a worst situation because of low price of Gur and sugar cane. On one hand prices are very low and on the ofter hand factory owners have not paid their large amount say about 50 crores. Today the farmer thinks that the efforts to increase production are futile unless the prices are fixed for agricultural products the Government should form some policy regarding stabilization of prices.

We should increase our sugar export. The amount collected as excise duty on sugar should be utilized for promoting its export. It would not only earn foreign exchange but help us to make proper use of our surplues stock of sugar.

Shri Gurcharn Singh (Ferozepore) India is an agricultural country. Eighty percent of its population, directly or indirectly, are connected with agriculture. The matter reguires a serious consideration that even in 25 years we are un-self sufficient in food grains.

Last year 25 Lakh tonnes of food grains were procured in the country. Out of this quantity, 19 Lakh tonnes of food grains were procured in the state of Punjab alone. There is something basically wrong with our agricultural system and that is why all the

states with the exception of Punjab could not supply foodgrain even as much as Punjab alone did. Most probaly the reason is that farmers have uneconomic holdings and as such they cannot make use of tractors and other modern amenities. It is necessary to ensure that the land holdings are not being reduced to the extent that they become uneconomics.

Punjab is the eminent contributor in procurement drive. This year, Punjab is contributing 25 Lakh tonnes of food grains out of total procurement of 30 Lakh tonnes. The Government did not extend any help to Punjab perhaps they do not expect therefrom a large number of votes in their favour. Perheps for this simple reason, they have not issued any license and have not set up any industry. The Government will establish tractor factory either at Banglore or at Bombay because they are to get good support therefrom. Such injustice should be done away with and the advance agricultrue states should be given all the help the Government may extend.

Now agricultural wealth tax has been introduced. Ceiling on agriculrural land is already there and the result is that farmers have small holdings. Hence the levy of Wealth Tax on agriculturists would prove a heavy burden on them, moreover, agriculture, being a state subject only State Governments can levy such a tax. This tax should be withdrawn so that relations between the centre and the state may not be strained on that account.

The present system of giving tractors to the farmers by lottery is wrong. A needy person may not get a tractor while a person who is not in need of a tractor may get it. The procedure should be revised to make tractors available to the needy farmers.

श्री अ० त्रि० शर्मा : यह संतोषजनक बात है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार हुआ है। किन्तु यह लोगों के लिये लाभदायक नहीं है, इसलिये कि कीमतें घटने के बजाय बढ़ गयी हैं। इसका कारण यह है कि सरकार जो अनाज प्राप्त करती है उसकी मूल कीमत में परिवहन व्यय भी जोड़ दिया जाता है। इससे मूल कीमत लगभग 30 प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ लाभ राशि भी जोड़ी जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता को प्राप्त होने तक मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है।

अब हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। सरकार को नियंत्रण तथा समाहार प्रणाली छोड़ देनी चाहिये। ऐसे समय में जब हम देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो देश में कृषि से संबन्धित सभी उपकरण बनाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

चीनी पर आंशिकरूप से नियंत्रण रखने में कोई औचित्य नहीं है। इस साल का उत्पादन पहले की अपेक्षा दो गुना है। वास्तव में कोई अभाव नहीं है। यदि सरकार इसे जनता पर छोड़ दे तो चीनी तथा गुड़ की कीमत घट जायगी।

किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज की दर अधिक है। इसे कम किया जाना चाहिये।

उड़ीसा एक कृषि राज्य है यहां कुछ भागों में पानी अधिक मात्रा में है और कुछ में पानी की बहुत कमी है। सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये 40 मार्गदर्शी परियोजनायें बनाने जा रही है। इनमें से एक या दो उड़ीसा को दी जाय।

उड़ीसा का समुद्रतट बहुत बड़ा है यदि यहां मछली व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय तो यहां से समस्त देश को मछलियों की सप्लाई की जा सकती है।

Shri Sharda Nand (Sitapur): Sir, while speaking on the demands of the Ministry of Food and Agriculture I want to give certain suggestions to the hon. Minister. First of all I want to suggest that the Government should provide irrigation facilities to the farmers. Water of the rivers should be stored and utilised for irrigation. The work of constructing wells and ponds should be undertaken by the Government anew.

Secondly, each village should be provided with a soil testing centre. With the help of these centres the farmers may know as to what type of fertilizer would be more useful for their farms. I also suggest that the said testing service should be free of cost. The handling of modern agricultural equipments should also be demonstrated in each of the villages.

Agriculturists should also be provided assistance, financial and otherwise, for having godowns wherein seeds are preserved.

A new service on the pattern of fire brigade is required to be introduced to protect the crops from diseases.

It was stated by the Government that a committee would be appointed for the Sugar Mills. My suggestion in this respect is that the employees of the co-operative union should also be provided with the same facilities as are given to that of Sugar Mills.

In the end, I want to suggast that the interests of the landless labour should not be ignored. At the same time dairy farms should be opened in each village so that nutritious diet could be available to them.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : सरकार ने गन्ने के मूल्य 73 रुपये प्रतिटन के हिसाब से निर्धारित किये हैं जबकि ईंधन का भाव 125 रुपये प्रति टन है। क्या मंत्री महोदय गन्ने के मूल्य कम से कम 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्धारित करेंगे।

Shri T. Ram (Araria) : Sir, the most of the agricultural land is going under the ownership of the capitalists. The actual cultivaters possess small tracts of agricultural land. Therefore, land reform programme should be implemented in an effective manner.

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : महोदय ! मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कृषि के विकास के लिये बहुत से सुझाव दिये हैं। माननीय सदस्यों ने चर्चा के लिये निर्धारित समय की कमी के बारे में शिकायत की है। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा कोई दोष नहीं है। यदि मंत्रालय के लिये 9 घंटों के स्थान पर 13 घन्टे भी निर्धारित किये जाते तो मैं इस बात का स्वागत करता क्योंकि अधिक समय में अधिक सुझाव प्राप्त होते।

सौभाग्य से इस वर्ष कृषि और खाद्य की स्थिति संतोषजनक है। विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत भी आशा है कि इस वर्ष 1000 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकेगा। कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि उसने गत 20 वर्षों में कोई भूमि सम्बन्धी सुधार नहीं किया है। किन्तु कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि

कांग्रेस सरकार की एक अन्यतम उपलब्धि है जमींदारी प्रथा को समाप्त करना । मैं स्वीकार करता हूं भूमि सुधार देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है तथा अन्य बहुत से कार्य करने बाकी हैं। तथापि यह कहना अनुचित है तथा ऐतिहासिक तथ्यों के प्रतिकूल है कि देश में 20 वर्षों से भूमि सुधार के सम्बन्ध में कुछ किया ही नहीं गया ।

इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि असंख्य खेतीहर मजदूरों के पास भूमि नहीं है तथा उन्हें यथासम्भव भूमि देनी है । देश के विभिन्न भागों में अधिकतम भूमि सम्बन्धी अधिनियम लागू करने से फाल्तू भूमि प्राप्त होगी तथा उसको इन लोगों में बांटना है । गत वर्ष मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इन समस्याओं पर विचार किया गया था तथा उन्होंने महसूस किया था ऐसे लोगों को अधिनियम के लागू करने से उपलब्ध होने वाली भूमि आवंटित की जाये तथा उनकी ऋण और अन्य सामग्री के रूप में सहायता भी की जाये ।

आजकल कृषि-उत्पादन इस बात पर पूर्णरूप से आधारित नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि है अपितु इस बात पर आधारित है कि कृषि करने का ढंग क्या है । इस सम्बन्ध में मैं पंजाब को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जापान ने भी पंजाब से कृषि उत्पादन में कम सराहनीय कार्य नहीं किया यद्यपि वहां किसी किसान के पास सात एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा यहां की 80% जनता कृषि कार्य में संलग्न है । इसके अतिरिक्त यहां कृषि भूमि का होना सामाजिक सम्मान का प्रतीक है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है उनको भी थोड़ी बहुत भूमि अवश्य मिलनी चाहिये जिससे समाज में उनकी भी प्रतिष्ठा हो सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को एक निर्धारित सीमा से अधिक भूमि रखने का अधिकार न दिया जाये। यद्यपि भूमि सुधार कार्य राज्य सरकारों का विषय है तथापि केन्द्र सरकार उसमें रुचि रखती है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों ने भी इस समस्या को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता महसूस की है ।

कृषि के सम्बन्ध में पानी का भी महत्वपूर्ण स्थान है । कुल कृषि योग्य भूमि के चौथाई भाग में सिंचाई की सुविधा हासिल कर ली गई है । शेष भूमि की सिंचाई वर्षा पर निर्भर है । अतः उन क्षेत्रों में बारानी खेती की व्यवस्था करनी होगी । सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्य को भी अपने हाथ में लिया है ।

एक प्रश्न यह भी है कि क्या बहाव वाली सिंचाई उत्तम रहती है अथवा बौछारी सिंचाई उत्तम रहती है मेरा निवेदन है कि बौछारी-सिंचाई महंगी पड़ती है किन्तु उससे उतने ही पानी से अधिक की सिंचाई हो जाती है । सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर रही है ।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में छोटे स्तर के किसानों की संख्या अधिक है । यह भी सच है कि कृषि के नये उपकरणों और प्रणालियों से लाभ बड़े स्तर के काश्तकारों को ही होता है । इसी बात को ध्यान में रखते हुये इस बजट में सरकार ने कुछ जिलों को चुना है जिनमें छोटे स्तर के किसानों को आधुनिक उपकरणों और उर्वरक प्रदान करने के लिये एजेंसियां खोली जायेंगी तथा इन किसानों का विशेष ध्यान रखा जायेगा । इस व्यवस्था से किसानों के सामाजिक असंतुलन कम करने का प्रयास किया जायेगा ।

स्थाई रूप से सूखाग्रस्त रहने वालों क्षेत्रों के लिये भी कुछ योजनायें बनाई जा रही हैं ।

जहां तक उर्वरकों की खपत का प्रश्न है मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे देश में उतनी मात्रा में उर्वरक की खपत नहीं हो सकी जितने की आशा की जाती थी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उर्वरक की खपत में पिछले वर्षों की तुलना में कमी हुई है। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जब हम जापान जैसे अन्य देशों के साथ इस बात की तुलना करते हैं कि हमारे देश में प्रति एकड़ कितने उर्वरक की खपत होती है तथा अन्य देशों में कितने उर्वरक की खपत होती है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जापान को इंच-इंच भूमि के लिये सिंचाई की सुविधा प्राप्त है जबकि हमारे देश में केवल 24-25 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसके लिये सिंचाई की सुविधा है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जिस भूमि के लिये पानी की कमी नहीं है उसी भूमि में अधिक उर्वरक डाला जा सकता है।

जहां तक भूमि परीक्षण केन्द्रों का प्रश्न है यह सुविधा सभी क्षेत्रों को प्राप्त नहीं है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को यह सुविधा भी प्रदान की जा सके।

किसानों की उर्वरकों के मिलाने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा सका। मैंने इस सम्बन्ध में उत्पादकों से भी बातचीत की है तथा हम किसानों को भी प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। उर्वरक-उत्पादकों की सहायता से किसानों को इस सम्बन्ध में सुविधा मिलेगी।

अधिक उपज देने वाले बीजों के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार की नई-नई किस्में तैयार करने का कार्य जारी रखा जाना चाहिये क्योंकि दो-चार वर्ष के बाद एक प्रकार के बीज की क्षमता कम हो जाती है। अतः उसके स्थान पर नये बीज तैयार करना आवश्यक हो जाता है हमारे वैज्ञानिक इस समस्या के प्रति जागरूक हैं तथा इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सरकार ने देश को खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाने का जितना प्रयत्न किया है उतना तिलहन और कपास आदि अन्य कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयास नहीं किया है। अब कृषि अनुसंधान में लगे वैज्ञानिकों से तिलहन और कपास आदि के अधिक उपज देने वाले बीजों को तैयार करने के बारे में कहा गया है तथा आशा है कि आने वाले दो-तीन वर्षों में ऐसे बीज प्राप्त कर लिये जायेंगे।

हमारे देश में छोटे स्तर के किसानों की संख्या बहुत अधिक है तथा ऐसे किसान अपने निजी ट्रैक्टर रखने में असमर्थ हैं अतः हम गैर सरकारी पार्टियों या सहकारी समितियों को इस बात का प्रोत्साहन देने जा रहे हैं वे ट्रैक्टर खरीद कर छोटे किसानों को उन्हें किराये पर उठाएं। छोटे स्तर के किसानों को इसी प्रकार ट्रैक्टरों की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

सदन को याद होगा कि जब मैंने इस मंत्रालय का भार सम्भाला था तो मैंने यह कहा था कि ट्रैक्टरों के निर्माता पर लाइसेंस व्यवस्था नहीं रहेगी तथा उससे लाइसेंस समाप्त भी कर दिया गया। साथ ही यदि ट्रैक्टर निर्माता कम्पनियां इसी गति से कार्य करती रहीं तो आशा है दो या तीन वर्ष में देश में इतने ट्रैक्टरों का निर्माण होगा जितने की देश में आवश्यकता है। ट्रैक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये इनका आयात भी किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के आवंटन कार्य सार्वजनिक

निकायों या कृषि-उद्योग निगमों को सौंपा गया था। अब यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वे किसानों को इन निकायों या निगमों से किस प्रकार ट्रैक्टर दिलाती हैं।

इसी प्रकार नलकूपों के लिये बड़े स्तर के किसान तो सरकारी समितियों से या वाणिज्य बैंकों से ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं किन्तु छोटे स्तर के किसान इस प्रकार की सुविधा से वंचित रहते हैं। दो वर्ष पहले राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि इस सम्बन्ध में उनके बजट में जितने धन की व्यवस्था की गई है उसे वे राजकीय नलकूपों पर करें।

मैं राजकीय नलकूपों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि छोटे स्तर के किसानों को उन्हीं से सिंचाई सुविधाएं मिल सकती हैं।

मछली पालन केन्द्रों के विकास के लिये सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत विकास की पूरी लागत केन्द्र वहन करेगा। राज्य सरकारें इस योजना से लाभ उठा सकतीं हैं।

गहरे पानी से मछली पकड़ने के लिये अधिक संख्या में ट्रालरों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहां मछली अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं तथा ट्रालरों की सहायता से अधिक मछली पकड़ी जा सकती हैं जिनके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। आशा की जाती है अगले कुछ वर्षों में हमारा देश विश्व के महत्वपूर्ण मछली उद्योग वाले देशों में होगा।

देहरादून बन अनुसंधान संस्थान ने कड़ी लकड़ी के सम्बन्ध में भी सराहनीय कार्य किया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे वहां जाकर उनके कार्य का परीक्षण करें। देहरादून संस्थान के भिन्न जलवायु के क्षेत्रों पर उप केन्द्र स्थापित किये हैं तथा उनके द्वारा हर प्रकार की लकड़ी के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं।

महोदय! मैंने यथा सम्भव प्रयास किया है कि सभी बातों का उत्तर दे सकूं तथापि समय के अभाव से यह कठिन है। फिर भी मैंने सभी सुझावों को ध्यान में रखा है तथा मैं मंत्रालय से कहूँगा कि सभी सुझावों की जांच की जाये।

जहां तक चीनी के निर्यात का सम्बन्ध है मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूँ कि किसी प्रकार अतिरिक्त चीनी का निर्यात किया जा सके तथा गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	1,71,02,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
30	कृषि	12,19,19,000
31	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां	15,30,83,000
32	वन	1,67,20,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	41,95,61,000
	II—पूंजी खाते व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान	
115	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	74,89,75,000
116	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	56,05,97,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य मंत्रालयों की मांगें मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य मन्त्रालयों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands of the other Ministries were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
14	**वित्त मंत्रालय**	2,86,91,000
15	सीमा शुल्क	8,47,62,000
16	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	14,49,33,000
17	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	15,79,76,000
18	स्टाम्प	3,90,52,000
19	लेखा-परीक्षा	23,25,00,000
20	मुद्रा और सिक्का ढलाई	13,76,97,000
21	टकसाल	3,00,04,000
22	कोलार की सोने की खानें	5,77,61,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
23	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्तिलाभ	7,51,09,000
24	अफीम कारखाने और एलकालायड वर्क्स	1,00,55,000
25	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26,87,30,000
26	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	4,12,60,93,000
27	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	34,12,000
28	विभाजन-पूर्व की अदायगियां	84,000
107	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	37,05,000
108	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	12,18,07,000
109	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	41,82,000
110	कोलार की सोने की खानों का पूंजी परिव्यय	1,18,83,000
111	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	5,94,37,000
112	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	1,65,13,000
113	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	25,59,97,000
114	केन्द्री सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	4,02,84,89,000
37	**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय**	60,64,000
38	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	21,65,05,000
39	लोक निर्माण कार्य	35,59,67,000
40	लेखन-सामग्री और मुद्रण	12,64,42,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
41	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,44,40,000
118	निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	8,88,33,000
119	दिल्ली पूंजी परिव्यय	5,32,41,000
120	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास, और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	17,79,44,000
61	**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय**	21,80,000
62	प्रसारण	10,57,40,000
63	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,74,69,000
	II—पूंजी खाते से व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों का भुगतान	
124	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,43,18,000
72	**विधि मन्त्रालय**	79,89,000
73	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,70,62,000
77	**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय**	1,21,18,000
78	सड़कें	18,99,85,000
79	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	3,60,78,000
80	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	1,19,18,000
81	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,21,12,000
129	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	45,52,84,000
130	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	7,09,50,000
131	जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	13,77,39,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
84	पूर्ति मन्त्रालय	84,22,000
85	पूर्ति और निपटान	3,65,39,000
86	पूर्ति मन्त्रालय का राजस्व व्यय	36,91,000
87	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय	21,01,000
88	ऋतु विज्ञान	4,17,68,000
89	उड्डयन	11,83,37,000
90	पर्यटन और नागर विमानन् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,80,16,000
133	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	9,08,10,000
134	पर्यटन और नागर विमानन् मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	11,25,83,000
91	परमाणु ऊर्जा विभाग	26,80,000
92	परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	31,86,80,000
135	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय	45,27,41,000
93	संचार विभाग	13,74,000
94	समुद्रपारीय संचार सेवा	3,62,87,000
95	डाक और तार विभाग (चालन व्यय)	2,07,22,80,000
96	डाक और तार विभाग द्वारा, सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी	31,60,63,000
97	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	37,50,000
136	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	73,55,83,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
101	योजना आयोग	1,26,41,000
102	लोक-सभा	2,28,39,000
103	राज्य-सभा	90,89,000
104	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,75,000

विनियोग (संख्या 2) विधेयक
Appropriation (No. 2) Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक के पुरः स्थापित करता हूँ ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Shiw Chandra Jha (Madhubani) : Sir, we are going to approve a sum of Rs. 16,325,76,04,000 and, therefore, it is our duty to bring certain important points pertaining to the Ministries, for which the demands have been passed, to the notice of the House.

No doubt, the Plaining Commission is an important machinery but due to the paucity of time we could not discuss on the demands of this commission. Sir, I fail to

appreciate the working of the Planning Commission because of the fact that it could not submit the final picture of the Fourth Five year Plan before the House. No body knows whether they would be able to finalise the Fourth Plan or not. Therefore, I demand that before we approve the demands of this commission amounting to Rs. 1,51,69,000 the Prime Minister should let us know the time by which the Fourth Plan would be finalised.

The demands relating to the Ministry of Information and Broadcasting have not been discussed. The Press, which plays a significant role in the social structure, comes within the purview of this Ministry. Sir, in spite of repeated demand of freedom of the Press nothing has been done by the Government in this regard. Several Commissions have been appointed but not a single recommendation is implemented so far. In this scientific age when all sorts of distances have been conquered the perceptivity of all the countries has been increased and they influence each other. In these circumstances it has become necessary to provide freedom to Press. My submission, in this respect is that a Press Commission should be appointed to look into the extent to which the monopoly Press has affected the freedom of the Press. Before the demands of this Ministry are approved the hon. Minister should throw light on these point.

Regarding the Ministry of Works. Housing and Urban Development, I want to say that under the nose of the Parliament so many mischievious activities are perpetrated in the field of constructing buildings in Delhi. We invite the attention of the hon. Minister towards the misdeeds going on in the construction work of North Avanue but he did not pay any heed. I demand that a committee should be appointed to investigate all there things.

Before concluding I want to submit that in the context of the prevailing circumstancees, especially when China has launched a satellite the Prime Minister should specifically mention whether they are going to formulate atomic policy or not. It is not fair on the part of the Prime Minister that whenever atomic energy is discussed she tries to evade answers.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन-सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार 1 मई, 1970/11 वैशाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 1st May, 1970/Vaisakha 11, 1892 (Saka).

Printed at Law Publishing House, Allahabad.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

30 अप्रैल , 1970 । 10 वैशाख , 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(i)	पंक्ति 2 में `चैत्र ` के स्थान पर `वैशाख ` पढ़िये ।
(i)	पंक्ति 3 को इस प्रकार ` No. 48, Thursday, April, 30, 1970 - Vaisakha 10, 1892 (Saka) पढ़िये ।
(i)	प्रश्न संख्या 1324 कालम 2 में ` Smasker ` के स्थान पर 'Samskar ' पढ़िये ।
ix	कालम 1 , पंक्ति 10 में `822 ` के स्थान पर `8122 `पढ़िये ।
13	पंक्तियों 1,5 और 17 में `ह्.के.नदनार ` के स्थान पर `ई.के नायनार `पढ़िये ।
117	पंक्ति 24 में "स.यु.जमीर " के स्थान पर `स.ई.जमीर ` पढ़िये ।
127	पंक्ति 20 के पश्चात् निम्न प्रकार पढ़िये : `श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए Shri Shri Chand Goyal in the Chair